



समृद्धि की राह...
The Path to Prosperity...

Call toll free no. | 1800 22 33 44
6 am - 10 pm | 1800 102 44 55
Web Chat-24X7
www.bankofbaroda.co.in

Follow us on   



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री रवि वेंकटेशन
अध्यक्ष

Shri Ravi Venkatesan
Chairman



श्री पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO



श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
कार्यपालक निदेशक
Shri Bhuwanchandra B. Joshi
Executive Director



श्री मयंक के. मेहता
कार्यपालक निदेशक
Shri Mayank K. Mehta
Executive Director



श्री मोहम्मद मुस्तफा
निदेशक
Shri Mohammad Mustafa
Director



सुश्री सुरेखा मरांडी
निदेशक
Ms. Surekha Marandi
Director



श्री प्रेम कुमार मक्कड़
निदेशक
Shri Prem Kumar Makkar
Director



प्रो. बिजू वर्ककी
निदेशक
Prof. Biju Varkkey
Director



डॉ. आर. नारायणस्वामी
निदेशक
Dr. R. Narayanaswamy
Director



श्री भरतकुमार डी. डांगर
निदेशक
Shri Bharatkumar D. Dangar
Director



सुश्री उषा ए. नारायणन
निदेशक
Ms. Usha A. Narayanan
Director



मुख्य महाप्रबंधक	Chief General Manger
मानवी के. एन	MANVI K N
महाप्रबंधक	General Managers
अस्थाना ललित मोहन	ASTHANA LALIT MOHAN
सिंघवी उत्तमचंद	SINGHVI UTTAMCHAND
त्रिवेदी धिमंत प्रद्युम्न	TRIVEDI DHIMANT PRADUYMNA
अरोरा रवि कुमार	ARORA RAVI KUMAR
घाग सुरेश शंकर	GHAG SURESH SHANKAR
सुश्री रमेश विंध्या विठ्ठल	Ms. RAMESH VINDHYA VITTAL
अशोक कुमार गर्ग	ASHOK KUMAR GARG
अग्रवाल प्रभात	AGARWAL PRABHAT
महाजन विपन	MAHAJAN VIPAN
अग्रवाल संजय	AGARWAL SANJAYA
एस ज्ञानवेल	S GNANAVEL
देशपांडे मल्लारी विरुपेक्स	DESHPANDE MALLARI VIRUPAX
नारंग विद्यासागर	NARANG VIDYASAGAR
गुत्तीकर राजेंद्र लक्ष्मण	GUTTIKAR RAJENDRA LAXMAN
कक्केरा वेंकटेश्वरलू	KAKKERA VENKATESWARLU
गुप्ता राम कुमार	GUPTA RAM KUMAR
दामोदरन नीलम	DAMODARAN NEELAM
श्रीवास्तव नागेश कुमार	SRIVASTAVA NAGESH KUMAR
शर्मा मुरारी लाल	SHARMA MURARI LAL
भुयां गगन बिहारी	BHUYAN GAGAN BIHARI
सोनी राधा किशन	SONI RADHA KISHAN
उपरेती नवीन चंद्र	UPRETI NAVIN CHANDRA
अरोरा सतीश कुमार	ARORA SATISH KUMAR
टक्कर एरिक फ्रांसिस	TUCKER ERIC FRANCIS
सिंग्ला आदेश कुमार	SINGLA ADESH KUMAR
गुप्ता सुरेश कुमार	GUPTA SURESH KUMAR
माथुर राधाकांत	MATHUR RADHAKANT
अनेजा अशोक	ANEJA ASHOK
झुरमरवाला दिपेश नरेंद्रकुमार	JHURMARVALA DIPESH NARENDRAKUMAR
परांजपे सुहास भार्गव	PARANJAPE SUHAS BHARGAV
शर्मा राम निवास	SHARMA RAM NIWAS
पोतलापल्ली नरसिम्हा राव	POTALAPALLY NARSIMHA RAO
पटेल महेश सोमाभाई	PATEL MAHESH SOMABHAI
रविंद्र कुमार	RAVINDRA KUMAR
गुप्ता कुल भुषण	GUPTA KUL BHUSHAN
कुमार बिरेंद्र	KUMAR BIRENDRA
सामंत सदानंद राजाराम	SAMANT SADANAND RAJARAM
नरिंद्र कुमार पवार	NARINDER KUMAR PAWAR
कौल कृष्ण ओपिंदर	KAUL KRISHEN OPINDER
पांडा गोलक बिहारी	PANDA GOLAK BIHARI
कुमार राजेंद्र	KUMAR RAJENDRA
डुडेजा विनीत कुमार	DUDEJA VINEET KUMAR
राजू गुप्ता - मुख्य सतर्कता अधिकारी	RAJU GUPTA - CHIEF VIGILANCE OFFICER



विषय सूची	पृष्ठ	Contents	Page
अध्यक्ष का संदेश	03	Chairman's Statement	04
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	05	MD & CEO's Statement	08
निदेशकों की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ	12	Highlights of Directors' Report	23
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परिक्षकों का प्रमाण-पत्र	34	Auditor's Certificate on Corporate Governance	34
कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ	35	Highlights of Corporate Governance Report	35
सीईओ द्वारा घोषणा	64	Declaration by MD & CEO	64
संक्षिप्त तुलन पत्र	65	Abridged Balance Sheet	65
संक्षिप्त लाभ व हानि खाता	68	Abridged Profit & Loss Account	68
संक्षिप्त नकदी-प्रवाह विवरण	71	Abridged Cash Flow Statement	71
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	72	Significant Accounting Policies	72
लेखों पर टिप्पणियां	82	Notes to Accounts	82
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	115	Auditors' Report	115
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	124	CEO / CFO Certification	124
नोटिस	125	Notice	125
हरित पहल - शेयरधारकों से अपील	126	Green Initiative-Appeal to Shareholders	126
इलेक्ट्रॉनिक मैनडेट फार्म		Electronic Mandate Form	

लेखा परीक्षक / AUDITORS

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For S R Goyal & Co.
Chartered Accountants

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
For Wahi & Gupta
Chartered Accountants

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For Rodi Dabir & Co.
Chartered Accountant

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वड़ोदरा 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.),
मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

तृतीय तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट क्र. 31 व 32, गोचीबॉवली, फाइनांसियल
डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

हमारे बैंक के डिबेंचर न्यासी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भू-तल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलाई एस्टेट,
मुंबई - 400 001

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051.

Investor Services Department

3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit - Bank of Baroda
Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032

Debenture Trustees of our Bank

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,
Ballard Estate
Mumbai - 400 001

नोट : शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 के संपूर्ण पाठ के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in देखें.

Note : Shareholders are requested to visit Bank's website www.bankofbaroda.co.in to get the full version of Annual Report 2015-16.

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारक,

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूर्णतया संकटों के बीच घिरे हुए हैं और वह भी एक नहीं बल्कि तीन-तीन संकटों के बीच. पहला संकट है अशोध्य ऋणों और दबावग्रस्त आस्तियों का. इसके प्रभाव ने अधिकांश बैंकों के प्रबंधन का ध्यान पूर्णतया अपनी ओर आकर्षित कर रखा है. दूसरी चुनौती है निजी क्षेत्र के प्रतियोगी बैंकों के सापेक्ष इन बैंकों की क्षयग्रस्त प्रतियोगात्मक क्षमता. भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास ऋणों का लगभग 25% हिस्सा है, परंतु समग्र लाभ का 50% से अधिक हिस्सा और तुलना में अशोध्य ऋणों एवं धोखाधड़ियों का बिलकुल कम प्रतिशत उनके पास है. हाल ही के महीनों में निजी क्षेत्र की उधारियां अस्थायी रूप से बढ़ कर लगभग आधे हिस्से तक पहुँच गई. इसका यही अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व्यवस्थित रूप से अपना हिस्सा खोते जा रहे हैं और वह भी अधिक लाभप्रद और कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में. बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कई नए प्लेयर्स के आगमन के साथ प्रतियोगात्मक चुनौतियों में प्रभावी रूप से वृद्धि हुई है. अंतिम चुनौती है प्रौद्योगिकी संबंधी. वैश्विक रूप से उद्यम-पूजी समर्थित स्टार्टअप, वे सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें पूर्व में बैंकों ने छोड़ रखा है और प्रायः वे वे सेवाएँ पुराने बड़े बैंकों से बेहतर ढंग से, शीघ्रता से एवं किफायती मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं. भुगतान, खुदरा ऋण, परामर्श सेवाएँ सभी 'फिन-टेक' द्वारा छिन्नभिन्न हो रहे हैं और यदि बैंक अपनी गति नहीं बढ़ाएँगे तो उनके सामने जोखिम यह है कि वे अपने उत्तम ग्राहकों एवं अधिक लाभप्रद व्यवसाय को खो देंगे एवं उनके पास बच जाएंगे, शाखाओं एवं एटीएम नेटवर्क जैसे उच्च लागत वाले आधारभूत संसाधन एवं नगण्य लाभदायक ग्राहक.

बैंक ऑफ बड़ौदा में, हम इन संकटों से प्रतिरक्षा की स्थिति में नहीं हैं, तथापि इन चुनौतियों से बचाव के संदर्भ में हम अन्य कई बैंकों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं. प्रबंधन ने दबावग्रस्त और अनर्जक आस्तियों के निर्धारण हेतु निर्णायक कदम उठाए हैं और उनके संबंध में आक्रामक कार्रवाई की है. इसके पीछे मुख्य प्रेरणा थी इन संकटों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ना, जिससे कि हम मजबूत स्थिति में ऊपर उठ सकें एवं अतीत के बजाय भविष्य पर ध्यान केन्द्रित कर सकें. यह नितांत महत्वपूर्ण है, जिससे कि प्रबंधन चुनौतियों का सामना कर सके और आगे उपलब्ध कई अवसरों का लाभ उठा सके. मुझे एवं निदेशक मण्डल को विश्वास है कि जो संकट थे वे पीछे छूट गए हैं.

बैंक ने व्यवसाय के सभी हिस्सों की व्यापक समीक्षा की है और भविष्य के लिए बैंक को आधारभूत स्तर से पुनःप्रतिष्ठित करने की कई योजनाएँ तैयार की हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य बेहतर नियंत्रण एवं अनुपालनायुक्त एक कुशल और सक्षम संगठन के निर्माण का है. पूंजी बढ़ाने के लिए गैर-प्रमुख आस्तियों की क्रमशः बिक्री की जाएगी. प्रबंधन ने हमारे व्यवसाय पोर्टफोलियो की गहन समीक्षा की है और गैर-लाभदायक व्यवसायों और क्षेत्रों से उत्तरोत्तर निकल जाने का विचार किया है, जिससे मार्जिन और फ्री-अप पूंजी में वृद्धि होगी जिन्हें ऐसे बेहतर गुणवत्ता वाले ग्राहकों और कई अच्छे अवसरों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जा सकता है, जो चले गए हैं. हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बैंक शीघ्र ही लाभप्रदता के ऐतिहासिक स्तर पर पुनः वापसी करेगा.

प्रौद्योगिकी हमारे बैंक के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सूचना किसी भी बैंक के लिए जीवन प्रवाह है और बैंक निरन्तर परिष्कृत सूचना प्रक्रिया इकाइयों की ओर बढ़ रहा है. हमारे बैंक के पास अच्छे आधारभूत संसाधनों, कोर बैंकिंग प्रणाली एवं सम्प्रेषण और सहयोग हेतु अच्छे सॉफ्टवेयर सहित मजबूत प्रौद्योगिकी की बुनियाद है. उल्लेखनीय है कि बैंक ने साइबर सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु दृढ़तापूर्वक ध्यान दिया है. अगली कुछ तिमाहियों में चार क्षेत्रों में क्षमताओं का उल्लेखनीय उन्नयन होगा. प्रथम है, गति, दक्षता एवं नियंत्रण हेतु कोर व्यवसाय प्रक्रियाओं की रिइंजीनियरिंग एवं ऑटोमेशन, दूसरा, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग के अंतर को कम करना, तीसरा, सूचना एवं विश्लेषण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को बढ़ाना और अंत में, एक अधिक डिजिटल



रवि वेंकटेशन
अध्यक्ष

सेवी बैंक में रूपान्तरण करना जहां हम विचार करने के बाद डिजिटल न बनें बल्कि स्वतः (बाय डिफॉल्ट) डिजिटल होते चलें.

निर्विवाद रूप से, हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूपान्तरण है, हमारे लोगों एवं संगठनात्मक क्षमताओं का रूपान्तरण. यह अन्य सभी सफलताओं का केंद्र बिन्दु है. इस वर्ष हमने पहली बार कर्मचारियों की सहबद्धता का सर्वेक्षण आयोजित किया. इसका प्रतिभाव उत्साहवर्धक रहा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार रेखांकित किए गए. आगामी तीन वर्ष कर्मचारियों की शिक्षा, भविष्य के नेतृत्व की पहचान और उनके निर्माण तथा प्रमुख क्षेत्रों में संगठनात्मक क्षमता के निर्माण के साक्षी बनेंगे.

अंततः इस वर्ष हमने अपने निदेशक मण्डल एवं निदेशक मण्डल के गवर्नेंस को सुव्यवस्थित रूप से मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास कई नए निदेशक हैं, जो मानव संसाधन, लेखा परीक्षा एवं अनुपालन जैसे क्षेत्रों में आवश्यक दक्षता लाएँगे. हम मानव संसाधन, आईटी, जोखिम प्रबंधन एवं वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में निदेशक मण्डल के परामर्शदाता के रूप में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठाप्राप्त विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं. हमने अपना ध्यान संव्यवहारगत मामलों से कार्यनीति, जोखिम एवं नीतिगत मामलों पर अंतरित किया है. मुझे आशा है कि ये परिवर्तन बैंक के कार्यनिष्पादन में क्रमशः सुधार लायेंगे.

गत वर्ष हमारे बैंक के लिए नाटकीय परिवर्तनों का वर्ष रहा. इस वर्ष निजी क्षेत्र के कार्यपालकों का बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में प्रवेश हुआ. हमारे हितधारक केवल परिणामों में सुधार की अपेक्षा नहीं करते बल्कि इस 108 वर्ष पुरानी गौरवपूर्ण संस्था को ऐसे समसामयिक बैंक में रूपांतरित देखना चाहते हैं जिसमें विशिष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों वाले भरोसे के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बैंकों की नवोन्मेषिता और कार्यनीति दोनों का सम्मिश्रण हो. यही हमारा मिशन है जिसे हमने प्रारम्भ किया है और जिस पर हम ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं.



रवि वेंकटेशन



CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Stakeholder,

India's public sector banks are in the midst of a perfect storm- at the center of not one but three storm fronts. The first one is the legacy of bad loans and stressed assets. The magnitude of this has completely consumed the attention of the management of most banks. The second challenge is the eroding competitiveness of our public sector banks relative to private sector competitors. India's private sector banks account for about 25% of lending but over 50% of all profits and a disproportionately smaller percentage of bad loans and frauds. In recent months, the share of private sector lending has temporarily risen to nearly half. What this means is that public sector banks are systematically losing share and that too of our most profitable and least risky customers. With the entry of many new players who have gained banking licenses, the competitive challenge is set to increase dramatically. The final challenge is that of technology. Globally, venture capital backed startups are using technology to provide the services that were historically the remit of banks and are often providing these services better, faster and cheaper than large legacy banks. Payments, retail lending, advisory services, are all being disrupted by "fin tech". The risk for banks is that unless they move quickly, their best customers and most profitable businesses will be skimmed off leaving them stranded with high cost infrastructure like branches and ATM networks and the least profitable customers.

At the Bank of Baroda, we are not immune to these storms but we are better positioned to weather these challenges than many other banks. Management has taken decisive steps to recognize stressed and non-performing assets and aggressively deal with these. The main motivation is to put this crisis behind us so that we can emerge stronger and be able to focus on future rather than past. This is absolutely critical so that management can deal with the challenges and the many opportunities that lie ahead. The Board and I are confident that the worst is behind us.

The Bank has also undertaken a comprehensive review of all parts of the business and has evolved a detailed set of plans to fundamentally reposition the Bank for the future. These plans are intended to create a more agile and capable organization with better controls and compliance. Non-core assets will gradually be sold to raise capital. Management has conducted a detailed review of our business portfolio and intends to gradually exit unprofitable businesses and segments; this will improve margins and free up capital that can be deployed in pursuit of better quality customers and many good business opportunities that exist. We can expect to see the Bank rapidly return to historical levels of profitability.

Technology will play a critical role in revitalizing our Bank. Information is the lifeblood of a bank and banks are increasingly very sophisticated information processing units. Our Bank has a solid technology foundation with good infrastructure, core banking system and good software for communication and collaboration. Importantly, the Bank has also devoted significant attention to ensuring cybersecurity and privacy. Over the next few quarters, there will be a significant upgradation of capabilities in four areas. First, in reengineering and automating core business processes to enable speed, efficiency and control. Second, in closing the gap in internet and mobile banking. Third, in improving our capability in the vital area of big data and analytics. And finally, in transforming into a more digitally savvy Bank where



Ravi Venkatesan
Chairman

increasingly we are digital by default rather than digital by after-thought.

Unquestionably, the most important transformation that we will need to make is the transformation of our people and organizational capability. This is central to the success of everything else. This year, the Bank undertook an employee engagement survey for the first time. The response has been overwhelming and highlighted a number of critical areas for improvement. The next three years will see a massive investment in employee learning, in identifying and accelerating the development of future leaders and in building organizational capability in key areas.

Finally, this year we began the process of systematically strengthening our Board and board governance. We are fortunate to have a number of new Directors who bring much needed skills in areas such as HR, IT, audit and compliance. We are also augmenting expertise through the appointment of globally respected experts as advisors to the Board in areas such as IT, HR, Risk, and financial inclusion. We have radically shifted our focus from transactional matters towards strategy, risk and policy issues. I am optimistic that these changes will gradually bring about a sustainable improvement in the performance of the Bank.

The past year has been a year of dramatic change at our Bank. It is a year which has witnessed the induction of private sector executives into the roles of MD and Chairman. Our stakeholders expect not just an improvement in results but a metamorphosis of this proud 108 year old institution into a contemporary Bank that uniquely combines the trust of public sector banks with the innovation and performance of the leading private sector banks. This is the mission that we have undertaken and are focused on.

Ravi Venkatesan

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

मैं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर प्राप्त करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मुझे इस प्रतिष्ठित बैंक का नेतृत्व सौंपने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस -108- वर्ष की संस्था को आगे बढ़ाने एवं नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने तथा बैंक को अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्यवर्धन के प्रति समर्पित एक आधुनिक एवं समसामयिक बैंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

मेरे लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना हर्ष का विषय है।

आर्थिक विहंगावलोकन

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए जिनका विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बेहतर विकास संकेतकों के कारण अमरीकी फेडरल ने अपनी बेंचमार्क पॉलिसी दर में बढ़ोत्तरी की। अन्य विकसित देशों जैसे जापान एवं यूरोपीय संघ ने विकास की दुर्बल संभावनाओं के कारण समायोजन की स्थिति को बनाए रखा है। यूआन के अवमूल्यन के कारण चीन में मंदी और आर्थिक गतिविधियों के पुनर्सन्तुलन का वैश्विक व्यापार, वित्तीय बाजार तथा मुद्रा संचलन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। इन सब के बीच, पण्य बाजार विशेषतया तेल की कीमतें पूरे वर्ष के दौरान नियंत्रित रहीं। समग्रतः वैश्विक विकास परिदृश्य बढ़े हुए नकारात्मक जोखिम की ओर अग्रसर है।

इस पृष्ठभूमि में, अपनी अन्तर्निहित शक्तियों, जैसे मजबूत घरेलू खपत, मजबूत व्यष्टिगत आर्थिक सिद्धांतों तथा सुधारोन्मुख सरकार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे तेज आगे बढ़ी है। महत्वपूर्ण मानदण्डों, जैसे चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति स्तर, विदेशी मुद्रा भंडार तथा मजबूत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सुधार हुआ है।

तथापि, औद्योगिक, व्यापार और कृषि क्षेत्र पर दबाव के कारण घरेलू परिचालनगत परिवेश चिन्ता का कारण बना रहा। कुछ क्षेत्रों में, विशेष कर इंधन, ऊर्जा एवं इस्पात में कार्पोरेट जगत के तुलन पत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ एवं उपभोग क्षमता मंद रही, जिसने उनके अर्जन और लाभप्रदता को कमजोर कर दिया। निजी निवेश के माहौल में मंदी जारी रही क्योंकि काफी कम संख्या में नई परियोजनाएं आरंभ हो रही हैं तथा बाधित परियोजनाओं को पूरा करने की गति काफी धीमी रही है।

चुनौतीपूर्ण परिचालनगत माहौल के कारण, भारतीय बैंकिंग उद्योग ने जमा तथा उधार में अपेक्षाकृत मंद वृद्धि, दबावग्रस्त आर्स्ति गुणवत्ता, घटती लाभप्रदता, खराब पूंजीगत स्थिति का सामना किया। बैंकों की सकल गैर निष्पादक आर्स्तियों (जीएनपीए) में पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है जो उद्योग के सामने आई चुनौतियों में प्रतिबिम्बित हो रही है। यद्यपि यह दबाव विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तारित है किन्तु प्रमुख रूप से लौह एवं इस्पात, इंधन, ऊर्जा, खनन एवं कपड़ा क्षेत्र में देखा जा सकता है।

सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों बैंकिंग क्षेत्र की परेशानियों के कारणों को दूर करने हेतु सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वर्ष 2015 से 19 की 4 वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 70,000 करोड़ का पूंजी आबंटन, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों का विभाजन, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, अशोध्य ऋणों की समस्या का समाधान एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को सशक्त बनाना आदि



पी.एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

शामिल हैं। साथ ही, सरकार ने दिवालियापन कानून पारित किया है, जो मेरी राय में दीर्घकालीन दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय सिद्ध होगा।

उसी प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने के कई उपाय किए। इनमें संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) द्वारा दबावग्रस्त आर्स्तियों हेतु आवधिक पुनर्वित्त तथा लचीली संरचना के एक भाग के रूप में दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए एक दीर्घकालीन चुकौती तालिका का निर्धारण, ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए प्रावधानयुक्त पुनर्गठन, इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी ऋणकर्ताओं के वर्गीकरण के विषय में दिशानिर्देश जारी करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग की विशेष आर्स्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की। परिणामस्वरूप बैंकों के सकल एनपीए एवं प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसने उनकी लाभप्रदता को प्रभावित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अचल आर्स्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रुपांतरण प्रारक्षित निधियों में शेष राशि तथा सीईटी-1 के भाग के रूप में समय के अंतरों से उत्पन्न अस्थगित कर आर्स्तियां आदि रूप में नियामक पूंजी पर्याप्तता प्रदान की जिसने बैंकों की पूंजीगत स्थिति को समर्थन दिया।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

मैं वर्ष के कार्यनिष्पादन संबंधी कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा। जहां तुलन पत्र के अंतिम आंकड़े तिमाही/वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति प्रस्तुत करते हैं, वहीं किसी बैंक के औसत व्यावसायिक आंकड़े उसके वास्तविक कार्यनिष्पादन को दर्शाते हैं। वर्ष 2015-16 से आपके बैंक ने अपने व्यवसाय लक्ष्यों के आबंटन एवं सभी परिचालनगत इकाइयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा औसत व्यवसाय आंकड़ों (दैनिक औसतों पर आधारित) के आधार पर करने संबंधी दृष्टिकोण अपनाने का नीतिगत परिवर्तन किया।



जमाराशियां

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान, आपके बैंक ने अपने परिचालनों को समेकित किया और अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करते हुए अपनी देयताओं की लागत को घटाने एवं आस्तियों में अर्जन को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए निरंतर कार्यनिष्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया। इस प्रकार बैंक की कुल जमाराशियां गत वर्ष के ₹ 6,17,560 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2016 को ₹ 5,74,038 करोड़ रहीं। आपके बैंक ने अधिमानित दर की मीयादी बल्क जमाओं की अपेक्षा खुदरा मीयादी जमाओं के पक्ष में अपना स्ख जारी रखा। कुल खुदरा जमाओं से खुदरा मीयादी जमा (घरेलू) अनुपात गत वर्ष के 62.79% से बढ़कर 31.03.2016 को 73.96% रहा। घरेलू कासा अनुपात गत वर्ष के 33.01% की तुलना में 33.48% पर स्थिर रहा। घरेलू बचत जमाओं में 6.11% की वृद्धि के साथ यह ₹ 1,13,253 करोड़ रही। बैंक की औसत जमाराशियां दैनिक औसत आधार पर 8.20% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2015 के ₹ 5,34,470 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को ₹ 5,78,317 करोड़ हो गईं। बचत जमाराशियां औसत आधार पर 12.71% की वृद्धि दर्शाते हुए गत वर्ष के ₹ 94,705 करोड़ के स्तर से ₹ 1,06,739 करोड़ हो गईं।

अग्रिम

आपके बैंक के अग्रिम गत वर्ष के ₹ 4,28,065 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 को ₹ 3,83,770 करोड़ रहे। पोर्टफोलियो के समेकन एवं पुनःसंतुलन के दृष्टिकोण से आपका बैंक बड़े कार्पोरेट एवं एसएमई क्षेत्र को ऋण देने में सतर्क रहा। औसत आधार पर (दैनिक औसतों पर) बैंक के कुल अग्रिम दिनांक 31.03.2015 के ₹ 3,83,313 करोड़ की तुलना में 5.69% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2016 को ₹ 4,05,126 करोड़ रहे। आपके बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो वर्ष 2015-16 में ₹ 50,868 करोड़ रहा।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

आपके बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय ने कुल व्यवसाय को महत्वपूर्ण समर्थन देना जारी रखा। 31.03.2016 को इसने वैश्विक व्यवसाय में 31.3% का योगदान किया। कुल अंतर्राष्ट्रीय ऋण-बही में 47.92% हिस्सा क्रेता-क्रेडिट/बीपी बीडी पोर्टफोलियो का रहा, जहाँ एक्सपोजर बैंक पर है। भारत संबंधित कार्पोरेट एवं गैर-भारतीय इकाइयों को संघीय ऋणों/ईएसबी के रूप में एक्सपोजर क्रमशः 22.03% तथा 4.03% रहा। शेष 25.75% एक्सपोजर स्थानीय ऋणों के रूप में था।

दबावग्रस्त आस्तियां

विगत कुछ वर्षों में बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दबावग्रस्त आस्तियों की समस्याओं में विभिन्न कारणों, जैसे कि खराब व्यष्टिगत आर्थिक स्थिति, बाधित परियोजनाएं, कार्पोरेट कंपनियों के तुलन-पत्र में अत्यधिक विस्तार होना, क्षमता का उचित उपयोग न होना तथा दबावग्रस्त नकदी प्रवाह आदि के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके कारण बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) 31.03.2015 के ₹ 16,261 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 को ₹ 40,521 करोड़ हो गयी। वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा की गई ऋण बहियों की गहन समीक्षा के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा के दौरान कुछ आस्तियों को एनपीए के रूप में चिह्नित किया। पूरे वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष 2016 में सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए क्रमशः 9.99 % तथा 5.06% रहे। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वित्तीय वर्ष 16 की तीसरी तिमाही के 52.70% की तुलना में वित्तीय वर्ष 16 में 60.09% रहा। बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात को इस स्तर तक मजबूत बनाने हेतु नियामक आवश्यकताओं से अधिक ₹ 2,954 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया।

बैंक के मानक पुनर्संचित अग्रिम मार्च 2015 के ₹ 25,905 करोड़ से घटकर मार्च 2016 में ₹ 13,735 करोड़ रहे।

लाभ

आपके बैंक ने बढ़ते एनपीए तथा उसके कारण ₹ 12,740 करोड़ (गत वर्ष ₹ 13,127 करोड़) की कम निवल ब्याज आय के फलस्वरूप ₹ 8,816 करोड़ (गत वर्ष ₹ 9,915 करोड़) का कम परिचालनगत लाभ अर्जित किया, तथापि कुल राजस्व, अन्य आय में 13.56% की वृद्धि सहित बढ़कर ₹ 17,739 करोड़ हुआ (गत वर्ष ₹ 17,589 करोड़)। वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए ₹ 13,766 करोड़ का प्रावधान किया है (गत वर्ष ₹ 3,998 करोड़)। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये प्रावधान विनियामक आवश्यकता से ₹ 2,954 करोड़ अधिक रहे, ताकि दबावग्रस्त आस्तियों के प्रावधान कवरेज में सुधार लाया जा सके और साथ ही साथ तुलन पत्र को मजबूती प्रदान की जा सके। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आपके बैंक ने एलआईसीआई 1994-96 की पुरानी मृत्युदर गणना चार्ट की जगह आईएएलएम 2006-08 की गणना के अनुसार पेंशन देयता के लिए ₹ 1,564 करोड़ का प्रावधान किया। आपके बैंक ने आज तक की सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब से सारा ध्यान अर्जन बढ़ाने एवं हितधारकों को बेहतर प्रतिफल उपलब्ध करवाने पर केन्द्रित किया जा रहा है। इन सभी कारकों के कारण, बैंक ने ₹ 5396 करोड़ की हानि दर्ज की (पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ ₹ 3398 करोड़)।

पूंजी

एक मजबूत फ्रेंचाइज के आधार पर आपके बैंक की अर्जन शक्तियां निरंतर सुदृढ़ रही हैं, जिसका लाभ बैंक को एवं उसके ग्राहकों और हितधारकों को मिलता रहा है। इस वर्ष वित्तीय स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी, मार्च 2016 की समाप्ति पर बेसल III के अनुरूप 10.79% के टियर 1 पूंजी अनुपात के साथ आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.17% पर स्वस्थ बना रहा है। बेसल III मानदंडों के अनुरूप सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी-1), 10.29% रहा। मार्च 2016 के अंत में समेकित ग्रुप पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.63% रहा। आपके बैंक को विश्वास है कि वह 2016-17 में अपने प्रमुख प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार से किसी भी प्रकार की पूंजी सहायता लिए बिना अपने ग्राहकों की ऋण विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगा। हमने तदनुसार सरकार को सूचित कर दिया है अतः इस कारण से इस वित्तीय वर्ष में हमारे हितधारकों को इक्विटी विलयन का कोई खतरा नहीं है।

संक्षेप में, आपके बैंक ने कठिन समय को सुरक्षित पार कर लिया है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी आंतरिक शक्तियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

की गई नई पहलें:

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्रमुख रूपांतरण पहल की शुरुआत की है जिसमें उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं व्यवसाय योजना में परिवर्तन का समावेश होगा। इस रूपांतरण में, लक्ष्य बाजार का निर्धारण, बैंक के ग्राहक फ्रेंचाइज को सुधारने के लिए व्यवसाय का पुनः बदलना एवं पुनः संतुलित करना, बैंकिंग परिचालन को उपयुक्त बनाने के लिए तकनीक पर जोर, प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन जिससे कि ग्राहकों को दी जानेवाली सेवाओं में सुधार हो, शुल्क आधारित आय में सुधार, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना एवं बैंक में अनुपालन वातावरण में सुधार लाना सम्मिलित हैं। इन रूपांतरण पहलों का उद्देश्य बैंक को अपने सभी हितधारकों के मूल्य-संवर्धन के प्रति समर्पित एक आधुनिक एवं समसामयिक बैंक बनाना है। कुछ नई एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय पहल निम्नानुसार हैं:

समग्र व्यावसायिक कार्यनीति: आपके बैंक ने ग्राहक फ्रेंचाइज को बढ़ाने के लिए लक्ष्य बाजार के निर्धारण पर सक्रिय रूप से ध्यान केन्द्रित करने एवं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की पुनः संरचना सहित घरेलू एवं साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हेतु व्यवसाय योजना की व्यापक समीक्षा की है। योजना में वसूली एवं संग्रहण प्रणाली को मजबूत करना, ऋण गुणवत्ता को बढ़ाना एवं कोर लाभप्रदता में सुधार करने का भी समावेश किया गया है। बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की समीक्षा भी की है एवं वर्तमान



क्षेत्रों, जो फ्रेंचाइज में मूल्य नहीं जोड़ रहे हैं, के साथ अधिक राजस्व अर्जन करनेवाले क्षेत्रों की ओर पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने के लिए कदम भी उठाए हैं।

जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण: प्रभावी पूंजी नियोजन एवं अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, आपके बैंक ने कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो के तहत ऋण जोखिम हेतु पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआरओसी) के अनुपालन हेतु कदम उठाए हैं जिसे अन्य ऋण क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। विविध खंडों में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने विषय विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया है। अपनी आंतरिक ऋण रेटिंग की समीक्षा एवं विस्तार करने के उद्देश्य से बैंक एक प्रतिष्ठित ऋण रेटिंग एजेंसी के साथ कार्यरत है।

वसूली एवं संग्रहण : बैंक में वसूली एवं संग्रहण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक प्रतिबद्ध दल बनाया गया है। इसी क्रम में, सभी खातों के लिए संग्रहण की जिम्मेदारी रिलेशनशिप प्रबंधक को आबंटित की गई है। बैंक एक सुव्यवस्थित वसूली इंजन लागू करने की प्रक्रिया में है। वसूली एवं संग्रहण प्रक्रिया मजबूत बनाने के लिए आपके बैंक ने प्रतिष्ठित, उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी फर्मों एवं मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया है।

उत्पाद एवं चैनल्स : आपके बैंक ने उद्योग जगत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को उपलब्ध करवाने एवं उत्पादों को सुधारने के लिए मौजूदा अंतर को निर्धारण करने हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया पूरी की है। बंधक व्यवसाय में, बैंक ने मुंबई में प्रथम स्पेशलाइज्ड मॉर्गेंज स्टोर (एसएमएस) का शुभारंभ किया। मुंबई में ही अब तक चार और स्टोर का शुभारंभ किया गया है। आपके बैंक ने एक शाखा की पुनर्संरचना प्रक्रिया का प्रारंभ किया है जिसे मुंबई में प्रायोगिक आधार पर पूरा किया गया।

प्रक्रियाओं का समेकन : आपके बैंक ने शाखा स्तर पर केवल आवश्यक गतिविधियां रखने एवं कर्मचारियों का बिक्री हेतु अधिक समय उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ शाखाओं के स्तर के कार्यों एवं गतिविधियों की संपूर्ण समीक्षा की है।

यह परिचालन एवं विविध प्रक्रियाओं को दो शेयर्ड सर्विस सेंटर के तहत समेकित करने की दिशा में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संगठन की संरचना की समीक्षा की जा रही है जिससे कि बैंक के परिचालनों की उत्पादकता एवं संस्था की प्रभावशीलता में वृद्धि हो।

डिजिटल पहलें : अब तक बैंक एटीएम, कैश रिसाइक्लर्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, 24x7 नॉन-स्टॉप लॉबीज, कान्टेक्टर सेंटर्स आदि जैसे वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब बैंक ने सुविधाजनक बैंकिंग की दृष्टि से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कई पहलें शुरू की हैं। टचप्वाइंट के विस्तार के माध्यम से ग्राहकों की डिजिटल पहुंच बढ़ी है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन हेतु प्रमुख प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। वर्कफ्लो आधारित सॉल्यूशन की जांच प्रगति पर है। जब ये परिवर्तन पूरे हो जाएंगे, तब ग्राहकों तथा कर्मचारियों के लिए संव्यवहार एवम् प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएंगी।

सोशल मीडिया: ब्रांड को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने दिनांक 01.01.2016 को फेसबुक एवं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति की शुरुआत कर सोशल चर्चा की एक और सीढ़ी पार की है। इसके माध्यम से आपका बैंक जनसांख्यिक एवं भौगोलिक रूप से वैयक्तिक ग्राहकों के साथ जुड़ा है। सोशल मीडिया उत्पाद प्रचार एवं ग्राहक शिक्षण तथा गहरे संबंध बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। आपके बैंक ने फेसबुक एवं ट्विटर पर OneInALeap सोशल मीडिया प्रतियोगिता की शुरुआत की जिससे डिजिटल स्पेस में बैंक की ब्रांड दृश्यता बढ़े एवं अपेक्षित लक्ष्य खंडों में जागरूकता का निर्माण हो सके। नए शुरू किए गए वन स्टॉप स्टोर हेतु ब्रांड एवं उत्पादक जागरूकता के दो उद्देश्यों के साथ बड़ीदा

स्पेशलाइज्ड मॉर्गेंज स्टोर (एसएमएस) अभियान की शुरुआत की गई। कर्मचारियों में अभिमतों एवं जानकारीयों के आदान-प्रदान हेतु फेसबुक पर एक अलग ग्रुप के रूप में एक समर्पित प्लेटफॉर्म सृजित किया गया है।

वित्तीय समावेशन : आपका बैंक, बैंक रहित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग के तहत लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन संबंधी कई पहलें की हैं जिससे ग्राहकों को बैंकिंग में आसानी होगी, जैसे बीसी प्वाइंट पर तुरंत खाता खोलना। शाखा और बीसी प्वाइंट पर ई-केवाईसी क्रियान्वित किया गया है। आपके बैंक ने खाता खोलने को सरल बनाने के लिए कई परिवर्तन किए हैं, जैसे केवायसी दिशानिर्देशों का सरल अनुपालन एवं बहुविध माध्यमों से आधार सीडिंग। मोबाइल बैंकिंग सुविधा जैसे बैलेंस पूछताछ, धन अंतरण करना, लघु विवरणी आदि मूलभूत मोबाइल हैंडसेट पर उपलब्ध करवाई गई है जहां रोजमर्रा की जानकारी आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण : आंतरिक कौशल के विकास हेतु आपके बैंक ने अपनी प्रशिक्षण एवं लर्निंग प्रणाली को श्रेष्ठ बनाने हेतु उसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस ने प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों एवं व्यवसाय स्कूलों से करार किया है जिससे बैंक स्टाफ को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा सके, साथ ही, बाह्य तथा आंतरिक विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं जो बैंक में सभी संवर्ग में दक्षता के उन्नयन में सहायक बनेंगे। विशेषीकृत क्षेत्रों एवं कार्यों में दक्षता बढ़ाने हेतु आपके बैंक ने बाह्य प्रतिभाओं की भी सेवाएं ली हैं। साथ ही, आपके बैंक ने कर्मचारियों की सहबद्धता का सर्वेक्षण किया जिसमें 85% सहभागिता रही और इसके परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है।

कर्मचारी हितैषी संगठन: आपके बैंक ने क्षमता निर्माण एवं प्रतिभा को रोके रखने की दिशा में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव शक्ति पूर्णतः सुविधा संपन्न हो, अभिप्रेरित हो तथा बैंक में जारी व्यापक रूपान्तरण में सक्रिय रूप से सहभागी बने। कर्मचारियों को दक्ष बनाने के साथ ही, आपका बैंक अपने कर्मचारियों को शारीरिक रूप से फिट रखने एवं स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का भी ध्यान रखता है। आपके बैंक ने मैराथॉन क्लब एवं योग की कक्षाएं आयोजित करने जैसे कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की कई पहल की हैं। आपके बैंक ने महिला स्टाफ सदस्यों के योगदान के सम्मान एवं सराहना हेतु महिला दिवस भी आयोजित किया। साथ ही प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच संवाद बढ़ाने हेतु दो तरफा वेबकास्ट के आंतरिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

संभावनाएं:

अब हम रूपान्तरण के नए पथ की ओर अग्रसर हैं व भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर होने जा रही है और इस स्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि हम उच्च आरओई एवं आरओए हासिल करेंगे। हमारा ध्यान गुणवत्तायुक्त अर्जन के साथ बैंक के निरंतर विकास पर केन्द्रित रहेगा। हमें विश्वास है कि व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों और प्रौद्योगिकी पर नीतिगत ध्यान केन्द्रित करने से हम उभरते व्यावसायिक परिदृश्य में अग्रणी स्थिति बनाए रख सकेंगे।

हमारा विश्वास है कि हमारी कार्यनीति आने वाले वर्षों में हमारे विकास की एक मजबूत नींव सिद्ध होगी। हमें आशा है कि हमारे सभी शेयरधारकों से हमें निरंतर समर्थन और शुभेच्छा प्राप्त होती रहेंगी।

पी.एस. जयकुमार

पी.एस. जयकुमार



MD & CEO'S STATEMENT

Dear Stakeholder,

I am humbled to have the opportunity to lead Bank of Baroda as MD & CEO and thank the Government of India for entrusting me the responsibility to lead this esteemed Bank in such challenging times. I am committed to lead this 108-year-old institution and take it to greater heights and make the Bank a modern and contemporary Bank committed to increase the value for all its stakeholders.

It is my pleasure to present the Annual Report and Financial Statement of Bank of Baroda for the year ended March 31, 2016.

Economic Overview

The financial year 2016 saw major realignments in the global economy having a far reaching impact on the growth prospects of advanced and emerging economies. The US Fed increased its benchmark policy rate due to improved growth indicators. Other advanced countries such as Japan and the European Union continued their accommodative stance due to weak growth prospects. The slowdown and rebalancing of the economic activity in China with the devaluation of Yuan had significant spill over across the global trade, financial markets and currency movements. Amidst these, the commodity markets, in particular, the oil prices remained subdued throughout the year. Overall, the global growth prospects are inclined towards increased downside risks.

Against this backdrop, India has emerged as the fastest growing economy among large economies of the world due to its intrinsic strengths such as strong domestic consumption, greater macroeconomic fundamentals and a reform oriented government. Crucial parameters such as current account deficit, fiscal deficit, inflation level, foreign exchange reserves and foreign direct investments have improved.

However, the domestic operating environment remained a cause for concern with the industrial, trade and agriculture sector reeling under pressure. In some sectors especially infra, power and steel, the corporate balance sheets are over leveraged and had low capacity utilization which weakened their earnings and profitability. Private investment climate continued to be weak with lower new projects being commissioned and slower completion of stalled projects.

Due to the challenging operating environment, the Indian banking industry faced relatively subdued deposit and credit growth, stressed asset quality, weakening profitability and deteriorating capital positions. The gross non-performing assets (GNPAs) of the banks have increased substantially in the last couple of years reflecting the challenges faced by



P S Jayakumar
Managing Director and CEO

industries. Though the stress is spread across diverse sectors, it can be predominantly seen in iron & steel, infrastructure, power, mining and textile.

The Government and RBI are taking proactive steps to address concerns confronting the banking sector. Some of the key actions of Government include capital allocation of ₹ 70,000 crore for PSBs during 4 years period FY'16 to FY'19, segregation of the position of Chairman and MD & CEO, formation of Bank Board Bureau, steps to resolve bad debt issues and the empowerment of management of PSBs etc. Further, the government passed the Bankruptcy Law, which I believe, would turn out to be a landmark decision in the long-term.

Similarly, RBI undertook a number of measures to improve the system's ability to deal with the financial distress. These included the preparation of a corrective action plan by the Joint Lenders' Forum (JLF) for distressed assets, periodic refinancing and fixing of a longer repayment schedule for long-term projects as part of the flexible structuring, strategic restructuring of debt involving the provision to convert debt into equity, issuance of guidelines about classification of willful defaulters and non-cooperative borrowers, among others. In addition, the RBI undertook special asset quality review (AQR) across the banking industry. As a result, the gross NPA of banks and provisioning requirements increased significantly affecting their profitability. RBI expanded the regulatory capital dispensation by including the revaluation



reserves arising out of revaluation of fixed assets, balances held in Foreign Currency Translation Reserves and Deferred Tax Assets arising out of timing differences as part of CET-1 that supported the banks' capital position.

Financial Performance

I would like to share with you some of the key performance highlights for the year. While terminal figures of the Balance Sheet give a picture on the end date of a quarter/year, the real performance of any bank is reflected in its average business figures. From FY 2015 -16, your Bank made strategic shift in its approach on allocation of business targets and review of performance of all operating units on the basis of average business figures (based on daily averages).

Deposits

During FY16, your Bank consolidated its operations and focused on sustainable performance by taking steps to re-balance its portfolio towards reducing cost of its liabilities and improving yield on assets. Thus total deposits of the Bank were at ₹ 5,74,038 crores as on 31.03.2016 as compared to ₹ 6,17,560 crores last year. Your Bank continues to shed bulk preferential rate term deposits in favour of retail term deposits. Retail term deposit ratio (domestic) to total retail deposits improved to 73.96% as on 31.03.2016 from 62.79% last year. Domestic CASA ratio remained steady at 33.48% compared to 33.01% last year. Domestic Saving Bank deposits grew by 6.11% to ₹ 1,13,253 crores. Average deposits of the Bank (based on daily averages) increased from ₹ 5,34,470 crores as on 31.03.2015 to ₹ 5,78,317 crores as on 31.03.2016 registering a growth of 8.20%. Average Savings Bank deposits grew by 12.71% to ₹ 1,06,739 crores from level of ₹ 94,705 crores last year.

Advances

Advances of your Bank were at ₹ 3,83,770 crores as on 31.03.2016 as compared to ₹ 4,28,065 crores last year, in line with approach to consolidate and re-balance the portfolio. Bank remained cautious in lending to large corporate and SME segment. On average basis (based on daily averages) gross advances of the Bank increased from ₹ 3,83,313 crores as on 31.03.2015 to ₹ 4,05,126 crores as on 31.03.2016 registering a growth of 5.69%. Retail loan portfolio of your Bank was at ₹50,868 crores as on 31.03.2016.

International business

International business of your Bank continued to support significantly to the total business. As on 31.03.2016, it contributed 31.3% of global business. Of the total International loan-book, 47.92% comprised of Buyer's Credit/BP/BD portfolio where the exposure is on the banks. Exposure to India related corporates and non-Indian entities

by way of syndicated loans/ECBs was at 22.03% and 4.30% respectively. Remaining 25.75% exposure was by way of local credit

Stressed Assets

The magnitude of problem of stressed assets in banks particularly in public sector banks has increased significantly in recent past on account of multiple reasons like weak macro-economic conditions, stalled projects, over-leveraged balance sheets of corporates, lower utilization of capacity and stressed cash flows etc. Accordingly Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank increased from ₹ 16,261 crores as on 31.03.2015 to ₹ 40,521 crores as on 31.03.2016. During the year, asset quality review by RBI identified certain assets which were classified as NPAs besides a comprehensive review of the loan book carried out by the Bank. As on 31.03.2016, the Gross NPA and Net NPA ratios were at 9.99% and 5.06% respectively. The Bank's Provision Coverage Ratio (PCR) was at 60.09% in FY16 as against 52.70% in Q3FY16. Your Bank made extra provisions of ₹ 2,954 crores; higher than the regulatory requirements to strengthen the provision coverage ratio to this level.

The Standard Restructured Advances of the Bank reduced to ₹ 13,735 crores as on March 16 from a level of ₹ 25,905 crores in March 15.

Profit

Your Bank posted lower Operating Profit of ₹ 8,816 crores (last year ₹ 9,915 crores) on account of increased slippages leading to lower Net Interest Income of ₹ 12,740 crores (last year ₹ 13,187 crores). However total revenue increased to ₹ 17,739 crores (last year ₹ 17,589 crores) led by 13.56% increase in other income. During the year, Bank provided ₹13,766 crores towards NPAs (last year ₹ 3,998 crores). As stated above, these provisions were higher than the regulatory requirements by ₹ 2,954 crores to improve the provision coverage ratio and to strengthen the balance sheet. Further, during the year, your Bank provided ₹ 1,564 crores on account of pension liability arising due to moving to mortality table from LIC 1994-96 to IALM of 2006-08. Your Bank has provided for all known liabilities to ensure that entire focus from now onwards is increasing the earnings to provide returns to our shareholders. On account of all these factors, Bank posted net loss of ₹ 5,396 crores (last year net profit ₹ 3,398 crores).

Capital

The earning power of your Bank continues to be strong on the back of strong franchise which your Bank enjoys with its customers and stakeholders. Despite weak financials, Capital Adequacy Ratio of your Bank as per Basel III continues to be healthy at 13.17% as of March, 2016, with Tier 1 capital ratio at 10.79% and Common Equity Tier 1 (CET-1) at 10.29%



Consolidated group capital adequacy ratio stood at 13.63% at end March 2016. Your Bank is confident that it would be able to meet credit growth requirements of its customers without needing any capital infusion in 2016-17 from its majority promoter i.e. Government of India. We have advised GOI about this and thus our share holders do not carry risk of equity dilution on account of this.

In nutshell, your Bank has weathered the difficult times and has utilized this opportunity to focus on building its internal strength.

New initiatives undertaken

During the year, your Bank has started a major transformation initiative that would encompass changes in its products, processes and business strategy. This transformation includes identification of target markets, re-alignment and re-balancing of business to further improve Bank's customer franchise, leverage technology to optimize the banking operations, digitization of the processes to improve value of its services to customers, improve fee based income, strengthen internal controls and improve the compliance culture in your Bank. The underlying goal of these transformation initiatives is to make the Bank a modern and contemporary Bank committed to add value for all its stakeholders.

Some of the important new business initiatives are as below:

Overall Business Strategy: Your Bank has undertaken a comprehensive review of the business strategy for domestic as well as international segments, including the identification of target markets with a proactive focus on enhancing customer franchise and an alignment of its products offering to market needs. The strategy also involves the strengthening of recovery and collection mechanism, enhancing credit quality and improving core profitability. The Bank has carried out a review of its credit portfolio and is taking steps to rebalance the portfolio towards more revenue earning segments besides exiting segments which do not add value to the franchise.

Risk Based Pricing: With the aim of effective capital deployment and optimization, your Bank has taken steps to implement the Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework for credit exposures under the corporate portfolio which will be extended to other segments of credit. To enhance the expertise in different sectors, your Bank has initiated process of building a team of sector specialists. The Bank is also working with a leading credit rating agency to review and enhance the its internal credit rating systems.

Recovery and Collections: A dedicated team has been put in place to strengthen recoveries and collections in the Bank. Further, the collection responsibility for all accounts has been allocated to Relationship Managers. Bank is also

in process to put in place an organized collection engine. To strengthen the recovery and collections process, your Bank has engaged reputed, high quality legal firms and appraisers.

Products & Channels: Your Bank has carried out a detailed exercise on benchmarking its products to the best in class in the industry and identified gaps to improve its offerings. In mortgage business, the Bank opened its first Specialized Mortgage Store (SMS) in Mumbai. Four more stores have since been rolled out in Mumbai alone. Your Bank has also under taken branch remodification exercise which has been completed on a pilot basis in Mumbai.

Consolidation of processing: Your Bank has undertaken full review of work and processes undertaken at branches with the aim of keeping only the essential activities at branch level and release of more sales time for the employees. It is moving towards the consolidation of operations and various processes to two shared services centers. In addition, the organization structure of the Bank is being reviewed to increase productivity and effectiveness of the operations of Bank.

Digital Initiatives: Hitherto your Bank had been focusing on building alternate delivery channels like ATMs, cash recyclers, internet-banking, mobile banking, 24x7 non-stop lobbies, contact centre etc. Bank has now undertaken a host of initiatives to improve quality of mobile banking, internet banking, debit and credit cards services to increase the ease of banking. The digital access to customers has increased through the expansion in touch-points. To enhance the productivity, key processes have been identified for digitization. The testing of a work-flow based solution is underway. These changes when completed would enhance ease of carrying the transactions and processes by the customers as well as employees.

Social Media: In order to reinforce the brand, your Bank moved to a higher ladder of social interaction by launching its presence on the social media viz. Facebook and Twitter on 01.01.2016. Through this, your Bank is connected with individual customers across demographics and geographies. The social media would be a platform for product promotion and customer education as well as deeper relationship. Your Bank organized OneInALeap, a social media contest on the Facebook and Twitter, to enhance the brand visibility in the digital space and increase awareness among the desired target segments. Baroda Specialized Mortgage Store (SMS) Campaign was executed with the dual objective of Brand & Product awareness for newly launched One Stop Store. A dedicated platform for exchange of views and information amongst employees has been created by a separate group on Facebook. It is being actively used for sharing of views and knowledge by the employees.



Financial Inclusion: Your Bank is committed to bring financially excluded citizens under the gamut of formal banking. Bank has undertaken a number of FI initiatives that would ease the convenience of banking such as instant account opening at BC point. E-KYC has been implemented at branches and BC points. Your Bank has made a number of changes which have facilitated easy opening of accounts, easier compliance of KYC guidelines, Aadhar seeding through multi channels. Mobile banking facility such as balance enquiry, money transfer, mini statements etc has been made available on basic mobile handsets wherein the routine information is readily made available.

Training & Capability building: To develop in-house skills, your Bank has undertaken process of revamping its training and learning systems to make them best in class. It has tied up with leading Credit Rating Agencies and Business Schools to provide training to the Bank staff. Further, various training programs by experts internally or externally are undertaken which help in upgrading the skill set across the cadre in the Bank. To supplement the skills in specialized areas and functions, your Bank has also undertaken external talent hiring. Further your Bank has undertaken enterprise wide employee engagement survey with 85% completion rate and results are being analyzed.

Employee friendly organization: Your Bank has taken measures towards capacity building and retaining of the talent to ensure that its human power is well-equipped, motivated and actively participates in the massive transformation that is

underway in the Bank. Apart from up skills building amongst employees, your Bank also ensures that its employees are physically fit and health conscious. Your Bank has undertaken a number of initiatives to inculcate health awareness among employees by forming Marathon Club and Yoga classes. Your Bank celebrates Women's Day to recognize and appreciate the contribution of women staff members. Further, to increase the interaction between management and employees, a two-way webcast of internal events has been started.

Looking Forward

As we embark on new transformation phase with the Indian economy on the cycle of recovery, we are confident of generating higher RoE and RoA. Our focus is to make the Bank ready for sustainable growth with improved quality of earnings. We are confident that our strategic focus on people, processes, products and technology will help us retain the leadership position in the emerging business environment.

We believe that our strategy will provide a strong foundation for our growth in years to come. We look forward to continued support and goodwill of all our shareholders.

P S Jayakumar

निदेशकों की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ Highlights of Directors' Report

आपके निदेशकगण बैंक की 108 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 16) के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय तथा परिचालन सम्बंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

कार्यनिष्पादन - विशेषतायें

- कुल कारोबार (जमा + अग्रिम) ₹ **9,57,808 करोड़** रहा.
- सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ क्रमशः ₹ **8816 करोड़** व ₹ **(5396) करोड़** रहा.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल III के अनुसार **13.17 %** रहा.
- खुदरा ऋण वित्तीय वर्ष 2016 में ₹ **50,850 करोड़** रहा और यह आपके बैंक के सकल घरेलू ऋणों का **18 %** रहा.
- एमएसएमई ऋण ₹ **54,990 करोड़** रहा और यह वित्तीय वर्ष 2016 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों के **20%** रहा.
- शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 2016 में वैश्विक परिचालनों में **2.05%** रहा और घरेलू परिचालनों में **2.60%** रहा.
- सकल अग्रिम में सकल एनपीए **9.99%** रहा, शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए **5.06 %** रहा.
- 31.03.2016 को शुद्ध मालियत ₹ **30,586 करोड़** रही.
- बही मूल्य प्रति शेयर 31.03.2016 को ₹ **132.74** रहा.
- प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ **1680** लाख रहा.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) :

आपके बैंक का बासेल III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 31 मार्च, 2016 को **13.17%** रहा. बासेल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत टियर 1 अनुपात **10.79%** तथा सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी-1) **10.29%** रहा.

31 मार्च, 2016 को आपके बैंक की शुद्ध मालियत ₹ **30,586 करोड़** रही, जिसमें चुकता इक्विटी पूंजी ₹ **462 करोड़** और प्रारक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि तथा एफसीटीआर को छोड़कर एवं निवल अमूर्त आस्तियों को घटाकर) ₹ **30,123 करोड़** शामिल है.

सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभों के लिए प्रावधान :

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने उपदान में अंशदान के रूप में (₹ 20.56 करोड़), पेंशन निधि के रूप में (₹ 3025.08 करोड़) जिसमें मृत्युदर टेबल एलआईसीआई 1994-96 से आईएलएम 2006-08 अपनाए जाने के कारण किया गया ₹ 1563.70 करोड़ का प्रावधान शामिल है, अवकाश नकदीकरण के रूप में (₹ 259.37 करोड़) तथा अतिरिक्त सेवानिवृत्त लाभ के रूप में (₹ 87.23 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है. इन चारों श्रेणियों में प्रावधान की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ₹ 3392.24 करोड़ रही. मार्च 2016 के अंत में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि इस प्रकार थी: ₹ 1346.55 करोड़ (उपदान), ₹ 11947.17 करोड़ (पेंशन निधि), ₹ 881.21 करोड़ (अवकाश नकदीकरण) तथा ₹ 375.96 करोड़ (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ).

प्रमुख वित्तीय अनुपात

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2015
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (%)	(0.78)	0.49
निधियों की औसत लागत	5.08	5.23
औसत आय (%)	7.09	7.53
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	6,21,234.89	5,70,592.45
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹ करोड़ में)	6,16,002.63	5,69,190.46
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.05	2.31
लागत आय अनुपात (%)	50.30	43.63
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	132.74*	166.83*
ईपीएस (₹)	(23.89)*	15.83*

*विभाजन के बाद शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2/-

लाभांश :

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा न करने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश का भुगतान करने हेतु पात्र नहीं है.

प्रबन्धन विचार विमर्श और विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण तथा वित्तीय वर्ष 17 की सम्भावनाएं

भारत की मेक्रो इकोनॉमिक स्थिरता में राजकोषीय दूरदर्शिता, निम्न मुद्रास्फीति, चालू खाते में निम्न गिरावट और मजबूत विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के कारण निरंतर सुधार हुआ है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 मूल्य) 7.6% रहा एवं सकल मूल्य (जीवीए) भी मूलभूत स्थिर मूल्यों के साथ 7.3% रहा. वैश्विक मांग में मंदी एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले लगातार दो सामान्य से कम मानसूनों के बाद भी यह वृद्धि प्राप्त हुई है.

वर्ष 2015-16 में कृषि क्षेत्र में 1.1% वृद्धि अपेक्षित है, वहीं सेवा क्षेत्र में यह 9.2% से थोड़ी सी अल्प रही है. उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में अनुमानित वृद्धि 7.3% रही. अप्रैल- मार्च 2016 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 2.4% था.

वर्ष 2015-16 में मुख्य उपलब्धि मुद्रास्फीति में तेज गिरावट रही, जिसके प्रमुख कारण जैसे कच्चे तेल की कीमतों में कमी, भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति के प्रति औपचारिक लक्ष्य, उचित खाद्य आवंटन प्रबंधन, न्यूनतम



समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी एवं चीन में मंदी रहे. वर्ष के दौरान सीपीआई (CPI) 5-6% के बीच रही और डब्ल्यूपीआई (WPI) (-) 0.91% रही. समग्र रूप से मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्यानुसार ही रही. निर्यात में विगत 15 माह से निरंतर कार्य जारी है और आयात में घरेलू अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि तथा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मंदी रही. चालू खातों में घाटा वित्तीय वर्ष 2015 की तीसरी तिमाही के 1.5% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में 1.3% रहा. उत्साहवर्धक आवक धनप्रेषण, निम्न ऑयल कीमतें एवं उल्लेखनीय एफडीआई जिसमें लगभग 40% की वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर रहा. वर्ष 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटा (संशोधित अनुमान) 3.9% रहा एवं 2016-17 के लिए 3.5% (बजटीय अनुमान) है.

यह वर्ष सुधारात्मक उपायों की निरंतरता का साक्षी रहा है. सुधार का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना, मेक-इन-इंडिया मुहिम के तहत उद्योग तथा इंटरप्राइज को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय करने हेतु सहज माहौल बनाना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सेवाओं की डििलीवरी में सुधार करना और बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देना तथा विभिन्न क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश की नीति के प्रति उदार बनना आदि इस वर्ष की गतिविधियां हैं. मंद पड़ी विद्युत वितरक कंपनियों में वित्तीय टर्नओवर करने के उद्देश्य से नई पहल जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का रेवम्प योजना (इंद्रधनुष), उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना), उद्यम संभाव्यता का लाभ लेने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया की मुहिम, फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसी तरह के और भी सुधारात्मक उपाय किए गए. डीबीटी के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी का अंतरण करने हेतु पहल शुरू की गई. केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार, दिवालिया कानून संसद में पारित किया जा चुका है. इसके साथ ही साथ स्मार्ट सिटी, 2022 तक सब के लिए मकान की घोषणा तथा मेक इन इंडिया एवं स्टैंड अप / स्टार्ट अप की मुहिम बैंकिंग परिप्रेक्ष्य हेतु सकारात्मक हैं. व्यवसाय हेतु सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि ला सकते हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, तथापि धीमी वैश्विक वृद्धि, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट, वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ना तथा यूनाईटेड स्टेट्स की मौद्रिक नीति में ठहराव आदि को वृद्धि के बाह्य जोखिमों के रूप में देखा जा रहा है.

भारतीय बैंकिंग में नवीनतम आए बदलाव

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिक प्वाइंट की कटौती करके 7.75

प्रतिशत निर्धारित कर जनवरी, 2015 में मौद्रिक नीति में बदलाव किया है तथा वर्तमान में इसे जारी रखते हुए 125 बीपीएस की कटौती करके रेपो रेट 6.50 प्रतिशत तक रखा है. परिणामस्वरूप बैंकों ने अपने बेस रेट में कटौती की. तथापि बेस रेट में कटौती की गति पॉलिसी बेंचमार्क रेट से कम ही रही. मौद्रिक नीति का सीमित प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंता का कारण रहा. पॉलिसी रेट के सीमित प्रसार को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट लागू किया. इस बदलाव के साथ, पॉलिसी रेट का प्रसार करके बैंकों के अग्रिम हेतु निर्धारित दरों में सुधार किया गया.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जमा तथा अग्रिम वृद्धि धीमी होने तथा आस्तियों की गुणवत्ता की चिंता के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कार्य-निष्पादन धीमा रहा. जमा वृद्धि 9.7% रही तथा अग्रिम के क्षेत्र में 10.7% रही.

ज्ञान संगम-I की सिफारिशों पर की गई प्रगति की समीक्षा हेतु मार्च 2016 के पहले सप्ताह में गुडगांव में ज्ञान संगम-II का आयोजन किया गया. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उच्च प्रबंधन के साथ रिस्ट्रक्चरिंग / विलयन एवं अधिग्रहण, एनपीए प्रबंधन एवं वसूली, तकनीक, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन ऋण वृद्धि एवं जोखिम प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई. इंद्रधनुष परियोजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए जिसमें वर्ष 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ₹ 70000 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराना शामिल है. 1 अप्रैल 2016 से बैंक बोर्ड ब्यूरो ने काम करना आरम्भ कर दिया है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनाना है तथा उनके विकास के लिए उचित रणनीति तैयार करना है. ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन हेतु सिफारिश करेगा तथा पूंजी बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा.

व्यवसाय कार्य-निष्पादन

संसाधन संग्रहण एवं क्रेडिट विस्तार

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने दृष्टिकोण में औसत व्यापार की अवधारणा की दिशा में कार्यनीतिक बदलाव किए हैं. व्यापार के लक्ष्यों का आवंटन करने के साथ ही सभी परिचालन इकाइयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा औसत कारोबार आंकड़े (दैनिक औसत) के आधार पर किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में आपके बैंक की मुख्य उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है.

निधियों की संरचना- वैश्विक

विवरण (रुकोड़ में)	मार्च, 2015 की समाप्ति पर	मार्च, 2015 की समाप्ति पर औसत आंकड़े	मार्च 2016 की समाप्ति पर	मार्च 2016 की समाप्ति पर औसत आंकड़े	औसत आंकड़ों में वृद्धि (%)
जमाएं	6,17,560	5,34,470	5,74,038	5,78,317	8.20
- घरेलू	4,14,278	3,61,917	3,94,844	4,03,503	11.49
- विदेशी	2,03,282	1,72,553	1,79,194	1,74,814	1.31
उधार राशियाँ	35,264	-	33,471	-	-

वैश्विक अग्रिम *

विवरण (रुकोड़ में)	मार्च, 2015 की समाप्ति पर	मार्च, 2015 की समाप्ति पर औसत आंकड़े	मार्च 2016 की समाप्ति पर	मार्च 2016 की समाप्ति पर औसत आंकड़े	औसत आंकड़ों में वृद्धि (%)
अग्रिम	4,28,065	3,83,313	3,83,770	4,05,126	5.69
- घरेलू	2,91,870	2,53,788	2,63,268	2,70,108	6.43
- विदेशी	1,36,195	1,29,525	1,20,502	1,35,018	4.24

*वर्ष की समाप्ति के आंकड़े शुद्ध अग्रिम हैं जबकि औसत आंकड़े सकल अग्रिम से सम्बंधित हैं।

आपके बैंक की कुल औसत जमा राशियाँ ₹ 5,34,470 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,78,317 करोड़ हो गईं जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.20 % अधिक है। इसमें से, औसत बचत बैंक जमा राशियाँ 12.71% की वृद्धि के साथ ₹ 94,705 करोड़ से ₹ 1,06,739 करोड़ हो गईं। मार्च 16 को कुल जमा राशियाँ (घरेलू + विदेशी) में कम लागत की जमा राशियाँ (चालू+बचत) अर्थात् कासा जमाओं का हिस्सा मार्च 16 में 26.36% एवं घरेलू जमाओं में 33.57% रहा जो गत वर्ष क्रमशः 26.39% एवं 33.01% था। आपके बैंक में कुल औसत जमाओं में औसत कासा(घरेलू) की भागीदारी मार्च 15 को 29.31% से बढ़कर मार्च 16 को 29.43% हो गयी। आपके बैंक ने रिटेल सावधि जमाओं का थोक सावधि जमाओं की तुलना में तरजीह देना जारी रखा है। घरेलू खुदरा जमा अनुपात पिछले वर्ष 62.79% से सुधरकर 31.03.2016 को 73.96% हो गया।

वित्तीय वर्ष, 2016 के दौरान आपके बैंक के कुल औसत अग्रिमों में 5.69 % की वृद्धि हुई। घरेलू अग्रिमों में यह वृद्धि 6.43 % तथा विदेशी अग्रिमों में 4.24 % रही। बैंक ने आस्तियों में वृद्धि के लिए एक असंशोधित बदलाव के साथ पोर्टफोलियो की गहन समीक्षा के बाद अपनी लोन बुक को पुनः संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां हम ग्राहकों के साथ अपनी आय और समग्र व्यवसाय की हिस्सेदारी में सुधार कर सकते हैं।

परिचालन कार्यनिष्पादन:

विवरण (करोड़ में)	मार्च 2015 को समाप्त	मार्च 2016 को समाप्त	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	13,187	12,740	-3.39%
अन्य आय	4,402	4,999	13.56%
कुल राजस्व	17,589	17,739	0.85%
परिचालनगत व्यय	7,674	8,923	16.28%
परिचालनगत लाभ	9,915	8,816	-11.08%
एनपीए के लिए प्रावधान	3,998	13,766	244.32%
अन्य प्रावधान	497	1,748	251.71%
कर हेतु प्रावधान	2,022	(1,303)	-
कुल प्रावधान	6,517	14,211	118.06%
निवल लाभ	3,398	(5,396)	-

गैर निष्पादक आस्तियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण आपके बैंक की निवल ब्याज आय में 3.39% की गिरावट हुई जिसके फलस्वरूप ब्याज प्रत्यावर्तन करना पड़ा तथा ऐसी आस्तियों पर ब्याज का अर्जन बन्द हो गया। तथापि, अन्य आय में 13.56% की वृद्धि के कारण कुल राजस्व में 0.85% की वृद्धि हुई। कर्मचारियों की लागत सहित परिचालनगत खर्चों में 16.28% की वृद्धि

हुई। बैंक का परिचालनगत लाभ ₹ 8,816 करोड़ रहा जिसमें 11.08% की गिरावट हुई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने वित्त वर्ष 16 में गत वर्ष के ₹ 6,517 करोड़ की तुलना में ₹ 14,211 करोड़ का प्रावधान किया है। इन प्रावधानों में एनपीए प्रावधानों के लिए ₹ 13,766 करोड़ और अन्य प्रावधानों के लिए ₹ 1,748 करोड़ की राशि शामिल है। एनपीए पर प्रावधान विनियामक आवश्यकताओं की तुलना में ₹ 2,954 करोड़ अधिक था जो तुलना पत्र को मजबूत करने हेतु प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार लाकर इसे 60.09% तक करने हेतु किया गया। अन्य प्रावधानों में पेंशन देयता सम्बंधी ₹ 1,564 करोड़ शामिल हैं जिसका प्रावधान, मृत्युदर चार्ट में एलआईसीआई 1994-96 से परिवर्तित होकर आईएएलएम 2006-08 होने के कारण किया गया है। आपके बैंक ने सभी ज्ञात देयताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान उपलब्ध कराया है ताकि भविष्य में पूरा ध्यान आय को बढ़ाने पर दिया जा सके। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने गत वर्ष के ₹ 3,398 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 5396 करोड़ की हानि दर्ज की।

लार्ज एवं मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट

बैंक कॉर्पोरेट ऋण की आवश्यकताओं को मुख्यतः 10 कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखाओं एवं 17 मिड कॉर्पोरेट शाखाओं के माध्यम से पूरा कर रहा है। वर्ष के दौरान 82 नये कॉर्पोरेट संबंध स्थापित किए गए। बाजार में प्रचलित चुनौतियों को देखते हुए, आपके बैंक ने नए जोखिम लेते समय समुचित सावधानियों के साथ सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।

बैंक ने लार्ज एवं मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट में गुणवत्ता के साथ स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत कदम उठाए:

- पूंजी संरक्षण के अनुकूलतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अनाहरित जोखिम की निगरानी।
- आस्तित्व पर जोखिम समायोजित प्रतिफल की जाँच हेतु आरएआरओसी दृष्टिकोण की शुष्कात।
- क्षेत्रगत विशेषज्ञता टीम के निर्माण की पहल की प्रक्रिया
- सीआरई प्रस्तावों पर विशेष रूप से कार्रवाई हेतु "रियल इस्टेट डेस्क" की स्थापना।
- रेड फ्लैग खातों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए बाजार आसूचना कक्ष का गठन।

एमएसएमई ऋण

एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बैंक 54 एसएमई लोन फैक्ट्रियों तथा शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के जरिये इस क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता है। मार्च 2016 के अंत में एमएसएमई अग्रिम ₹ 54,990 करोड़ रहे। वर्ष 2016 में कुल एमएसएमई अग्रिम ₹ 55,535 करोड़ में माइक्रो एंटरप्राइजेज में अग्रिम ₹ 29,861 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2016 में 53.70% रहा। 31 मार्च 2016 तक, आपके बैंक के सकल घरेलू अग्रिमों में एमएसएमई अग्रिमों का योगदान 19.58% रहा। माइक्रो एवं छोटे एंटरप्राइजेज में अग्रिमों का स्तर ₹ 49,571 करोड़ था।



भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा 08.04.2015 को की गई एवं आपके बैंक ने इसमें सक्रिय भाग लिया। आपके बैंक ने लघु उद्यमों की श्रेणी में खातों की संख्या में पिछले वर्ष के 10% की तुलना में 24% की वार्षिक वृद्धि की है।

आपके बैंक ने बीएमई (बड़ौदा माइक्रो एंटरप्राइजेज) कक्ष स्थापित किया है जो एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए सेवाएं दी जाती हैं। बैंक ने देशभर में ऐसे 90 कक्ष स्थापित किए हैं।

खुदरा ऋण :

आपके बैंक में रिटेल ऋण का वितरण 65 रिटेल लोन फैक्ट्रियों (आरएलएफ) और शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। वर्ष के दौरान आरएलएफ को रिडिजाइन कर उन्हें स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज स्टोर (एसएमएस) के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है ताकि मॉर्गेज ऋण की बिक्री एवं मार्केटिंग संबंधी गतिविधियां तथा रिटेल ऋणों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग का कार्य केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्रों के जरिये किया जाए। बैंक ने रिटेल ऋण के आवेदनों को सरल बनाया है, ऑनलाईन आवास ऋण आवेदन पत्र की पद्धति को पुनर्व्यवस्थित किया जिसके अंतर्गत "सैद्धांतिक रूप में" तुरंत ही स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी आरम्भ की है।

आपके बैंक के रिटेल ऋण संविभाग में पांच प्रमुख उत्पाद यथा आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, ट्रेडर्स ऋण तथा मार्गज ऋण शामिल हैं, जिनकी मार्च, 2016 के अंत में कुल रिटेल ऋणों में 83.12 % हिस्सेदारी थी। गृह ऋणों में ₹ 2,427 करोड़ (10.77%) की बढ़त हुई जो मार्च 2016 तक ₹ 24,968 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए। पिछले वर्ष के ₹ 6,335 करोड़ के संवितरण की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में कुल संवितरण ₹ 6,632 करोड़ किया गया। ऑटो ऋण में ₹ 268 करोड़ (6.45%) की वृद्धि हुई तथा मार्च 16 तक ₹ 4,428 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान ऑटो ऋण के अंतर्गत ₹ 1,773 करोड़ के नये ऋण संवितरित किये गये। बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण, बड़ौदा मॉर्गेज ऋण तथा बड़ौदा शिक्षा ऋण क्रमशः ₹ 8,836 करोड़, ₹ 1,914 करोड़ एवं ₹ 2,123 करोड़ रहे। अन्य रिटेल ऋण उत्पादों में बड़ौदा वैयक्तिक ऋण और अन्य विविध उत्पाद जैसे डॉक्टर ऋण, सरकारी प्रतिभूति के पेटे ऋण शामिल हैं। 31 मार्च 2016 को कुल रिटेल ऋण ₹ 50,850 करोड़ रहे जो बैंक के घरेलू अग्रिमों का 18.82% है।

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न रिटेल उत्पादों की समीक्षा कर उन्हें पुनः डिजाइन किया तथा क्रेडिट ब्यूरो स्कोर से जोड़कर ऋणों का जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण किया।

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के ऋण

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि ऋण के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। यह अपनी 1,964 ग्रामीण एवं 1,425 अर्द्ध शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए ग्रामीण बाजार की व्यापक संभावनाओं का पूर्ण उपयोग करता रहा है। वित्त वर्ष 16 के दौरान आपके बैंक ने ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में 95 नई शाखाएं खोली हैं।

आपका बैंक उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है। आपका बैंक भारत के 48 जिलों में अग्रणी बैंक है। जिनमें गुजरात के 14, राजस्थान के 12, उत्तर प्रदेश के 15, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं बिहार के 2-2 जिले शामिल हैं तथा दिल्ली का 1 जिला शामिल है।

आपके बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम मार्च 2015 के ₹ 1,03,342.67 करोड़ की तुलना में मार्च 2016 में ₹ 1,13,121.13 करोड़ के स्तर पर रहा तथा एडजस्टेड नेट क्रेडिट (एएनबीसी) का 37.05% रहा। आपके बैंक का प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹ 28,094.12 करोड़ रहा जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 1,483.20 करोड़ (5.57%) की समग्र वृद्धि हुई। आपके बैंक के कुल कृषि अग्रिम में (आरआईडीएफ को छोड़कर) ₹ 4,085.67 करोड़ की वृद्धि हुई जो मार्च 2016 की समाप्ति पर ₹ 36822.21 करोड़ तक पहुंच गया कुल कृषि ऋण एएनबीसी का 14.76% रहा।

अनु.जाति/अनु.जनजाति समुदाय को आपके बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की बकाया राशी मार्च 2015 में ₹ 4,997 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 5,298 करोड़ हो गया बैंक द्वारा कमजोर वर्ग को प्रदत्त कुल अग्रिमों में अनु.जाति / अनु. जनजाति की हिस्सेदारी 21.95% रही।

आपके बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

आपके बैंक ने तीन राज्यों में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं, अर्थात् बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। इन तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय मार्च, 2015 के अंत में 37,440.67 करोड़ ₹ से बढ़कर मार्च, 2016 के अंत में 42,640.52 करोड़ ₹ हो गया। इस प्रकार इसमें 13.89% की वृद्धि दर्ज हुई। तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्तीय वर्ष 15-16 के दौरान ₹ 185.48 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जब कि वित्तीय वर्ष 14-15 के दौरान शुद्ध लाभ ₹ 327.20 करोड़ था। 10वें द्विपक्षीय समझौता से संबंधित बकाये के भुगतान के कारण लाभ में गिरावट हुई। इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र शुद्ध मालियत 31.03.2015 को ₹ 1,851.02 करोड़ से सुधर कर 31.03.2016 को ₹ 2,036.43 करोड़ हो गई तथा प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष ₹ 1,394.12 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,579.53 करोड़ हो गए।

वित्तीय समावेशन (एफआई)

वित्तीय समावेशन योजना वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को वहीनीय लागत पर समाज के उन सभी वर्गों तक सहज सुलभ बना रही है, जो कि अब तक इससे वंचित थे, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। बैंक द्वारा अपनी स्थापना से ही सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनतम व्यक्तियों को ऋण प्रदान कर, अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा कर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण आदि के रूप में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैंक ने सभी 21,526 सेवा क्षेत्र गांवों के लिए वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) अनुमोदित की है। गैर समेकित एफआईपी-2016 के सभी लक्ष्य दिसम्बर 2014 में ही हासिल कर लिये गये थे।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु आपके बैंक ने निम्नलिखित मॉडल अपनाए हैं, ये इस प्रकार हैं : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित बीसी मॉडल जैसे पीओएस आधारित बीसी मॉडल, कियोस्क बीसी मॉडल, ब्रिक एवं मोटार शाखा।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना एक विस्तृत वित्तीय समावेशन योजना है जिसका दायरा बढ़ाकर इसे और अधिक उपयोगी बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 09 मई, 2015 को जन सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया जिसके अंतर्गत कम किस्तों वाले बीमा उत्पाद जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं पेंशन उत्पाद जैसे अटल पेंशन योजना आदि शुरू किए गए।

हमारे बैंक को राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा पूरे देश में 6,829 एसएसए आवंटित किए गए थे जिसके अंतर्गत 22,055 गावों तथा 3,023 वार्डों का समावेश था। हमने सभी आवंटित एसएसए तथा वार्डों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। तदनुसार हमारे सेवा क्षेत्र में कुल 88,91,696 घर हैं। हमारा यह प्रयास रहा है कि अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हर घरों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएं। प्रति परिवार कम से कम एक खाता खोलते हुए, बैंक ने सेवा क्षेत्र के सभी गावों को पूरी तरह कवर कर लिया है। बैंक ने ₹ 2,500 करोड़ की जमा राशियों के साथ 1.25 करोड़ खाते खोले हैं तथा 1.18 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के तहत बैंक ने 14.42 लाख पॉलिसियां नामांकित की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित पॉलिसियों की संख्या 40.24 लाख हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

आपके बैंक के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का बैंक के कुल व्यवसाय में उल्लेखनीय योगदान बना रहा। 31.03.2016 को वैश्विक व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय ने 31.3% का योगदान किया। कुल अंतर्राष्ट्रीय बही में, जहां बैंक का एकस्पोजर रहा, बायर्स क्रेडिट / बीपी/बीडी पोर्टफोलियों की 47.92% की हिस्सेदारी रही 22.03% का एकस्पोजर रहा, ईसीबी/सिंडिकेट ऋण के जरिए भारतीय कार्पोरेट के पक्ष में गैर भारतीय प्रतिष्ठानों को सिंडिकेट ऋण के माध्यम से दिया गया एकस्पोजर 4.30% है तथा शेष 25.75% का एकस्पोजर स्थानीय ऋण के जरिए है।

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक में ट्रेजरी परिचालन कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई स्थित अति आधुनिक डीलिंग रूम से किया जाता है। आपके बैंक ने वर्ष के प्रथम छः महीने में उच्चतर प्रतिफल के द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसर का लाभ उठाया है और पोर्टफोलियो में बॉण्ड को शामिल किया है। बैंक ने अति सक्षम तरीके से पोर्टफोलियो को संभाला है तथा 31.03.2016 को 8.01% का एसएलआर निवेश पर औसत प्रतिफल को कायम रखा है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान आपके बैंक ने निवेशों के विक्रय करने तथा विदेशी विनिमय से हुए लाभ क्रमशः ₹ 1,162 करोड़ तथा ₹ 612 करोड़ तथा ब्याज / डिस्काउंट के रूप में ₹ 12,144 करोड़ अर्जित किए हैं।

धन सम्पदा प्रबंधन सेवाएं :

आपके बैंक ने म्युचुअल फंड तथा बीमा के जरिये क्रमशः उच्चतर प्रतिफल तथा सुरक्षा के सम्बंध में ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों को समझ लिया है। बैंक वर्ष 2004 से ही धनसम्पदा प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है तथा ग्राहकों को म्युचुअल फंड, जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा सम्बंधी उत्पाद वितरित कर रहा है।

अग्रिम खातों की पुनर्चना (वैश्विक) - 2015-16

		सीडीआर की व्यवस्था	एसएमई पुनर्चना	अन्य	कुल
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या		19	564	583
	बकाया राशि	227	108	975	1310
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	58	332	391
	बकाया राशि	72	16	57	146
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	41	200	242
	बकाया राशि	1,031	60	404	1,495
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	2	118	1,096	1,216
	बकाया राशि	1,331	185	1,436	2,953

एनपीए प्रबंधन

विभिन्न माइक्रो-इकॉनॉमिक एवं अन्य कारकों के कारण, आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से बैंकिंग उद्योग के लिए वित्तीय वर्ष 2016 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। आपके बैंक की स्लिपेज आरंभिक मानक अग्रिमों में 6.38% रही। अत्यधिक स्लिपेज के कारण 31 मार्च, 2016 को सकल अग्रिम से सकल एनपीए का अनुपात 9.99% रहा तथा मार्च, 2016 के अंत में शुद्ध अग्रिम से शुद्ध एनपीए का अनुपात 5.06% रहा। वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए प्रावधानों (पिछले वर्ष ₹ 3,998 करोड़) के लिए ₹ 13,766 करोड़ उपलब्ध करवाए। यह प्रावधान नियामक आवश्यकताओं से ₹ 2,954 करोड़ अधिक थे जिससे कि भारत आस्तियों के पेटे प्रावधान कवरेज को सुधारा जाए और तुलन पत्र को मजबूत किया जा सके। विवेकसम्मत/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों सहित वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान कवरेज का अनुपात 60.09% रहा।

आस्तियों का वर्गीकरण के अनुरूप आपके बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो का अलग-अलग विवरण निम्नलिखित है -

(₹ करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी (सकल)	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
मानक	3,64,996	4,21,019
सकल एनपीए	40,521	16,261
कुल	4,05,517	4,37,280
सकल एनपीए में समावेशित:		
अवमानक	11,569	4,368
संदिग्ध	25,766	10,383
हानि	3,186	1,510
कुल सकल एनपीए	40,521	16,261

अग्रिम खातों का पुनर्गठन

आपका बैंक अस्तित्व गुणवत्ता में सुधार हेतु उद्योगवार साथ ही साथ उधारकर्तानुसार दबावपूर्ण अग्रिम पोर्टफोलियो की निरंतर जांच करता रहता है, ताकि परियोजना/कार्य की व्यवहार्यता के आधार पर पुनर्गठन के द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सके। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न अग्रिम खातों का पुनर्गठन निम्नलिखित टैबल के अनुरूप किया।

(₹ करोड़ में)



सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)

आपके बैंक ने अपटाईम इन्स्टिट्यूट 3 मानक से सुसंगत एक आधुनिक डाटा सेंटर तथा ग्राहकों को अनवरत बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए विभिन्न सिस्मिक जोनों में प्रत्येक असफलता के क्षण में आपदा पुनः स्थापन साईट का निर्माण किया है। आपदा पुनः स्थापन केंद्र के अतिरिक्त आपके बैंक ने अपने व्यवसाय निरंतरता आयोजन एवं आपदा पुनर्स्थापन कार्यनीति के एक भाग के रूप में शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने हेतु आपदा पुनर्स्थापन केंद्र का अनुपालन भी किया है। आपके बैंक ने लगातार तकनीक के क्षेत्र में नई पहलों जैसे विंडो सर्वर वर्चुलाइजेशन और हरित पहल के रूप में वेकअप कॉसोलिडेशन को जारी रखा है तथा डाटा सेंटर के परिचालनात्मक दक्षता में भी सुधार किया है। एप्लिकेशन वर्चुलाइजेशन, स्वतःसंग्रहण प्रणाली (एसएम) और रियल एप्लीकेशन कलस्टर (आरएसी) लागू करना, बैंडविथ अपग्रेडेशन, बैकअप लिंक का प्रावधान, गुणवत्ता को सुधारने हेतु एमपीएलएस (मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्वीचिंग) पर नई तकनीकी सेवाओं का उपयोग करना तथा डिमांड अपग्रेड आदि कुछ प्रमुख पहलें हैं। आपके बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में फिनेकल 10.x तथा ई-बैंकिंग में 11.x अपग्रेडेशन की पहल की है।

बैकल्पिक डिलवरी चैनल

इंटरनेट बैंकिंग - बड़ौदा कनेक्ट

आपका बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों (बड़ौदा कनेक्ट) में लगातार और अधिक सुविधाएं जोड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ग्राहकों को बेहतर सुविधा तथा नियंत्रण प्रदान करने के लिए बड़ौदा कनेक्ट में कई नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं।

मोबाइल बैंकिंग - बड़ौदा एम कनेक्ट तथा आईएमपीएस

मोबाइल बैंकिंग को आपके बैंक ने नई पीढ़ी तथा प्रौद्योगिकी से भली-भांति परिचित ग्राहकों को आकर्षित करने एवं उनकी जरूरतों के अनुकूल तैयार कर इसकी पहचान और अनुभव को तथा उपयोग में इसे अत्यंत सरल बनाते हुए इस सुविधा का कार्यालय किया गया है। वैकल्पिक डिलवरी चैनल के रूप में मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्म ग्राहकों को अनेक सुविधाएं यथा आईकॉन आधारित यूजर इंटरफेस, बैलेंस इक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, निधि-अंतरण, भुगतान रोकना, चेक स्टेटस अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सुविधा सभी आई फोन, ब्लैक बैरी, एंडराइड विंडो डिवाइस पर उपलब्ध कराई गई है। पर्सन टू एकाउंट (पी2ए), मचेंट भुगतान (पी2 एम), आधार कार्ड आधारित धन प्रेषण (पी2यू) को कवर करने के लिए तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) को क्रियान्वित किया गया है। मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्म पर अन्य प्रमुख सुविधाएं, जैसे सीबीएस तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का पंजीकरण, शाखाओं के माध्यम से आईएमपीएस, एक्सआईओएम एसएमएस एग्रीगेटर को क्रियान्वित किया गया है। एनआरआई ग्राहकों के लिए एम-पासबुक की सुविधा शुरू की गई है, मोबाइल बैंकिंग में डीटीएच रिचार्ज की सुविधा को सुचारु बनाया गया है।

बड़ौदा नॉनस्टाप लॉबी:-

24x7 नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़ौदा नॉन स्टाप लॉबीज जिनमें पांच स्वयं सेवा मशीनें यथा केश रिसाइकलर, एटीएम, मल्टी फंक्शन कियोस्क, पासबुक प्रिंटर तथा डिजिटल साइनेज सिस्टम सेवाएं उपलब्ध हैं। इन लॉबीज से दृश्यता में वृद्धि हुई है और इन्हें ग्राहकों तथा स्टाफ सदस्यों की ओर से उत्साहवर्द्धक प्रतिसाद मिल रहा है। मार्च 2015 में बड़ौदा ई-लॉबी की संख्या -151- थी , जो मार्च 2016 में बढ़कर -252- हो गई।

बड़ौदा एक्सप्रेस - 24x7 लॉबी:-

“बड़ौदा एक्सप्रेस - 24x7 लॉबी” बड़ौदा नॉन स्टाप लॉबी का ही छोटा संस्करण है , जिसमें वर्तमान एटीएम केबिन की आंतरिक संरचना में ही थोड़ा

बदलाव करके एटीएम केबिन में ही एटीएम के साथ केश रिसाइकलर तथा पासबुक प्रिंटर लगाकर अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन लॉबीजों से हमें ग्राहकों के लिए सुविधाओं बढ़ाने में, सेवाओं को चौबीस घन्टे उपलब्ध कराने में, शाखाओं के कार्यभार को घटाने में तथा बैंक द्वारा पहले किए गए निवेशों के आदर्श उपयोग में मदद मिलेगी। बड़ौदा एक्सप्रेस लॉबी की शुरुआत सितम्बर 2015 में की गयी थी। मार्च 2016 तक बैंक के पास कुल -451- ई लॉबीजियां हैं।

कॉन्टेक्ट सेंटर:-

कॉन्टेक्ट सेंटर अधिकतर बैंकिंग सेवाओं को टेलीफोन के माध्यम से प्रदान करता है। सभी ग्राहक या आम आदमी टोल फ्री नंबर 1800 22 33 44 तथा 1800 102 44 55 पर फोन करके देश में कहीं से भी कॉन्टेक्ट सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट सेंटर विविध प्रकार की इनबाउंड एवं आउटबाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

एसएमएस बैंकिंग

जो ग्राहक केवल सूचना आधारित बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आपके बैंक ने शेष राशि संबंधी पृष्ठताछ, लघु खाता विवरणी, चेक की स्थिति आदि हेतु पंजीकृत मोबाइल नम्बरों से एसएमएस बैंकिंग प्रारंभ किया है। यह अत्यंत सरल एवं उपयोग में आसान उत्पाद है जिस ग्राहक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बिना उपयोग करना शुरू कर सकता है।

बड़ौदा ई गेट वे - इंटरनेट पेमेंट गेटवे

अपने व्यापारी ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से संग्रहित भुगतान के ई-कॉमर्स व्यवसाय हेतु इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक के पास स्वयं की पूरी संरचना उपलब्ध है। अपने ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान का माध्यम उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भुगतान संग्रहकों, जैसे बिल डेस्क, सिट्रस पेमेंट सोल्यूशन प्रा.लि. तथा पे-टीएम के साथ बैंक का टाइप है। बैंक से जुड़े व्यापारियों को सुखद अनुभव प्रदान करने तथा उन्हें दी जाने वाली सेवाओं को बढ़ाने हेतु आपका बैंक आईपीजी संरचना को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।

सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी)

सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर एक स्वचालित कियोस्क है, जिसके माध्यम से ग्राहक स्वयं अपनी पासबुक को प्रिंट कर सकता है। एसएसपीबीपी कियोस्क पासबुक पर लगी मैग्नेटिक पट्टी से खाते से संबंधित विवरण प्राप्त कर लेते हैं तथा इसी विवरण के माध्यम से कियोस्क से खाते के लेन-देन का ब्यौरा प्राप्त करते हैं एवं इसे पासबुक पर प्रिंट करते हैं। ग्राहक ई लॉबी / एटीएम में लगी एसएसपीबीपी मशीन का उपयोग 24 x 7 कर सकते हैं।

एटीएम

ग्राहकों को अनवरत रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समूचे भारतवर्ष में सुविधाजनक स्थानों पर 945 अतिरिक्त एटीएम लगाए गए तथा 07 वर्षों से पुराने हो चुके 206 एटीएम को बदला गया। ग्राहकों के लिए 50 से अधिक एटीएम को सुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। दिनांक 31.03.2016 को बैंक के पास 8975 एटीएम का नेटवर्क है।

वर्ष के दौरान, एटीएम के माध्यम से एनएफएस नेटवर्क पर मोबाइल बैंकिंग हेतु पंजीकरण किया जा सकता है। एटीएम के माध्यम से गुजरात ऊर्जा बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले ग्राहकों के लिए एटीएम के माध्यम से ओवरड्राफ्ट हेतु आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे बैंक के साथ आरआरबी के ग्राहकों तथा अन्य बैंक के ग्राहकों हेतु माइक्रो एटीएम के माध्यम से नकदी आहरण की

सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे सभी आरआरबी के लिए रूपे ईएमवी लागू किया गया, एटीएम के माध्यम से प्राप्त लीड, कार्ड व पिन का प्रयोग करके एमएफके के माध्यम से बिल का भुगतान, एटीएम तथा कैश रिसाईकलर से बहुभाषी रसीद की प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई, कैश रिसाईकलर में कार्ड रहित नकदी जमा सुविधा, पीओएस पर रूपे कैश, ग्राहकों के लिए मुद्रा कार्ड जारी करना आदि सुविधाएं शुरू की गईं। ऑनलाइन बड़ौदा कनेक्ट यूजर के निर्माण तथा डेबिट कार्ड व पिन के माध्यम से पासवर्ड को रिसेट करने, रूपे के लिए ओटीपी हेतु पंजीकरण की सुविधा दी गई। वीसा, मास्टर ई-ट्रांजेक्शन, भारतवर्ष तथा न्यूजीलैंड में बड़ौदा कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड प्रारंभ किया गया। सभी डेबिट कार्ड उत्पादों को ईएमवी कार्ड में बदला गया, एटीएम कम से कम समय के लिए बंद रहे ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्राप्त हो सके, इसके लिए ईएसव्यू एटीएम मॉनीटरिंग सोल्यूशन को सक्रिय किया गया। पीओएस पर रूपे कार्ड के प्रथम उपयोग के लिए सक्रिय किया गया, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए पीओएस पर पिन दर्ज करने को अनिवार्य बनाया गया, एसएमएस तथा शाखा के माध्यम से डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, ओमान टेरिस्टरीज के लिए ईएमवी को लागू किया गया।

कैश रिसाईकलर :-

बैंक ने 20 जुलाई, 2014 को प्रथम कैश रिसाईकलर स्थापित किया था। आपके बैंक ने दिनांक 31.03.2016 तक 1135 कैश रिसाईकलर/बीएनए स्थापित कर दिए हैं। कैश रिसाईकलर बैलेंस पूछताछ, लघु विवरणी तथा पिन बदलने की सुविधा के अलावा नकदी जमा करने तथा नकदी आहरण करने की सुविधा प्रदान करता है। कैश रिसाईकलर 24x7 परिचालन हेतु उपलब्ध रहता है, अतः यह रिटेल तथा साथ ही साथ कार्पोरेट ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है। सभी प्रकार के सफल संव्यवहार शीघ्र खाते में क्रेडिट या खाते से डेबिट हो जाते हैं तथा ग्राहकों को संव्यवहार के सफलता की पुष्टि प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन कैश रिसाईकलर से लगभग 1.6 लाख संव्यवहार किए जा रहे हैं।

अन्य ग्राहक केन्द्रित पहलें

आपके बैंक ने घरेलू परिचालनों के लिए वीजा / मास्टर कान्टेक्टलेस कार्ड जारी किया है, ओएनयूएस तथा एनपीसीआई नेटवर्क के लिए कार्ड से कार्ड अंतरण की सुविधा शुरू की है, एफआई स्वीच तथा एटीएम स्वीच का एकीकरण किया है। आपका बैंक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग एकाउंट में प्रवेश करने की सुविधा देता है। आपका बैंक मल्टी फंक्शन कियोस्क पर मूल्य आधारित सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा डेबिट कार्ड व पिन के माध्यम से ऑनलाइन पासवर्ड रिसेट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

विपणन

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान अपनी विभिन्न मार्केटिंग पहलों द्वारा अपने ब्रांड तथा विभिन्न उत्पादों व सेवाओं का लगातार संवर्द्धन किया है। क्षेत्रीय एवं अंचल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक (टीवी/रेडियो), डिजिटल एवं आउट ऑफ होम (ओओएच) के लिए अंचल/क्षेत्रीय स्तर पर चालू किए गए एबव-द-लाइन (एटीएल) के साथ-साथ बिलो-द-लाइन (बीटीएल) के सहयोग का प्रभावी उपयोग विपणन पहलों में शामिल है।

आपके बैंक ने इस वर्ष 1 जनवरी को सोशल मीडिया में फेसबुक और ट्विटर पर उपस्थिति दर्ज की है। आपका बैंक जनसांख्यिकी और भौगोलिक स्तर पर व्यक्तिगत ग्राहकों से जुड़ने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में सोशल मीडिया के महत्व की सराहना करता है। आपके बैंक ने भिन्न-भिन्न उत्पादों को न्यायसंगत रूप में बढ़ावा देने तथा ग्राहक शिक्षा अभियानों को संचालित करने के लिए भी सोशल मीडिया के उपयोग की योजना बनाई है ताकि ग्राहकों के साथ लाभप्रद रूप में जुड़ सकें तथा संबंध विकसित कर सकें। बैंक को अपने वांछित समूहों से जुड़कर इसका सकारात्मक प्रतिसाद मिला है।

बैंक की शाखा नेटवर्क

31.03.2016 तक बैंक का शाखा नेटवर्क इस प्रकार है:

घरेलू क्षेत्र वर्गीकरण	शाखाओं की संख्या	कुल संख्या का %
महानगरीय	1008	18.91
शहरी	933	17.50
अर्ध-शहरी	1425	26.74
ग्रामीण	1964	36.85
कुल	5330	100
विदेशी (अनुषंगियों की शाखा एवं प्रतिनिधि कार्यालय सहित)	106	--

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने की बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पुरानी परम्परा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव कल्याण और अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अपने प्रयासों को और तेज किया। बैंक ने कमजोर वर्ग, ग्रामीण जनसमुदाय तथा अन्य लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों तथा विभिन्न समुदायिक विकास कार्यों में लगे अलग-अलग संगठनों के लिए ₹ 1940.21 लाख की राशि स्वीकृत की है।

कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी युवाओं के लिए स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु हमारे बैंक ने देश के छह राज्यों में 49 बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आर-सेटी) स्थापित किए हैं, अभी तक हमारे बड़ौदा स्वरोजगार संस्थानों ने 9188 प्रोग्राम आयोजित किए हैं तथा 2,63,378 युवाओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 1,58,731 ने या तो रोजगार प्राप्त कर लिया है या स्वरोजगार स्थापित कर लिया है।

सामान्य वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने तथा वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे बैंक ने देश के आठ राज्यों में 51 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, वित्तीय योजना तथा किसी व्यक्ति की कर्ज संबंधी परेशानी में सुधार लाने संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन

स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने एक व्यवस्थित जोखिम प्रणाली विकसित की है ताकि बैंक द्वारा अनुमानित जोखिमों की लगातार और व्यवस्थित आकलन व मॉनीटरिंग की जा सके। यह उल्लेखनीय है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंततः बैंक के निदेशक मंडल पर है। आपके बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एक सुदृढ़ उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन स्वरूप निर्धारित किया गया जिससे कि जोखिम, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा परिभाषित जोखिम प्रवृत्तियों के अनुरूप रहे। विभिन्न जोखिमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए बोर्ड की एक विशिष्ट समिति का गठन किया गया है। बोर्ड ने अपनी एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच इंटरलिंग को देखती है।

बासेल III कार्यान्वयन

भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से बासेल III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन किया गया है। कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा तथा वहीं दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। बैंक की



कोर पूंजी में सुधार करने तथा वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2016 में एफसीटीआर, डीटीए तथा पुनर्मूल्यन आरक्षित को शामिल करने के लिए नए उपाय किए गए हैं. मार्च 2016 के बाद से बैंक चरणबद्ध तरीके से सीसीबी का रखरखाव करना भी शुरू करेगा तथा नियामक के अनुसार 2.5% पर पहुंचेगा. बैंक लघुत्तम नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पर्याप्त कुशलता के साथ नियामकीय मानदंडों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है.

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) ने वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षण प्रोसेस की समीक्षा के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली (आरबीएस) अपनायी है. आरबीएस फ्रेमवर्क को जोखिम तथा पूंजी के मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षण प्रोग्राम (एसपीएआरसी) का नाम दिया गया है तथा प्रोसेस में प्रयुक्त एकात्म जोखिम तथा प्रभाव स्कोरिंग (आईआरआईएस) मॉडल इसके महत्वपूर्ण घटकों/ टूलों में से एक है. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ऑफसाइट के साथ-साथ ऑनसाइट पर्यवेक्षण से संचालित होता है जिसके लिए बैंक को डाटा संग्रहण और समेकन प्रक्रिया और रिपोर्टिंग के लिए मजबूत प्रणाली लागू करने की आवश्यकता होती है. हमारे बैंक में पर्यवेक्षण चक्र 2012-13 में आरबीएस का प्रारंभ किया गया. एसपीएआरसी जोखिम केन्द्रित है तथा इसका उद्देश्य निरीक्षणात्मक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशील बनाना है. जोखिम व पूंजी आंकलन एसपीएआरसी परियोजना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. बैंक में जोखिम के आंकलन के अंतर्गत आंतरिक जोखिम, आंतरिक जोखिम के नियंत्रण में हुई चूक के कारण हुआ जोखिम, विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन, निर्धारित प्रक्रिया के संचालन व निगरानी में हुई चूक के कारण हुए जोखिम को शामिल किया गया है. ये सभी आंकलन मिलकर बैंक का कुल जोखिम तय करते हैं. कुल जोखिम तथा उपलब्ध पूंजी मिलकर बैंक के असफलता के जोखिम का स्कोर (आरओएफएस) तय करते हैं.

आपके बैंक ने एसपीएआरसी के तहत तीसरा चक्र पूरा कर लिया है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में चौथे निरीक्षणात्मक चक्र की सफलतापूर्वक शुरुआत के लिए पूर्णतः तैयार है.

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करती है. यह समिति प्रभावी आंतरिक जोखिम आधारित लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, आई.एस.लेखा परीक्षा तथा अन्य निरीक्षण व लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभावी विकास के लिए मार्गदर्शन देती है. यह समिति कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति / बैंक की निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कार्यों की मॉनीटरिंग करती है. आपके बैंक में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग (सीआईएडी) है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं पद्धतियों के अनुपालन का परीक्षण करता है. भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, बैंक का निदेशक मंडल और निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति से आंतरिक नियंत्रण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त मार्गनिर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से आर्थिक नियंत्रण तंत्र का भाग बन गए हैं. बैंक के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिवर्ष बढ़ते हुए कारोबार को ध्यान में रखकर केन्द्रीय आंतरिक लेखा विभाग जोखिमों पर प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के द्वारा सतत नियंत्रण रखने का प्रयास करता है. बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुसार 13 अंचल निरीक्षण केन्द्रों द्वारा शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से सीआईडी अपना संचालन करता है और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का परीक्षण करता है. आपके बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित लेखा परीक्षा (आरबीआईए) से कवर हैं. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 4455 शाखाओं का निरीक्षण किया गया जिनमें से 3671 शाखाएं (82.40%) कम जोखिम में,

694 शाखाएं (15.58%) मध्यम जोखिम में तथा 90 शाखाएं (2.02%) उच्च जोखिम श्रेणी में थीं.

बैंक ने प्रौद्योगिकी, प्रभावशाली उपायों तथा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों को केंद्रीकृत करने की पद्धति व प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है. प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग करके, विश्लेषणात्मक, सरलीकृत तथा उन्नत लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली के माध्यम से समूची लेखा-प्रणाली में बदलाव किया जाएगा. सक्षम लेखापरीक्षा मशीनरी को स्थापित करने तथा लागू करने हेतु बैंक ने प्रमुख ऑडिट फॉर्मों में से एक नॉलेज पार्टनर की सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखा है.

परिचालन एवं सेवाएं

ग्राहक केन्द्रित पहलें

आपका बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं और संतुष्टि के प्रति सदैव तत्पर रहा है और उसका यह विश्वास रहा है कि प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएं, उत्पाद एवं इसके लोगों का हर प्रकार का कौशल अपने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए. ग्राहक सेवा में और सुधार करने तथा शिकायतों के निवारण के लिए वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा विभाग को सुदृढ़ किया गया है. आपके बैंक ने शिकायतों के शीघ्र निपटान करने हेतु शाखाओं में ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए तथा साथ ही साथ ग्राहक शिकायतों की मशीनरी को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

वर्ष के दौरान, ग्राहकों को भेजे गए ई-मेल के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया को जानकार सुधारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से दिनांक 08.06.2015 से 30.09.2015 तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया गया. उक्त सर्वे से प्राप्त सूचनाओं तथा पाई गई कमियों को दूर करने हेतु सुझाए गए उपायों पर विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक कार्रवाई की गई.

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

आपके बैंक के पास सुपरिभाषित केवाईसी - एएमएल - सीएफटी नीति है, यह वह आधारशिला है जिस पर केवाईसी मानदंडों का अनुपालन, ए.एम.एल. मानदंडों, सीएफटी उपायों तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंक के दायित्वों का कार्यान्वयन टिका हुआ है.

आपके बैंक में केवाईसी - एएमएल - सीएफटी कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- बैंक वित्तीय आसूचना इकाई भारत (एफआई यू - आईएनडी) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकद लेन देन रिपोर्टों (सी टी आर) को जनरेट करता है.
- ग्राहक के खाते में लेन देनों के आधार पर सिस्टम आधारित एलर्ट जनरेट करने के लिए 'एएमएल सॉल्यूशन' लागू किया गया है. आईबीए के कार्य दल की संस्तुति के आधार पर इसमें और अधिक एलर्ट निर्धारित करके इसको आगे और अधिक व्यापक बनाने की गुंजाईश है. आपके बैंक में केवाईसी-एएमएल-सीएफटी दिशानिर्देशों के समस्त अनुपालन हेतु निदेशक नामित हैं.
- केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) ने बैंक के प्रधान कार्यालय में दि. 18.02.2016 से संव्यवहारों/ एएमएल सॉल्यूशन में जनरेट अलर्ट्स की पूरी तरह से निगरानी करने तथा यदि संव्यवहार संदेहास्पद पाया जाए तो एसटीआर फाईल करने हेतु कार्य आरंभ कर दिया है.
- संदेहास्पद संव्यवहार रिपोर्ट (एसटीआर) की जांच करने तथा वित्तीय आसूचना इकाई भारत (एफआईयू-आईएनडी) को प्रेषित करने हेतु जांच दल का गठन किया गया है.
- बैंक के ग्राहकों के खातों का प्रत्येक छमाही (जुलाई एवं जनवरी) में सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (एएमएल उपायों से) किया गया है.



- बैंक, एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली को प्रत्येक माह जाली करेंसी नोटों की रिपोर्ट (सीसीआर) और गैर लाभकारी संगठनों के लेनदेन के बारे में रिपोर्ट (एनटीआर) प्रस्तुत करता है। आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट हर माह तैयार करता है और एफआईयू- आईएनडी, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।
- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने समस्त वर्तमान ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित करने के लिए प्रक्रियाधीन है।
- धन शोधन को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में एन एस डी एल से पैन कार्ड (PAN) का ऑनलाइन सत्यापन करने के कार्य को परिचालित किया गया है।
- सीबीएस सिस्टम में भी इस प्रकार उपयुक्त रूप से सुधार किया गया है जिससे वह पैन (PAN) / फार्म 60/61 की अनुपस्थिति में ₹ 50000/- तथा इससे अधिक की नकदी को स्वीकार न करें।
- बैंक ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से आधार आधारित ई-केवाईसी को लागू कर दिया है। सीएफटी के उपाय के रूप में सभी शाखाओं में तत्काल जांच पड़ताल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विनियमावली (UNSCR) से प्राप्त नामों की सूची उपलब्ध है।
- पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर खाता खोलते समय और एएमएल अलर्ट जनरेट करते समय अल कायदा / तालिबान या भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट में घोषित व्यक्तिगत नामों / संस्थाओं के नामों के साथ ग्राहक के नाम की ऑनलाइन जांच की जाती है।
- केन्द्रीय केवाईसी पंजीकरण की परियोजना में आपके बैंक ने सफलतापूर्वक हिस्सेदारी की है तथा खाता खोलने के फार्म में सीकेवाईसी को अनिवार्य फ़िल्ड के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है तथा सीबीएस सिस्टम में सीकेवाईसी का स्थान निर्धारित कर दिया है।

अनुपालन कार्य

आपके बैंक ने अनुपालन नीति तैयार की है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों पर आधारित अनुपालन दर्शन परिलक्षित होता है। बैंक में अनुपालन कार्य, आंतरिक नियंत्रण व अनुपालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सहित गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा है, जो कि बैंक में स्वस्थ अनुपालन की प्रक्रिया को समर्थ बनाता है।

घरेलू अनुषंगियां एवं सहयोगी :

आपके बैंक की अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों का वर्ष 2016 के दौरान प्रदर्शन संतोषजनक रहा था। घरेलू अनुषंगियों, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैं :- .

इकाई (पंजीकरण की तारीख के साथ)	देश	स्वाधिकृत निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	कार्यालय	स्टाफ
बॉबकार्डर्स लि. (29 सितंबर 1994)	भारत	22,281	26,385	2,397	39	161
बॉब कैपिटल मार्केट लि. (11 मार्च 1996)	भारत	16,053	16,182	1,023	1	53
नैनीताल बैंक लि. (31 जुलाई 1922)	भारत	51,760	6,08,439	4,697	126	798
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (5 नवंबर, 2009)	भारत	51,532	9,23,634	773	12	1,150
इंडिया इन्फ्रास्ट्रेट लि. (31.10.2012)	भारत	37,374	2,62,247	2,924	1	13
बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. (5 नवंबर 1992)	भारत	4,675	6,025	(493)	3	80
बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी लि. (23 दिसंबर 2011)	भारत	7	10	1	0	0

मानव संसाधन - व्यवसाय उत्कृष्टता की कुंजी

आपका बैंक बहुआयामी चुनौतियों अर्थात बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति, प्रतिभाओं की व्यापक भर्ती, बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं, लगातार नयी योजनाएं एवं उच्च उत्पादकता के लिए तल्लीनता सहित, वर्तमान गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में मानव संसाधन के महत्व को महसूस करते हुए कई पहलों के माध्यम से मानव संसाधन प्रक्रिया को एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है।

आपकी बैंक की वेबसाइट पर एक विशेष रूप से तैयार 'कैरियर पोर्टल' शुरू किया गया है। संस्थान में सांस्कृतिक समभाव के लिए बैंक में नयी नियुक्तियों के लिए एक सुनियोजित, व्यवस्थित एवं केंद्रीभूत ऑन बोर्डिंग कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक ने नवनियुक्तों के लिए 'बड़ौदा सारथी' नामक मेंटरिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंकिंग कैरियर के लिए बैंक की आवश्यकतानुसार 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण देने का अनुूठा संयुक्त प्रयास है। बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रबन्धन पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। बैंक अति व्यवस्थित प्रतिभा प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ पदों हेतु उत्तराधिकार योजना पर कार्य रहा है।

कर्मचारी सहबद्धता सर्वेक्षण - 2016

बैंक ने कर्मचारियों के सहबद्धता स्तर, विशेष रूप से उनके अनुभव, विश्वास, दृष्टिकोण आदि को समझने के लिए फरवरी, 2016 में कर्मचारी सहबद्धता सर्वेक्षण किया, ताकि आगे कर्मचारियों के सहबद्धता स्तर के अंतर एवं सुधार को देखते हुए कई एचआर गतिविधियों/पहलों की समुचित रूप से शुल्कात की जा सके। यह सर्वेक्षण 22.02.2016 को प्रारम्भ हुआ और 20.03.2016 को पूर्ण हुआ। इस सर्वेक्षण में 85% से अधिक स्टाफ सदस्यों (अधिकारियों एवं लिपिकों) ने भाग लिया।

पूर्ण केवाईसी के लक्ष्य को हासिल करने हेतु बैंक द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- ग्राहकों की जानकारी के लिए केवाईसी दस्तावेजों की पूरी सूची बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर अपलोड की गयी है।
- ग्राहकों के खातों में केवाईसी अद्यतन करने हेतु मोबाईल आधारित एसएमएस भेजे जा रहे हैं तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए गए हैं।



विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान :

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक को व्यवसाय एवं वित्तीय मानदंडों के तहत निम्नलिखित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए -

दिनांक	पुरस्कार
22.04.2015	बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में "शिक्षण एवं विकास के माध्यम से व्यावसायिक उत्कृष्टता - 2015" के लिए बी.एम. मुंजाल अवार्ड नई दिल्ली में 22.04.2015 को आयोजित कार्यक्रम में दिया गया.
19.06.2015	बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2013-14 के अंतर्गत पांच पुरस्कार प्राप्त हुए : भाषिक क्षेत्र 'ख' में प्रथम पुरस्कार भाषिक क्षेत्र 'क' एवं 'ग' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार इसके अलावा, बैंक को द्विभाषी गृहपत्रिका एवं हिन्दी गृहपत्रिका की श्रेणी में भी पुरस्कार प्राप्त हुए.
जुलाई 2015	बिजनेस वर्ल्ड द्वारा "सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ने के लिए श्रेष्ठ पहल" के तहत 'एच.आर. एक्सीलेंस अवार्ड'
28.08.2015	बैंक को डन एंड ब्राडस्ट्रीट बैंकिंग अवार्ड 2015 के तहत "वैश्विक व्यवसाय" के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार
14.09.2015	राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में 'ख' भाषिक क्षेत्र में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की योजना अखिल भारतीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत वर्ष 2014-15 में प्रथम पुरस्कार
09.02.2016	9 फरवरी 2015 को गोवा में आयोजित मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र के राजभाषा सम्मेलन में बैंक के दक्षिण गुजरात अंचल को बैंक की श्रेणी में राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया.
16.02.2016	बैंक को बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2016 में भारतीय बैंक संघ द्वारा बड़े बैंकों की श्रेणी में 'बेस्ट फाइनेंसियल इंकलूजन इनिशिएटिव' के लिए प्रथम रनर-अप पुरस्कार प्राप्त हुआ.
20.02.2016	बैंक को वित्त, बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए मुंबई में आयोजित छठे माई एफएम स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड में 'एक्सीलेंस इन एजुकेशन लोन' पुरस्कार प्राप्त हुआ.
18.03.2016	बैंक को, 55 वीं एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्प्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) पुरस्कार 2016 द्वारा तीन पुरस्कार दिये गये. दीवार कैलेंडर 2015 : रजत हेडलाइन्स : ताम्र - वैश्विक भारतीयों के लिए 'विशिष्ट बैंकिंग समाधान' विज्ञापन हेतु ई-जोन : रजत - बॉम्बार्कॉम

राजभाषा नीति कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. आपके बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अपनी वार्षिक कार्ययोजना 2015-16 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुव्यवस्थित रूप से तैयार वार्षिक कार्यक्रम को अपनाया एवं विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं में संसदीय समिति की बैठक में इसकी पुष्टि की है. आपके बैंक ने संसदीय राजभाषा समिति को दिये सभी आश्वासनों को पूरा किया एवं सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया.

निदेशक मंडल :

नियुक्तियां :

श्री रवि वेंकटेशन की नियुक्ति गैर कार्यकारी निदेशक एवं गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत की गई है जो कि 14.08.2015 से 3 वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगी.

श्री पी. एस. जयकुमार की नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत की गई है जो कि 13.10.2015 से 3 वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगी.

श्रीमती उषा नारायणन, नामांकनों की समीक्षा एवं 'सही एवं उपयुक्त' पाये जाने पर, दिनांक 12.12.2015 से निदेशक मंडल में शेरधारक निदेशक के रूप में चयनित की गई.

श्री मयंक मेहता की नियुक्ति कार्यपालक निदेशक के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत की गई है जो कि 22.01.2016 से 30.09.2018, अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति तक अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगी.

कार्यकाल समाप्ति :

श्री रंजन धवन, कार्यपालक निदेशक, 1 अक्टूबर 2015 से अधिवर्षिता पर बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

श्री के. वी. रामामूर्ति, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 29 अगस्त 2015 को उनकी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति के पश्चात् बैंक के कार्यपालक निदेशक नहीं रहे.

कॉर्पोरेट गर्वनेंस पर लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अनिवार्यता) विनियम 2015 की अनुसूची V के भाग 'ई' के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2015-16 के लिए कॉर्पोरेट गर्वनेंस की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों का अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न है.



व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट

सेबी के दिशा-निर्देशानुसार, व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट संबंधी सामग्री बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर उपलब्ध हैं. यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कम्पनी सचिव को लिख सकते हैं.

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में वार्षिक लेखों को तैयार करते समय :

- ए) तात्विक प्रस्तुति के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है.
- बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके.
- सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं पता लगाने हेतु बैंक के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती.
- डी) निदेशकों ने, लेखों को उत्तरोत्तर प्रगति के आधार पर तैयार किया है; और
- ई) निदेशकों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाई जा रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अनुसरण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया एवं इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहा है.

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन हेतु, 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' का अभिप्राय उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं से हैं, जिसमें बैंक की आस्तियों की सुरक्षा, जालसाजी से बचाव, लेखों की पूर्णता एवं शुद्धता तथा

समयबद्ध विश्वसनीय वित्तीय जानकारियों के संकलन को शामिल करते हुए व्यवसाय का कुशल एवं व्यवस्थित निष्पादन सुनिश्चित होता है.

एफ) निदेशकों द्वारा, वैधानिक रूप से लागू सभी पर्याप्त एवं प्रभावी प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया गया है.

आभार :

निदेशकगण, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, भारत एवं विदेशों में स्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं.

निदेशकगण, बैंक के देश विदेश में स्थित समस्त हितधारकों जैसे ग्राहकों, शेयरधारकों एवं शुभचिंतकों द्वारा प्रदत्त सहायता एवं सहयोग की सराहना करते हैं.

निदेशकगण, बैंक के विभिन्न स्तरों के स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता एवं समर्पण की सराहना करते हैं जिसके कारण आपके बैंक को आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्ष दर वर्ष निरंतर उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने में सफलता प्राप्त हुई एवं बैंक ने देश के अग्रणी बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

पी. एस. जयकुमार

पी. एस. जयकुमार



निदेशक की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ Highlights of Directors' Report

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Eighth Annual Report of your Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2016 (FY16).

Performance Highlights

- **Total Business** (Deposit+Advances) stood at ₹ **9,57,808 crore**.
- **Gross Profit** and **Net Profit** were ₹ **8816 crore** and ₹ **(5396) crore** respectively.
- **Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel III stood at **13.17%**.
- **Retail Credit** stood at ₹ **50,850 crore** constituting **18%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY16.
- **MSME Credit** stood at ₹ **54,990 crore** constituting **20%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY16.
- **Net Interest Margin (NIM)** in global operations was **2.05%** and in domestic operations at **2.60%** during FY16.
- **While Gross NPAs to Gross Advances** stood at **9.99%**, **Net NPAs to Net Advances** stood at **5.06%**.
- **Net Worth** as on 31.03.2016 was at ₹ **30,586 crore**.
- **Book Value per share** at ₹ **132.74** as on 31.03.2016.
- **Business per Employee** was ₹ **1680 lac**.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Your Bank's **Capital Adequacy Ratio (CAR)** under **Basel III** was comfortable at **13.17%** as on 31st March 2016. Tier 1 ratio was at **10.79%** and Common Equity Tier 1 (CET-1) was at **10.29%** under Basel III framework.

Your Bank's **Net Worth** as on 31st March 2016 was ₹ **30,586 crore** comprising paid-up equity capital of ₹ **462 crore** and reserves (excluding revaluation reserves, FCTR & Net of Intangible assets) of ₹ **30,123 crore**.

Provisions towards Retirement and Other Benefits

During the year FY16, your Bank made provision towards contribution to gratuity (₹ 20.56 crore), pension funds (₹ 3,025.08 crore) which included provision of ₹ 1,563.70 crore on account of shifting of mortality table from LIC 1994-96 to IALM 2006-08, leave encashment (₹ 259.37 crore) and additional retirement benefits (₹ 87.23 crore). Total provisions under these four categories amounted to ₹ 3,392.24 crore during the year FY16. Total corpus available with your Bank at the end of March 2016 under these heads were: ₹ 1,346.55 crore (gratuity), ₹ 11,947.17 crore (pension funds), ₹ 881.23 crore (leave encashment) and ₹ 375.96 crore (additional retirement benefit).

Key Financial Ratios

Particulars	FY 16	FY 15
Return on Average Assets (ROAA) (%)	(0.78)	0.49
Average Cost of Funds	5.08	5.23
Average Yield (%)	7.09	7.53
Average Interest Earning Assets (₹ crore)	6,21,234.89	5,70,592.45
Average Interest Bearing Liabilities (₹ crore)	6,16,002.63	5,69,190.46
Net Interest Margin (%)	2.05	2.31
Cost-Income Ratio (%)	50.30	43.63
Book Value per Share (₹)	132.74*	166.83*
EPS (₹)	(23.89)*	15.83*

*post split of face value of the share to ₹ 2/-.

Dividend

Bank is not eligible to pay dividend for the financial year 2015-16 on account of not meeting the eligibility criteria stipulated by Reserve Bank of India for this purpose.

Management Discussion and Analysis

Indian Economic Overview and Outlook for FY17

India's macroeconomic stability has improved substantially due to fiscal prudence, lower inflation, lower current account deficit, and robust foreign exchange reserves. As per the advanced estimates of CSO, the real GDP (2011-12 prices) for 2015-16 stood at 7.6% and the Gross Value Added (GVA) at basic constant prices (2011-12) stood at 7.3% in 2015-16. This growth was achieved despite subdued global demand and two consecutive below-normal monsoons that impacted farm output.

While the agriculture sector was expected to grow at 1.1% in 2015-16, the growth in services sector has moderated slightly to 9.2%. The industrial sector was estimated to grow by 7.3% in 2015-16. The Index of Industrial Production (IIP) for April-March 2015-16 was at 2.4%.

The major achievement in 2015-16 has been sharp decline in inflation driven by a number of factors such as sharp decline in crude oil prices, RBI formally targeting inflation, astute food supply management and minimal increase in minimum support prices and slowdown in China. The CPI has ranged between 5-6% during the year and WPI stood at (-) 0.91%. The



overall inflation remained within the targets set by the RBI. The exports continued to contract for 15 consecutive months and imports also remained subdued due to slow economic recovery in the domestic economy and decline in oil prices. The current account deficit remained at 1.3% in Q3, FY16 as against 1.5% in Q3, FY15. The buoyant inward remittances, lower oil prices and significant FDIs which jumped around 40% resulted in higher foreign exchanges reserves above US \$ 350 billion. Fiscal deficit remained at 3.9% (Revised Estimates) for 2015-16 and 3.5% (Budget Estimates) for 2016-17.

The year witnessed the continuation of the reform measures. The reforms aimed at debottlenecking the economy, removing structural constraints, promoting industry and enterprise via Make-in-India initiative and the attendant measures to improve the ease of doing business, improving delivery through direct benefit transfer and deepening of banking services and liberalising foreign direct investment policy in various sectors were taken forward this year. The new initiatives like Public Sector Banks' Revamp Plan (Indradhanush), UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) for ensuring financial turnaround of the ailing power distribution companies, Start-up India for tapping budding entrepreneurial potential, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for crop insurance, add to the ongoing reform measures. The PAHAL scheme of transferring LPG subsidies via DBT reduced leakages by 24 per cent. As announced in the Union Budget, the bankruptcy law was passed in the Parliament. Also, the announcement of Smart Cities, Housing for all by 2022, Make in India and stand-up/start-up initiatives are positive developments from banking perspective. The efforts of the government to improve the ease of doing business would facilitate the growth imperatives. Though Indian economy has emerged as one of the fastest growing large economies in the world, the external risks to growth such as subdued global growth; slowdown and rebalancing in China's economy; increased volatility in financial markets; and, gradual tightening in the monetary policy in the United States, remain.

Recent Developments in Indian Banking

The RBI effected a shift in its monetary policy stance on January 15, 2015 with a reduction in repo rate by 25 basis

points (bps) to 7.75 per cent and followed it up with a cumulative reduction of 125 bps to 6.50 per cent till recently. Correspondingly, the banks effected a cut in their Base rates, though, the pace of decline in Base rate was lower than that of the policy benchmark rate. The limited transmission of monetary policy became a cause of concern for the RBI. Given the limited transmission of policy rates, the RBI introduced Marginal Cost of Funds based Lending Rate. With this change, the transmission of policy rates into the lending rates of banks would improve.

The performance of the scheduled commercial banks (SCBs) during 2015-16 remained subdued due to sluggish deposit & credit growth and asset quality concerns. The deposit growth was 9.7% and the credit growth remained at 10.7%.

Gyan Sangam 2.0 was held at Gurgaon in the first week of March, 2016 to review the progress made on the recommendations of Gyan Sangam-I. Deliberations were held with top management of Public Sector Banks on Restructuring/Mergers and acquisitions, NPA management and recovery, technology, digital and financial inclusion, credit growth and risk management. Under Project 'Indradhanush', a range of measures were announced for improving the performance of PSBs including the capitalisation of PSBs to the extent of ₹ 70,000 crore till 2019. The Bank Board Bureau has started functioning w.e.f 1st April, 2016, which aims at improving the governance of Public Sector Banks (PSBs) and formulate appropriate strategies for their growth. The Bureau will also recommend for selection of heads of Public Sector Banks and Financial Institutions and help Banks in capital raising plans.

Business Performance

Resource Mobilization and Credit Expansion

During the year, your Bank made strategic shift in its approach towards business by moving to average business concept. The allocation of business targets as well as review of performance of all operating units is done on the basis of average business figures (based on daily average). Given below are the details of your Bank's major achievements on business front during FY16.

Composition of Funds – Global

Particulars (₹ crore)	End March 2015	Average Figures March 2015	End March 2016	Average Figures March 2016	Growth on Average Figures (%)
Deposits	6,17,560	5,34,470	5,74,038	5,78,317	8.20
- Domestic	4,14,278	3,61,917	3,94,844	4,03,503	11.49
- Overseas	2,03,282	1,72,553	1,79,194	1,74,814	1.31
Borrowings	35,264	-	33,471	-	-



Global Advances*

Particulars (₹ crore)	End March 2015	Average Figures March 2015	End March 2016	Average Figures March 2016	Growth on Average Figures (%)
Advances	4,28,065	3,83,313	3,83,770	4,05,126	5.69
- Domestic	2,91,870	2,53,788	2,63,268	2,70,108	6.43
- Overseas	1,36,195	1,29,525	1,20,502	1,35,018	4.24

*While end of year numbers are Net Advances, average figures are of Gross Advances

Total Average Deposits of your Bank rose from ₹ 5,34,470 crore to ₹ 5,78,317 crore, posting a growth of 8.20% over the previous year. Of this, Average Savings Bank Deposits grew by 12.71 % from ₹ 94,705 crore to ₹ 1,06,739 crore. The share of low cost deposits (Current + Savings) or CASA deposits in Total (Domestic + Overseas) Deposits as on March 2016 was at 26.36 % and in Domestic Deposits at 33.57% as against 26.39% and 33.01% respectively last year. Share of average CASA (domestic) to total average deposits of your Bank, increased from 29.31% as on March 2015 to 29.43% as on March 2016. Your Bank continues to shed bulk preferential rate term deposits in favour of retail term deposits. Domestic retail term deposits ratio improved to 73.96% as on 31.03.2016 from 62.79% last year.

Your Bank's Total Average Advances increased by 5.69% during FY16 led by 6.43% expansion in Domestic Advances and 4.24% expansion in Overseas Advances. Bank has focused on re-balancing of its loan book after thorough review of the portfolio with a calibrated shift to assets growth where it can improve its earnings and share of overall business with customers.

Operating Performance:

Particulars (₹ crore)	End March 2015	End March 2016	Growth (%)
Net Interest Income	13,187	12,740	-3.39%
Other Income	4,402	4,999	13.56%
Total Revenue	17,589	17,739	0.85%
Operating Expenses	7,674	8,923	16.28%
Operating Profit	9,915	8,816	-11.08%
Provisions for NPAs	3,998	13,766	244.32%
Other Provisions	497	1,748	251.71%
Provisions for Tax	2,022	(1,303)	-
Total Provisions	6,517	14,211	118.06%
Net Profit	3,398	(5,396)	-

Net Interest Income of your Bank decreased by 3.39% on account of significant increase in non-performing assets which led to interest reversals and cessation of interest income of such assets. However Total Revenue increased by 0.85% led by 13.56% increase in other income. Operating expenses, including employee cost increased by 16.28%.

Operating Profit of the Bank at ₹ 8,816 crore was lower by 11.08%.

During the year, the Bank made Provisions of ₹ 14,211 crore against ₹ 6,517 crore past year. These provisions included ₹ 13,766 crore towards NPAs and other provisions of ₹ 1748 crore. Provisions on NPAs were higher than the regulatory requirements by ₹ 2,954 crore to improve the provision coverage ratio to 60.09% and to strengthen the balance sheet. Other provisions included ₹ 1,564 crore provided on account of pension liability arising on account of moving to mortality table from LIC 1994-96 to IALM of 2006-08. Your Bank has provided for all known liabilities to ensure that all focus would be to improve earnings going forward. On account of all these factors, Bank posted net loss of ₹ 5,396 crore against net profit of ₹ 3,398 crore last year.

Large & Mid Corporate Credit

Bank caters to the needs of corporate credit mainly through 10 Corporate Financial Service branches and 17 Mid Corporate branches. -82- new corporate relationships were established during the year. In view of challenging market conditions prevailing, your Bank adopted cautious approach coupled with proper due diligence towards taking fresh exposures. Bank initiated following measures to ensure consistent growth of large and mid-corporate credit with quality:

- Monitoring of undrawn exposure to achieve optimum level of capital conservation
- Introduction of RAROC approach to examine the risk adjusted return of an asset
- Initiated process of building a team of sectoral expertise
- Established "Real Estate Desk" to exclusively deal with CRE proposals
- Setting up market intelligence cell in view of increasing number of Red Flagged Accounts.

MSME Credit

MSME is a vital sector to the nation's economy and Bank supports credit to this sector through 54 SME Loan factories and wide network of branches. MSME advances of your Bank were ₹ 54,990 crore as of end-Mar 2016. The advances of ₹ 29,861 crore to Micro Enterprises for FY16 to total MSE credit of ₹ 55,535 crore as of preceding year stood at 53.70% in FY16. The MSME advances as on 31st March, 2016



contributed 19.58 % to the gross domestic advances of your Bank. The advances to Micro & Small enterprises were at the level of ₹ 49,571 crore.

Prime Minister Mudra Yojana (PMMY) was launched by Govt of India on 08.04.2015 and your Bank is participating actively in the said scheme. Bank has achieved 24% YOY growth in number of accounts under Micro Enterprises category as against 10% achievement during the same period previous year.

Your Bank has set up Baroda Micro Enterprise (BME) Cells, under which these exclusive cells cater to Micro Enterprises. Bank has 90 such cells established across the country.

Retail Credit

Retail credit of your Bank is dispensed through 65 Retail Loan Factories (RLFs) and wide network of branches. During the year, Bank initiated the process of re-designing RLFs into Specialized Mortgage Stores (SMS) to undertake Sales and Marketing activities of mortgage loans and centralization of processing of retail loans through Centralized Processing Centres. Bank also undertook simplification of application forms for retail loans, revamped online home loan application system with instant 'In principle sanction' and initiated empanelment of direct selling agents.

Your Bank's Retail Loan Book consists of five key products viz. Home Loan, Auto Loan, Education Loan, Traders Loan and Mortgage Loan, which constituted 83.12% of total Retail Loans as on March, 2016. Home Loans grew by ₹ 2,427 crore (10.77%) reaching a level of ₹ 24,968 crore as of March, 2016. Total disbursements of ₹ 6,632 crore were made during the financial year ended 31st March 2016 as against ₹ 6,335 crore during the same period last year. Auto Loans grew by ₹ 268 crore (6.45%) reaching a level of ₹ 4,428 crore as on March, 2016. Fresh disbursement of auto loans were ₹ 1,773 crore during the financial year ended 31st March 2016. Baroda Traders loans, Baroda Mortgage Loans and Education Loans were at a level of ₹ 8,836 crore, ₹ 1,914 crore and ₹ 2,123 crore respectively. The other retail loan products included Baroda Personal Loan and other miscellaneous products viz. Doctors Loan, Loan against Government securities etc. Total Retail Loans stood at ₹ 50,850 crore as on 31st March, 2016 and constituted 18.82% of the Bank's domestic advances.

During the year, your Bank undertook review and redesigning of various retail loan products and risk based pricing of loans linked to credit bureau score.

Rural and Agricultural Lending

The Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture lending. It has been harnessing the potential of the rural market through its wide network of 1,964 rural branches and 1,425 semi-urban branches. During FY16, your Bank has opened 95 new branches in rural and semi-urban areas.

Your Bank is the Convener of State Level Bankers Committee (SLBC) in the states of Uttar Pradesh and Rajasthan. Your Bank shoulders the Lead Bank Responsibility in 48 districts of

India comprising of 14 in Gujarat, 12 in Rajasthan, 15 in Uttar Pradesh, 2 each in Uttarakhand, Madhya Pradesh and Bihar and 1 in Delhi.

Priority Sector Advances of your Bank increased from ₹ 1,03,342.67 crore as on March 2015 to ₹ 1,13,121.13 crore as on March 2016 and formed 37.05% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The Direct Agriculture advances of your Bank increased to ₹ 28,094.12 crore with an absolute growth of ₹ 1,483.20 crore (5.57%) during the year. The total agriculture advances (excl. RIDF) of your Bank has grown by ₹ 4,085.67 crore and reached ₹ 36,822.21 crore on March 2016. The Total Agricultural Advances were at 14.76% of ANBC.

The outstanding advances granted by your Bank to SC/ST communities went up from ₹ 4,997 crore as on March, 2015 to ₹ 5,298 crore as on March, 2016. SC/ST communities accounted for a share of 21.95% in the total advances granted to weaker sections by the Bank.

Performance of RRBs Sponsored by your Bank

Your Bank has sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) in three states viz. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank and Baroda Gujarat Gramin Bank. The aggregate business of these three RRBs rose to ₹ 42,640.52 crore as on March, 2016 from ₹ 37,440.67 crore as on March, 2015, registering a growth of 13.89%. The three RRBs together posted a Net Profit of ₹ 185.41 crore during FY15-16 as against ₹ 327.20 crore earned during FY14-15. The decline in profit is due to the payment of arrears on account of Xth Bipartite settlement. The "Net Worth" of these RRBs put together improved from ₹ 1851.02 crore as on 31.03.2015 to ₹ 2,036.43 crore on 31.03.2016 and "Reserves and Surplus" from ₹ 1,394.12 crore to ₹ 1,579.53 crore.

Financial Inclusion (FI)

Financial Inclusion aims to provide easy access to financial services to all sections of the society who are deprived of it so far at affordable cost thereby bringing them into the mainstream of society. Financial Inclusion activities are being implemented by the Bank since inception through various Governments sponsored programs, lending to the poorest of the poor, lending to the minority communities, lending to SC/ST, lending to priority sectors, etc. Bank has approved disaggregated Financial Inclusion Plan (FIP) for all 21,526 service area villages of our Bank. All targets of disaggregated FIP – 2016 surpassed in December 2014 itself.

Your Bank has adopted following models for providing banking services under financial inclusion viz. Information and Communication Technology (ICT) based Business Correspondent models like POS based BC Model; KIOSK BC Model; Brick and Mortar branch.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

PMJDY is a comprehensive financial inclusion plan wherein the ambit of financial inclusion is enlarged to make it more meaningful. PMJDY is a National Mission for Financial Inclusion. Further Government of India launched Jan



Suraksha Yojana on 9th May 2015 whereby low premium insurance products like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and pension product like Atal Pension Yojana were introduced.

Your bank has been allotted 6,829 SSAs by SLBCs covering 22,055 villages and 3,023 wards across the country. Bank has completed survey in all allocated SSAs and wards. Accordingly there are total 88,91,696 households in Bank's service area. It has been Bank's endeavor to provide banking services to each and every household in the service area. Bank has since saturated all households in service area by opening atleast one account per household and has opened 1.25 crore accounts with a deposit of ₹ 2,500 crore and issued 1.18 crore RuPay debit cards. Under Pradhan Mantri Jan Suraksha Yojana, Bank had enrolled 14.42 lac policies. Under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana number of policies enrolled were 40.24 lac.

International Operations

The international business of your Bank continued to support significantly to the total business of the bank. As on 31.03.2016, the International business contributed 31.3% of Global Business. Of the total International loan-book, 47.92% comprised of Buyers Credit/BP/BD portfolio where the exposure is on the banks. 22.03% of the exposure is to India related corporate by way of ECB/Syndicated Loans. Exposure to non-Indian entities by way of syndicated loans is at 4.30% and remaining 25.75% exposure is by way of local credit.

Treasury Operations

Your Bank operates its Treasury operations from State-of-the Art Dealing Room at its Corporate Office in Mumbai. Your Bank has been able to capitalize on the opportunity offered by higher yields in the first half of the year and has added bonds to the portfolio. Bank managed its portfolio in the most efficient manner and managed to maintain average yield on SLR investment as on 31.03.2016 at 8.01%. During FY 2016, your Bank's realized profit on Sale of Investment and Foreign exchange earnings are ₹ 1,162 crore and ₹ 612 crore respectively and earned ₹ 12,144 crore as Interest/ Discount.

Wealth Management Services

Your Bank has realized growing aspiration of customers for earning higher returns and security through mutual fund and insurance respectively. Bank is in Wealth Management Services since 2004 and Mutual fund, Life Insurance, Non Life Insurance products are being distributed to the customers.

Restructuring of Advance Accounts (Global) – 2015-16

		(₹ crore)			
		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers		19	564	583
	Amount Outstanding	227	108	975	1310

NPA Management

FY16 was a challenging year for the banking industry in terms of stress in asset quality on account of various macro-economic and other factors. Fresh slippages were at 6.38% of the opening Standard Advances of your Bank. In view of high slippages, the ratio of Gross NPA to Gross Advances was at 9.99% as on 31st March 2016 and the ratio of Net NPA to Net Advances was 5.06%. During the year, Bank provided ₹13,766 crore towards NPA provisions (last year ₹ 3,998 crore). These provisions were higher than the regulatory requirements by ₹ 2,954 crore to improve the provision coverage against stressed assets and strengthen the balance sheet. The Provision Coverage Ratio was at 60.09% during March 16 including Prudential/Technically Written Off advances.

The asset classification wise breakup of advances portfolio of your Bank is as under-

(₹ in crore)			
Asset Category(Gross)	31 st March 2016	31 st March 2015	
Standard	3,64,996	4,21,019	
Gross NPA	40,521	16,261	
Total	4,05,517	4,37,280	
Gross NPA comprising of:			
Sub-Standard	11,569	4,368	
Doubtful	25,766	10,383	
Loss	3,186	1,510	
Total Gross NPA	40,521	16,261	

Restructuring of Advances Accounts

In order to improve asset quality, your Bank scans the stressed advance portfolio on a continuous basis, industry-wise as well as borrower-wise so as to initiate suitable action by way of restructuring based on the viability of the project/activity. During the financial year 2015-16, the Bank undertook restructuring of various advances accounts as per following table:



(₹ crore)

		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Sub-standard Advances Restructured	No. of Borrowers	1	58	332	391
	Amount Outstanding	72	16	57	146
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	1	41	200	242
	Amount Outstanding	1,031	60	404	1,495
Total	No. of Borrowers	2	118	1,096	1,216
	Amount Outstanding	1,331	185	1,436	2,953

Information Technology (IT)

Your Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art Data Centre conforming to Uptime Institute Tier-3 standard and also a Disaster Recovery Site in different seismic zone with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted banking service delivery to customers. In addition to the Disaster Recovery Centre, your Bank has also implemented the Near Disaster Recovery Centre to ensure Near Zero Data Loss as part of its Business Continuity Plan and Disaster Recovery Strategy. Your Bank continued to optimise its technology initiatives like windows server virtualization and backup consolidation as green initiatives and also to improve Data Centre operational efficiency. Application virtualization, Automatic Storage Management (ASM) & Real Application Clusters (RAC) Implementation, Bandwidth up-gradation, provision of backup link, use of new technology based on MPLS (Multi Protocol Label Switching) for improving uptime and on demand upgrade are some of the major initiatives. Your Bank has initiated the upgradation of Core Banking Solution (CBS) to finacle 10.x and e-banking upgradation to 11.x

Alternate Delivery Channels**Internet Banking - BARODA CONNECT**

Your Bank continued to add more facilities under its Internet Banking (Baroda Connect) channel. During FY16, Baroda Connect has been enriched with multiple features to provide ease of use and better control for the customer.

Mobile Banking – BARODA M-CONNECT & IMPS

Mobile Banking application has been completely revamped in your Bank to attract the new generation and tech savvy customers by enhancing its look and feel, user-friendly and experience. The Mobile Banking platform as an alternate delivery channel offers many features and facilities to customers, viz. icon based user interface, balance enquiry, mini statement, fund transfer, stop payment, cheque status, other services. Mobile banking application is made available in all i-Phones, Blackberry, Android and Windows devices. Immediate Payment Services (IMPS) are implemented covering Person to Account (P2A), Merchant Payments (P2M) and Aadhaar based remittance (P2U). On the Mobile platform, other key facilities like Mobile banking registration through CBS and net banking, IMPS through branches, AXIOM SMS aggregator was implemented, M-passbook

for NRE customers launched, DTH recharge functionality in mobile banking have been introduced.

Baroda Non-Stop Lobby

Baroda Non-Stop Lobby comprises of five self service machines viz. Cash Recycler, ATM, Multi Function Kiosk, Passbook Printer and Digital Signage System for providing 24x7 banking services. The lobbies have increased visibility and are receiving encouraging response from customers as well as staff members. The number of Baroda nonstop lobbies increased from -151- as of March 2015 to -252- as of March 2016.

Baroda Express - 24X7 Lobby

“Baroda Express – 24X7” lobby is a lean version of Baroda NonStop lobby for smaller centres by expanding existing ATM cabins with minor changes in the interior and providing additional services by installing Cash Recycler and Passbook Printer in addition to ATM. These lobbies help in enhancing customer convenience, round the clock availability of services, reducing congestion in the branches and optimum utilization of the investment already made by the Bank. Baroda Express Lobby started functioning from September 2015. Bank has -451- Baroda Express-24x7 lobbies as of March 2016.

Contact Centre

Contact Centre is providing most of the banking services through telephone channel. All customers or members of general public/customer can connect with Contact Centre by dialing the Toll Free Number 1800 22 33 44 or 1800 102 44 55 from anywhere in the country. Contact Centres are providing various inbound and outbound services.

SMS Banking

For customers who desire to avail only information based banking services, your Bank has introduced SMS banking for balance enquiry, mini statement and Cheque status from the registered mobile number. This is a very simple and easy to use product that a customer can start using without any registration process.

Baroda E Gateway – Internet Payment Gateway

Bank owns entire setup to provide electronic payment platform of its merchant's for ecommerce business by enabling payment collection using credit card / debit card & Net banking. Bank is having tie-up with payment aggregators



viz. BillDesk, Citrus Payment Solutions Pvt. Ltd. and PayTm to offer Net Banking of major banks as additional payment option to customers. Your Bank is also in the process of upgrading IPG infrastructure with more robust and feature rich experience to our merchants.

Self Service Pass Book Printer (SSPBP)

Self Service Pass Book Printer is an automated kiosk where customer can print Pass Book on their own. SSPBP kiosk recognizes the account details from the magnetic strip placed on the Pass Book, through these details kiosk fetches the account transaction and prints it on Pass Book. Customer can use this facility 24x7 from the SSPBP machine installed in Elobby/ATM.

ATM

During the year, your Bank installed 945 additional ATMs to provide uninterrupted basic banking facility to the customers at convenient places across India and replaced 206 ATMs which were older than 7 years. More than 50 ATMs have been redeployed at more convenient locations for the customers. As on 31.03.2016, Bank has ATM network of 8,975 ATMs.

During the year, mobile banking registration through ATM on NFS network has been implemented. Gujarat Urja Bill payment facility is provided through ATM. Over Draft request facility through ATM for PMJDY customers have been provided. Cash withdrawal through Micro ATM for Bank's customers including our RRB customers and other bank customers is implemented. Rupay EMV implementation for all our RRBs, Lead capture through ATM, Bill payment through MFK using card and PIN, Multi language receipt printing in ATM and Cash Recycler enabled, Cardless deposit facility in cash recycler, Rupay cash at POS and Mudra cards launched for the customers. Online Baroda connect user creation and password reset using debit card and pin, OTP for registration of Rupay, Visa, Master e-com transaction, Visa Contact less debit card launched for Domestic and New Zealand territory. All debit card products are migrated to EMV cards, ESQ ATM monitoring solution to enable the bank to minimize the ATM down time and serve the customer better. First use on POS enabled for Rupay cards, PIN at POS made mandatory for international transactions, Debit card blocking through SMS and branch, Visa EMV for OMAN territory implemented.

Cash Recyclers

Your Bank launched its first Cash Recycler on 20th July, 2014. Bank has deployed 1,135 Cash Recyclers/BNAs as on 31.03.2016. Cash Recycler is enabled to accept cash as well as dispense cash apart from balance enquiry, mini statement and Pin change facilities. Cash recyclers are very popular with retail as well as business customers given the ease of operation and 24x7 availability. All successful transactions are immediately credited or debited in real time and customers are issued an acknowledgment slip confirming the transaction. Nearly 1.6 lacs transactions are taking place every day in Cash Recyclers.

Other Customer Centric initiatives

Your Bank has implemented Contactless VISA/Master Cards for Domestic Operations Customers, Card to Card Transfer

for ONUS and NPCI network, FI switch and ATM switch integration. Your Bank has implemented facility to access e-filing account of the Income Tax Department through Internet Banking portal. Bank provides Value Added services on Multi function Kiosk and implemented online transaction password reset with Debit Card and PIN.

Marketing

During FY16, your Bank focused on promotion of Brand as well as various products and services through a variety of marketing initiatives. Marketing initiatives involved effective utilization of different media vehicles such as Print, Electronic (TV / Radio), Digital and Out of Home (OOH) for Above-The-Line (ATL) activities as well as to support the Below-The-Line (BTL) activities undertaken at the Zonal / Regional level.

Your Bank launched its presence on Social Media viz; Facebook & Twitter on 1st January of this calendar year. Bank received positive response, post launch, by engaging with desired target audiences. Your Bank appreciates the importance of social media as a platform to connect with individual customer across demographics and geographies. Your Bank also has plans to use social media for conducting a judicious mix of product promotion and customer education campaigns to gainfully engage with customers and evolve the relationships.

Branch Network of the Bank

As on 31.03.2016, branch net work of the Bank was as under:

	Number of Branches	% Share in Total
Domestic: Area Classification		
Metro	1,008	18.91
Urban	933	17.50
Semi-urban	1,425	26.74
Rural	1,964	36.85
Total	5,330	100.00
Overseas (Including Branches of subsidiaries and one Representative office)	106	-

Corporate Social Responsibility (CSR)

Bank of Baroda, has a long legacy and tradition of contributing actively to the social and economic development of the communities through various developmental activities. Education, health, human welfare and other social activities are Bank's main focus areas. In its continued efforts to make a difference to the society at large, our Bank intensified its efforts further in this direction during FY 2015-16 and contributed ₹ 1940.21 lacs to different organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker section, rural mass and others.

Besides, Bank has 49 Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda R-SETI) in six states of the country, for generating self employment of Rural and Semi Urban youth through skill development training. Till now, our BSVSs have conducted



9,188 programmes and trained 2,63,378 youth, out of which 1,59,731 have already secured either employment or setup their own venture.

Bank has set up 51 Financial Literacy & Credit Counseling Centres (FLCCs) in eight states of the country for providing financial counseling services and to educate the people in rural and urban area to various financial products and services available from the formal financial sector. These centers also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

Risk Management

To ensure sustainable growth, your Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. Your Bank's Board has put in place a robust Enterprise-wide Risk Management architecture so that the risks remain within the risk appetite defined by the Board. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focused oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of Board which oversees the inter linkages between different type of risks.

Basel III Implementation

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. For augmenting and improving Core Capital of Bank, new measures for the inclusion of FCTR, DTA and Revaluation Reserves have been introduced by RBI in March 2016. Also from March 2016 onwards Bank will start maintaining CCB in phased manner and will reach 2.5% as per the regulator. The Bank is fully equipped to comply with all regulatory norms with reasonable cushion over the minimum regulatory capital requirements.

Risk Based supervision (RBS)

The Department of Banking Supervision (DBS) at RBI has adopted a Risk Based Supervisory (RBS) approach for Review of Supervisory Processes of Commercial Banks. The RBS framework has been named as "Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC)" and one of its important components/ tools employed in the process is the "Integrated Risk and Impact Scoring (IRISc)" Model. RBS is driven by Offsite as well as Onsite supervision which requires a bank to put in place robust systems for data collection and compilation process and reporting. RBS was rolled out in our Bank in 2012-13 supervisory cycle. SPARC is risk focused and intended to increase the effectiveness of the supervisory process. The two major areas of assessment under SPARC are Risk and Capital Assessment. The risk assessment for a bank covers the inherent risks, risks due to gaps in controls for the inherent risks, risks due to gaps in the Governance & Oversight as also the culture and degree of compliance to regulatory requirements. These assessments together determine the Aggregate Risk for a bank. The Aggregate Risk

and Capital Available together determine the Risk of Failure Score (RoFS) for a bank.

Your Bank has successfully completed the third cycle under SPARC and is now well positioned to embark on the fourth supervisory cycle of 2015-16.

Internal Control Systems

Audit Committee of the Board oversees overall Internal Audit function of the Bank. The committee guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other inspection & audit functions of the Bank. The committee monitors the functioning of the Audit Committee of Executives and inspection / audit department in the bank. Your Bank has a Central Internal Audit Division (CIAD) that examines the adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of internal control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the Internal Control System for better risk management. With rising business levels year after year, Central Internal Audit Division is constantly aiming to curb the inherent risks through effective control mechanism so as to safeguard Bank's interest. CIAD operates through thirteen Zonal Internal Audit Divisions to carry out audit of branches/offices as per the periodicity decided by the Audit Committee of the Board. All the branches of the Bank are covered under Risk Based Internal Audit (RBIA). Out of 4,455 branches inspected during 2015-16, 3,671 branches (82.40%) were in Low Risk, 694 branches (15.58%) were in Medium Risk and 90 branches (2.02%) were in High Risk category.

Bank is undertaking an exercise for revamping of system and processes focusing on centralization of activities by use of technology, imaging solutions and digitization. The whole gamut of audit approach will undergo a change with extensive use of technology, analytics, sampling and advanced audit methodology. Bank proposes to engage a Knowledge Partner out of leading Audit firms to assist in putting in place an efficient audit mechanism and its implementation.

Operations and Services

Customer-Centric initiatives

Your Bank is highly responsive to the customer needs and believes that technology, products, processes and human resources must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers. To further enhance customer service delivery and customer redressal, 'Customer Service Department' during the year was strengthened. Your Bank has taken several measures to improve the customer service at its branches and at the same time, strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of complaints.

During the year, an online Customer Satisfaction Survey 2015-2016 was launched from 08.06.2015 to 30.09.2015 by sending emails to customers to know about their feedback so as to take remedial measures. The findings of the survey and suggested action points to address the deficiencies were considered and necessary actions taken.



KYC/AML Compliance

Your Bank has well defined KYC-AML-CFT Policy, which is the foundation on which the Bank's "implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002" is based.

The major highlights of KYC-AML-CFT implementation across your Bank are as under:

- The Bank electronically generates Cash Transaction Reports (CTRs) for submission to Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)
- The "AML Solution" for generating system-based alerts on the basis of transactions in the accounts of the customers is in place. The scope has been further widened with addition of more alert definitions as per recommendations of IBA working group. Your Bank has a designated Director for overall compliance of KYC-AML-CFT guidelines.
- Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) has started functioning from 18.02.2016 at your Bank's Head Office for exclusively monitoring of the transactions/ alerts generated in AML Solution and filing of STRs, if found suspicious.
- There is a scrutiny team for detection and submission of Suspicious Transaction Reports (STRs) to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND).
- System-based Risk Categorization (from AML angle) of Bank's customers' accounts has been done half yearly i.e. in July and January.
- The Bank files Counterfeit Currency Reports (CCRs) and Non Profit Organizations Transaction Reports (NTRs) to FIU-IND, New Delhi every month. Your Bank generates Cross Border Wire Transfer Reports every month through electronic mode for submission to FIU-IND, New Delhi
- The Bank is in the process of allotting Unique Customer Identification Code (UCIC) to all its existing customers as per the RBI guidelines.
- Online verification of PAN from NSDL has been operationalised as a major step to tackle money laundering activities.
- CBS system has been modified suitably so as not to accept cash deposits of ₹ 50,000/- and above in absence of PAN / Form No. 60/61.
- Your Bank has implemented Aadhaar based e-KYC in collaboration with UIDAI. Real-time checking of names from UNSCR list is available in all the branches as a step towards CFT.
- Online scanning of the customer's name with the names of the individuals/ entities included in the updated AL Qaida/ Taliban Sanctions list or any other Blacklist issued by Govt. Authorities, while opening of

accounts and generates the AML Alerts on predefined criteria.

- Your Bank has successfully participated in Pilot Run of Central KYC Registry and completed the process of inclusion of the CKYC mandatory fields in the Account Opening Form and mapped the CKYC codes with the codes in our CBS system.

For achieving full KYC compliance, following measures are taken by the Bank:

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on your Bank's website (www.bankofbaroda.co.in) for the benefit of customers.
- Mobile based SMS are being sent and notices have been published in local and national dailies for updation of KYC data in accounts of the customers.

Compliance Function

Your Bank has put in place Compliance Policy outlining the compliance philosophy of the Bank based on the directions of Reserve Bank of India. Compliance Function in the Bank is an integral part of governance along with internal control and compliance risk management process supported by a healthy compliance culture in the Bank

Human Resources – Key to Business Excellence

Realizing the importance of human resources in the present dynamic and competitive environment with multi-pronged challenges viz. large number of superannuations, massive intake of talent, huge training requirements, succession planning and engagement for higher productivity, your Bank is remodeling its HR processes through a number of initiatives like putting in place a scientific manpower planning model, a specially designed 'Career portal' on Bank's website, a very well structured and focused "On-boarding Programme", Mentoring programme called "Baroda Sarthee" for the new hires, association of your Bank and Manipal Global Education in which students undergo a focused 1 year programme customized to the Bank's requirements called Baroda Manipal School of Banking, engagement of Experts from Market for various specialized and key functions, succession planning for senior positions through a structured Talent Management Programme.

Employee Engagement Survey 2016

Your Bank conducted an Employee Engagement Survey in February, 2016 to understand the engagement levels of employees particularly their perceptions, beliefs, views etc so that it can tailor various HR activities/initiatives suitably in order to address the gaps and to improve the engagement levels of employees further. The survey was launched on 22.02.2016 and completed on 20.03.2016. More than 85% of staff members (Officers & Clerks) have participated in the survey.

Domestic Subsidiaries and Associates

The performance of your Bank's subsidiaries, Joint Ventures and Associates was satisfactory during FY16. A brief synopsis of domestic subsidiaries, associates and Joint Ventures is as below:



(₹ in lac)

Entity (with date of registration)	Country	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOBCARDS Ltd. (29.09.1994)	India	22,281	26,385	2,397	39	161
BOB Capital Markets Ltd. (11.03.1996)	India	16,053	16,182	1,023	1	53
The Nainital Bank Ltd. (31.07.1922)	India	51,760	6,08,439	4,697	126	798
India First Life Insurance Co. Ltd. (05.11.2009)	India	51,532	9,23,634	773	12	1,150
India Infradebt Ltd. (31.10.2012)	India	37,374	2,62,247	2,924	1	13
Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (05.11.1992)	India	4,675	6,025	(493)	3	80
Baroda Pioneer Trustee Co Pvt Ltd. (23.12.2011)	India	7	10	1	0	0

Awards and Accolades

During FY16, Bank won following awards and accolades on both business and financial parameters:

Date	Awards
22.04.2015	Bank of Baroda was conferred BML Munjal award in Public Sector Category for “Business Excellence Through Learning & Development – 2015” at an award function held in New Delhi on 22.04.2015
19.06.2015	Bank won five prizes under Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition 2013-14: First Prize in Linguistic Region ‘B’ Second Prize in Linguistic Region ‘A’ & ‘C’ In addition to this, the Bank has also received awards under Bilingual House Journal and Hindi House Journal categories.
16.07.2015	Bank was awarded HR Excellence Award by Businessworld for “Best initiative for Engaging Superannuated Employees”.
28.08.2015	Bank was conferred the Best Public Sector Bank under the category “Global Business” at the Dun & Bradstreet Banking Awards 2015.
14.09.2015	Bank of Baroda won First Prize under All India Rajbhasha Kriti Purashkar Scheme of Govt. of India for Bank’s outstanding performance in Official Language Implementation under the category of nationalized banks in linguistic region “B”, for the year 2014-15.
09.02.2016	Bank of Baroda, South Gujarat Zone has been awarded the First Prize in Western Region in Bank’s category, by Government of India, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for commendable performance in implementing the Official Language Policy during the year 2014-15 on 9 th Feb, 2016 in Official Language Conference for Central and Western Regions held in NIO, Goa.
16.02.2016	Bank of Baroda was awarded as First Runner up for “Best Financial Inclusion Initiative” in the category of Large Banks by IBA during Banking Technology Awards 2016 at Mumbai.
20.02.2016	Bank of Baroda was awarded for “Excellence in Education Loan” at 6 th My FM Stars of the Industry awards for Excellence in Finance, Banking, Insurance and Financial Services held in Mumbai
18.03.2016	Bank of Baroda won -3- Awards at the 55 th Association of Business Communicators of India (ABCI) Awards 2016. Wall Calendar 2015 - Silver Headlines – Bronze –For NRI Ad – “Exclusive Banking Solutions for the Global Indians” E-Zine – Silver -BOBMarcom

Implementation of Official Language (OL) Policy

During the period under review, your Bank made outstanding progress in implementing the Official Language Policy of Government of India. Your Bank adopted a well-structured

Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme 2015-16 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language



during its visits to various offices/branches of the Bank. Your Bank could achieve major targets of the Programme and fulfilled all the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language.

Board of Directors (Appointment /Cessation of Directors during the year)

Appointments

Shri Ravi Venkatesan was appointed as a part time non-official director as well as non-executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 14.08.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Shri P. S. Jayakumar was appointed as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Smt. Usha A. Narayanan, after scrutiny of nominations and determination of 'Fit and Proper' status, was declared elected as Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. 12.12.2015.

Shri Mayank K. Mehta was appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f 22.01.2016 up to 30.09.2018 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Cessations

Shri Ranjan Dhawan, Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f 1st October, 2015 on his attaining the age of superannuation from the Bank's service.

Shri K. V. Rama Moorthy, Executive Director, ceased to be Executive Director w.e.f. 29th August, 2015 on his appointment as Executive Director of United Bank of India.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2015-16 is annexed with this report pursuant to "Part "E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility Report

Business Responsibility Report as required by SEBI has been hosted on the website of the Bank (www.bankofbaroda.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the Bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended 31.03.2016:

- a) the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- b) the accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) the directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their valuable guidance and support.

The Directors acknowledge with appreciation the assistance and cooperation extended by all stakeholders of your Bank like customers, shareholders and well wishers in India and abroad.

The Directors place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the members of your Bank's staff at different levels, which enabled your Bank to record consistent growth with quality year after year despite economic challenges and consolidate its position as one of the premier banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,

P. S. Jayakumar



कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र - 2015-16:

प्रति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण,

हमने सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अंतर्गत बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कोई लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक के उपरोक्त सूचीयन दायित्व में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
चिराग दोशी
भागीदार
एम. नं.: 119079

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी
अनुराग गोयल
भागीदार
एम. नं.: 412538

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W
Chirag Doshi
Partner
M.No: 119079

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C
Anurag Goyal
Partner
M.No: 412538

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance - 2015-16:

To:

The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended 31st March 2016, as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Regulations.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन
वाय. के. गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 016020

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू
दिलीप जी. रोडी
भागीदार
एम. नं.: 035810

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N
Y. K. Gupta
Partner
M.No: 016020

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W
Dilip G. Rodi
Partner
M.No: 035810



कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ Highlights of Corporate Governance Report

1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यां में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यां के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार, कर्मचारी, लेनदार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करता है, जहां तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल

(ए) निदेशक मंडल का स्वरूप

31 मार्च 2016 को निदेशक मण्डल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	श्रेणी / पदनाम Position Held	31.03.2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2016	बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub-Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं की संख्या जिनमें निदेशक के रूप में हैं No. of Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2016 को) Remarks (Nature of appointment in other entities) (As on 31.03.2016)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री रवि वेंकटेशन Shri Ravi Venkatesan	अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक) Chairman (Non-Executive)	शून्य NIL	5	6	7	वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं- 1. इंडोसिस लि. 2. स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्रा. लि. 3. स्मार्ट पॉवर फोर रूरल डेवेलपमेंट इंडिया फाउंडेशन 4. यूएसएफ एडवाइजर एलएलपी 5. राकफेलर फाउंडेशन 6. एसवीपी फिलांथ्रोपी इंडिया फाउंडेशन - संस्थापक अध्यक्ष

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

The Bank shall continue its endeavour to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels and maximizing returns with optimal use of resources in pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government, employees, creditors and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

(a) Composition of the Board

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2016 is as under:



1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>He is also on the Board of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infosys Ltd. 2. Strand Life Sciences P.Ltd. 3. Smart Power for Rural Development India Foundation 4. USF Advisors LLP 5. Rockefeller Foundation 6. SVP Philanthropy India Foundation – Founder Chairman
2	<p>श्री पी एस जयकुमार</p> <p>Shri P S Jayakumar</p>	<p>प्रबंध निदेशक एवं मु.का. अ. (कार्यपालक)</p> <p>Managing Director & CEO</p> <p>(Executive)</p>	14500	10	3	10	<p>वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. 2. इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. 3. बॉबकार्ड्स लि. <p>He is also a Director on the Board of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BOB Capital Markets Ltd. 2. India First Life Insurance Co. Ltd. 3. BOBCARDS Ltd.
3	<p>श्री बी बी जोशी</p> <p>Shri B B Joshi</p>	<p>कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)</p> <p>Executive Director (Executive)</p>	शून्य NIL	10	4	शून्य Nil	<p>वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. 2. बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. 3. इण्डो जाम्बिया बैंक लि. 4. इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. <p>He is also a Director on the Board of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank of Baroda (Ghana) Ltd. 2. Bank of Baroda (Botswana) Ltd. 3. Indo Zambia Bank Ltd. 4. IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.
4	<p>श्री मयंक के मेहता</p> <p>Shri Mayank K. Mehta</p>	<p>कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)</p> <p>Executive Director (Executive)</p>	शून्य NIL	10	शून्य NIL	शून्य NIL	-
5	<p>श्री मोहम्मद मुस्तफा</p> <p>Shri Mohammad Mustafa</p>	<p>निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि</p> <p>Director (Non Executive) Representing Central Government</p>	शून्य Nil	7	3	शून्य NIL	<p>वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सीईआरएसएआई (भारतीय प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुननिर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री) 2. आईडब्ल्यूआरएफसी (सिंचाई एवं जल संसाधन वित्तीय निगम लि.) 3. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. <p>He is also a Director on the Board of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CERSAI (Central Registry of Securitisation of Asset Reconstruction and Security Interest of India) 2. IWRFC (Irrigation and Water Resource Finance Corporation Ltd.) 3. The New India Assurance Co. Ltd.
6	<p>श्रीमती सुरेखा मरांडी</p> <p>Smt. Surekha Marandi</p>	<p>निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिनिधि के रूप में</p> <p>Director (Non Executive) Representing Reserve Bank of India (RBI)</p>	शून्य NIL	6	शून्य NIL	शून्य NIL	-



1	2	3	4	5	6	7	8
7	श्री प्रेम कुमार मक्कड़ Shri Prem Kumar Makkar	निदेशक (गैर कार्यपालक) गैर वर्कमैन कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Non-Workmen employees	25	7	शून्य NIL	शून्य NIL	-
8	डॉ. आर. नारायणस्वामी Dr. R. Narayanaswamy	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	8	शून्य NIL	शून्य NIL	-
9	श्री भरतकुमार डी. डांगर Shri Bharatkumar D. Dangar	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	8	1	शून्य NIL	वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं: 1. इन्टरनेशनल एन्ड डोमेस्टिक आरबीट्रेशन सेन्टर इंडिया He is also a Director on the Board of: 1. International & Domestic Arbitration Centre India
10	श्रीमती उषा ए. नारायणन Smt. Usha A. Narayanan	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	500	3	1	शून्य NIL	वह निम्नलिखित बोर्ड में भी हैं: 1. सोशल वेंचर एसवीपी फिलांथ्रोपी फाउंडेशन She is also on the Board of: 1. Social Ventures SVP Philanthropy Foundation.

(बी) 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 24 जून, 2015 को वड़ोदरा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक मौजूद थे।

(b) 19th ANNUAL GENERAL MEETING

The 19th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2014-15 was held on Wednesday, 24th June, 2015 at Vadodara, where the following Directors were present.

1	श्री रंजन धवन	कार्यपालक निदेशक- बैठक की अध्यक्षता की।	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director – Chaired the Meeting
2	श्री बी.बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B. B. Joshi	Executive Director
3	श्री के.वी. रामा मूर्ती	कार्यपालक निदेशक	Shri K.V. Rama Moorthy	Executive Director
4	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	निदेशक (गैर-वर्कमैन)	Shri Prem Kumar Makkar	Director (Non-workmen)
5	डॉ. आर. नारायणस्वामी	निदेशक (शेयरधारक) - एसीबी के अध्यक्ष	Dr. R. Narayanaswamy	Director (Shareholder)- Chairman ACB
6	श्री भरतकुमार डी. डांगर	निदेशक (शेयरधारक)	Shri Bharatkumar D. Dangar	Director (Shareholder)

(सी) निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल की -13- बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खण्ड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम -6- बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

(c) Board Meetings

During the Financial Year 2015-16, total -13 - Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.



10.05.2015	11.05.2015	07.06.2015 & 08.06.2015	24.06.2015	20.07.2015
29.07.2015	30.07.2015	22.08.2015	05.11.2015	06.11.2015
12.02.2016	13.02.2016	18.03.2016		

निदेशक मण्डल की उपयुक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री रवि वेंकटेशन	Shri Ravi Venkatesan	14.08.2015 to 31.03.2016	6	6
श्री पी. एस. जयकुमार	Shri P. S. Jayakumar	13.10.2015 to 31.03.2016	5	5
श्री रंजन धवन*	Shri Ranjan Dhawan*	01.04.2015 to 30.09.2015	8	8
श्री बी. बी. जोशी	Shri B. B. Joshi	01.04.2015 to 31.03.2016	13	11
श्री के. वी. रामा मूर्ती*	Shri K. V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08.2015	8	8
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015 to 31.03.2016	12	5
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015 to 31.03.2016	13	13
श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	01.04.2015 to 31.03.2016	13	13
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Shri R Narayanaswamy	01.04.2015 to 31.03.2016	13	12
श्री भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	01.04.2015 to 31.03.2016	13	12
श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha Narayanan	12.12.2015 to 31.03.2016	3	3
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	22.01.2016 to 31.03.2016	3	3

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*Ceased to be member during the year.

(डी) आचार संहिता :

निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक अर्थात् कोर प्रबन्धन टीम, जिसमें सभी महाप्रबन्धक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुपालन में, आचार संहिता निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है. उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर भी देखी जा सकती है. निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने वर्ष 2015-16 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है और उसका सतत अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हैं.

(d) Code of Conduct

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.co.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code for the year 2015-16 and undertaken continued compliance of the same.

3. निदेशकों / कार्यपालकों की समिति/ उपसमिति

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. निदेशक मण्डल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

3. COMMITTEE / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under:



- 3.1 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- 3.2 पारिश्रमिक समिति
- 3.3 नामांकन समिति
- 3.4 हितधारक संबंधपरक समिति
- 3.5 निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- 3.6 निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
- 3.7 शेयर/ बांड अंतरण समिति
- 3.8 निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
- 3.9 ग्राहक सेवा समिति
- 3.10 निदेशकों की समिति
- 3.11 बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बन्धी समिति
- 3.12 निदेशक मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
- 3.13 वसूली निगरानी समिति
- 3.14 निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
- 3.15 बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को समर्थन देने संबंधी समिति

3.1 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 5 निदेशक हैं। एक गैर कार्यपालक निदेशक, जो सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं।

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) डॉ. आर. नारायणस्वामी - समिति के अध्यक्ष
- (ii) श्री मयंक के. मेहता - सदस्य
- (iii) श्री मोहम्मद मुस्तफा - सदस्य
- (iv) श्रीमती सुरेखा मरांडी - सदस्य
- (v) श्रीमती उषा ए. नारायणन - सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की -12- बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं:

10.05.2015	15.06.2015	29.07.2015	22.08.2015	15.09.2015	19.10.2015
05.11.2015	22.12.2015	01.02.2016	12.02.2016	10.03.2016	17.03.2016

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	Name Of The Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	01.04.2015 to 31.03.2016	12	12
श्री बी. बी. जोशी*	Shri B.B. Joshi*	01.04.2015 to 12.02.2016	10	10
श्री के. वी. रामा मूर्ती*	Shri K.V. Rama Moorthy*	01.04.2015 to 29.08.2015	4	3
श्री मयंक के. मेहता	Shri Mayank K. Mehta	22.01.2016 to 31.03.2016	4	3
श्रीमती सुरेखा मरांडी	Smt. Surekha Marandi	01.04.2015 to 31.03.2016	12	11
श्री मोहम्मद मुस्तफा	Shri Mohammad Mustafa	01.04.2015 to 31.03.2016	12	1
श्री भरतकुमार डी. डांगर*	Shri Bharatkumar D. Dangar*	01.04.2015 to 29.02.2016	10	10
श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha A. Narayanan	01.03.2016 to 31.03.2016	2	2

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे।

- 3.1 Audit Committee of the Board (ACB)
- 3.2 Remuneration Committee
- 3.3 Nomination Committee
- 3.4 Stakeholders Relationship Committee
- 3.5 Management Committee of the Board (MCB)
- 3.6 Credit Approval Committee of the Board (CACB)
- 3.7 Shares/Bonds Transfer Committee:
- 3.8 Risk Management Committee of the Board
- 3.9 Customer Service Committees
- 3.10 Committee of Directors
- 3.11 Committee on High Value Frauds
- 3.12 IT Strategy Committee of the Bank
- 3.13 Committee for Monitoring of Recovery
- 3.14 Strategic Advisory Committee of the Board on HR
- 3.15 Committee to support candidates for election of Shareholder Directors for Banks & FIs

3.1 Audit Committee of the Board (ACB)

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Five Directors. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- (i) Dr. R. Narayanaswamy - Chairman of the Committee
- (ii) Shri Mayank K. Mehta - Member
- (iii) Shri Mohammad Mustafa - Member
- (iv) Smt. Surekha Marandi - Member
- (v) Smt. Usha Narayanan - Member

During the Financial Year 2015-16, the Audit Committee of the Board (ACB) met on -12- occasions on the dates given below:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

*Ceased to be member during the year.

लेखा परीक्षा समिति का अन्य बातों के साथ साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं. यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्रों की समीक्षा और प्रबन्धन को तत्सम्बन्धी संस्तुति करती है.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है, जिसमें संगठन, आंतरिक लेखा परीक्षा का परिचालन और उसका गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक कमियों का नियंत्रण और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखा परीक्षा सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करती है. यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबन्धन नीतियों की समीक्षा भी करती है.

सांविधिक लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करती है. यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी करती है.

3.2 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005-बीओआई दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन की घोषणा की. यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता व मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है. उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय / अवार्ड की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया.

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री रवि वेंकटेशन - अध्यक्ष
- (ii) श्री मोहम्मद मुस्तफा
- (iii) श्रीमती सुरेखा मरांडी
- (iv) डॉ. आर. नारायणस्वामी
- (v) श्री प्रेम कुमार मक्कड़

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, 21.05.2015 और 31.10.2015 को समिति की दो बार बैठक हुई. समिति ने निर्णय लिया कि बैंक के कार्यनिष्पादन को देखते हुए, वर्ष के दौरान कोई भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाए.

सभी निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान दोनों बैठकों में उपस्थित रहे सिवाय श्रीमती सुरेखा मराण्डी, जिन्होंने दो बैठकों में से एक बैठक में भाग लिया.

3.3 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत

The main functions of Audit Committee, *inter-alia*, include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board for approval.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External Auditors of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

3.2 Remuneration Committee

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of Intent (SOI) on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/ paid during the year.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- (i) Shri Ravi Venkatesan - Chairman
- (ii) Shri Mohammad Mustafa
- (iii) Smt. Surekha Marandi
- (iv) Dr. R. Narayanaswamy
- (v) Shri Prem Kumar Makkar

During the Financial Year 2015-16, the Committee met twice on 21.05.2015 and 31.10.2015. The Committee decided that considering the performance of the bank, no incentive to be paid during the year.

All the Directors attended both the meetings held during their respective tenure except Smt. Surekha attended one meeting out of two.

3.3 Nomination Committee

Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards

बैंकों के निदेशक मंडल में चयन हेतु यथोचित “फिट एण्ड प्रॉपर” मानदंड निर्धारित किए हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.03.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 के साथ पठित सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के तहत नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों. उक्त दिशानिर्देशों की अनुपालना स्वरूप एक “नामांकन समिति” का गठन किया गया है.

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री रवि वेंकटेशन - अध्यक्ष
- (ii) श्री मोहम्मद मुस्तफा
- (iii) श्रीमती सुरेखा मरांडी
- (iv) श्री प्रेम कुमार मक्कड़

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 11.05.2015, 15.06.2015 तथा 11.12.2015 को समिति की तीन बैठकें हुई, बैठक के दौरान सभी सदस्य उपस्थित थे. समिति ने 11.05.2015 को आयोजित बैठक में मौजूदा शेयरधारक निदेशकों अर्थात् डॉ. आर. नारायणस्वामी और श्री भरतकुमार डी. डांगर के “फिट एण्ड प्रॉपर” स्टेटस की पुष्टि की. समिति ने 15.06.2015 को आयोजित बैठक में मौजूदा नए खाली पद के लिए, शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित नए उम्मीदवार के “फिट एण्ड प्रॉपर” स्टेटस की संवीक्षा की. हालांकि इसमें कोई भी योग्य नहीं पाया गया. समिति ने नए उम्मीदवार के “फिट एण्ड प्रॉपर” स्टेटस की संवीक्षा करने के लिए 11.12.2015 को पुनः बैठक आयोजित की और केवल एक उम्मीदवार अर्थात् श्रीमती उषा ए नारायणन को फिट और प्रॉपर पाया और वह निर्वाचित घोषित की गई. सभी निदेशक उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी बैठकों में उपस्थित रहे.

3.4 हितधारक संबंधपरक समिति

बैंक द्वारा शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु हितधारक संबंधपरक समिति का गठन सूचीयन करार और नए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए किया गया है.

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- (i) कार्यपालक निदेशक (गण) एवं
- (ii) दो गैर कार्यपालक निदेशक इसके सदस्य तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं.

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| (i) श्री भरतकुमार डी. डांगर | - समिति के अध्यक्ष |
| (ii) श्री बी. बी. जोशी | - सदस्य |
| (iii) श्री मयंक के. मेहता | - सदस्य |
| (iv) श्री प्रेम कुमार मक्कड़ | - सदस्य |

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, Notification No. DBOD No. BC No. 46 and 47/29.03.001/2007-08 dated November 1, 2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a “Nomination Committee” has been constituted.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- (i) Shri Ravi Venkatesan - Chairman
- (ii) Shri Mohammad Mustafa
- (iii) Smt. Surekha Marandi
- (iv) Shri Prem Kumar Makkar

During the Financial Year 2015-16, the Committee met thrice on 11.05.2015, 15.06.2015 and 11.12.2015. The Committee at its meeting held on 11.05.2015 confirmed the ‘Fit and Proper’ status of the existing shareholder directors i.e. Dr. R Narayanaswamy and Shri Bharatkumar D. Dangar. The Committee at its meeting held on 15.06.2015 ascertained the Fit and Proper status of new candidate to be elected as shareholder director, for the one vacancy existed. However, no one was found fit. The Committee again met on 11.12.2015 for ascertaining the Fit and Proper status of new candidates and found only one candidate viz. Smt. Usha A Narayanan fit and proper and she was declared elected.

All the Directors attended all the meetings held during their respective tenure.

3.4 Stakeholders Relationship Committee

Pursuant to the provisions of ears while Listing Agreement and new SEBI (LODR) Regulations, 2015 a Stakeholders Relationship Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Committee includes following members :

- (i) Executive Director (s) and
- (ii) Two Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (i) Shri Bharatkumar D. Dangar | - Chairman of the Committee |
| (ii) Shri B.B. Joshi | - Member |
| (iii) Shri Maynak K. Mehta | - Member |
| (iv) Shri Prem Kumar Makkar | - Member |

The Committee met – 4 - times during the Financial Year 2015-16 on the following dates.



03.06.2015	25.08.2015	30.10.2015	22.01.2016
समिति इस आशय की मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से -15- दिनों के भीतर सभी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.			
वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है:			
		The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of -15- days of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.	
		The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:	

01.04.2015 को बकाया Pending as on 01.04.2015	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year	31.03.2016 को बकाया Pending as on 31.03.2016
12	7506	7516	2*

* वर्ष के दौरान बकाया आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से सम्बन्धित अनुरोध पत्र नियमित प्रकृति के थे तथा इसके संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं प्रक्रिया अधीन हैं.

*The pending cases as at the end of the year were routine in nature pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect of which the necessary formalities were in process. As on date the same stands attended.

श्री एम. एल. जैन, उप महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के नियम 6 के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

Shri M. L. Jain, Deputy General Manager - Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

3.5 निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)

3.5 Management Committee of the Board (MCB)

बोर्ड की प्रबन्धन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खण्ड 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

In pursuance of Clause 13 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) और धारा 9(3) (सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई) (एफ) (एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है.

The Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- (i) श्री पी. एस. जयकुमार - प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अ.
- (ii) श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
- (iii) श्री मयंक के. मेहता - कार्यपालक निदेशक
- (iv) श्रीमती सुरेखा मरांडी - निदेशक
- (v) श्री प्रेम कुमार मक्कड़ - निदेशक
- (vi) श्रीमती उषा ए. नारायणन - निदेशक

- (i) Shri P. S. Jayakumar - Managing Director & CEO
- (ii) Shri B. B. Joshi - Executive Director
- (iii) Shri Mayank K. Mehta - Executive Director
- (iv) Smt. Surekha Marandi - Director
- (v) Shri Prem Kumar Makkar - Director
- (vi) Smt. Usha A. Narayanan - Director



वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की प्रबन्धन समिति (एमबीबी) की निम्नांकित तारीखों को -21- बैठकें आयोजित हुईं :

During the Financial Year 2015-16, the Management Committee of the Board (MCB) met on -21- occasions on the following dates :

25.04.2015	10.05.2015	03.06.2015	15.06.2015	27.06.2015
20.07.2015	12.08.2015	25.08.2015	15.09.2015	29.09.2015
16.10.2015	30.10.2015	01.12.2015	19.12.2015	29.12.2015
13.01.2016	28.01.2016	08.02.2016	25.02.2016	17.03.2016
28.03.2016				

3.6 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

भारत सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 13/1/2006 दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की शर्तों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी 2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) का गठन किया है. यह समिति ₹ 400.00 करोड़ तक की राशि के ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी. प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों, जिन पर अब तक बोर्ड की प्रबन्धन समिति द्वारा विचार किया जाता है, के सम्बन्ध में अब बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी. 31 मार्च 2016 को इस समिति की संरचना इस प्रकार है:

- श्री पी. एस. जयकुमार - प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अ.
- श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
- श्री मयंक के. मेहता - कार्यपालक निदेशक
- श्री यू. सी. सिंघवी - महाप्रबन्धक (कार्पो.खाते एवं कराधान तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी)
- महाप्रबन्धक गण - ऋण / ट्रेजरी कार्यों से सम्बन्ध
- महाप्रबन्धक - जोखिम प्रबंधन (31.03.2016 को रिक्त)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) की निम्नलिखित तारीखों पर -20- बैठकें हुईं:

17.04.2015	30.04.2015	08.05.2015	16.05.2015	15.06.2015
27.06.2015	23.07.2015	12.08.2015	25.08.2015	29.08.2015
05.09.2015	27.10.2015	14.12.2015	31.12.2015	01.02.2016
25.02.2016	02.03.2016	10.03.2016	23.03.2016	30.03.2016

3.7 बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति :

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन किया है जो बैंक द्वारा पूर्वानुमानित सम्पूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है. समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं तथा 31 मार्च 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- श्री रवि वेंकटेशन - अध्यक्ष
- श्री पी. एस. जयकुमार - सदस्य
- श्री बी. बी. जोशी - सदस्य
- श्री मयंक के मेहता - सदस्य
- श्री भरतकुमार डी. डांगर - सदस्य

3.6 Credit Approval Committee of The Board (CACB)

In terms of Government of India Gazette Notification No.13/1/2006 dated 5th December, 2011, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board (CACB) on 27th February, 2012. The Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals upto ₹ 400.00 crores. The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and which were hitherto considered by the Management Committee of the Board, will now be sanctioned by the CACB. The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- Shri P. S. Jayakumar - Managing Director & CEO
- Shri B. B. Joshi - Executive Director
- Shri Mayank K. Mehta - Executive Director
- Shri U.C. Singhvi - General Manager (Corp. A/cs & Taxation and CFO)
- General Manager/s - Dealing with respective credit / treasury functions
- General Manager - Risk Management (vacant as on 31.3.2016.)

During the Financial Year 2015-16, the Credit Approval Committee of the Board (CACB) met -20- times on the following dates:

3.7 Risk Management Committee of the Board :

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and its composition as on 31st March, 2016 is as under :

- Shri Ravi Venkatesan - Chairman
- Shri P. S. Jayakumar - Member
- Shri B. B. Joshi - Member
- Shri Mayank K. Mehta - Member
- Shri Bharatkumar D. Dangar - Member



वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:

25.04.2015	15.10.2015	24.11.2015	01.02.2016	18.03.2016
------------	------------	------------	------------	------------

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबन्धन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबन्धन ढाँचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखा परीक्षा शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है।

3.8 ग्राहक सेवा समितियां

(ए) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो 'ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च 2016 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री पी. एस. जयकुमार - प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
- श्री मयंक के. मेहता - कार्यपालक निदेशक
- श्री प्रेम कुमार मक्कड़ - निदेशक
- श्री भरतकुमार डी. डांगर - निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

03.06.2015	30.09.2015	19.12.2015	28.01.2016
------------	------------	------------	------------

The Committee met – 5 - times during the Financial Year on the following dates:

The Bank has set up an appropriate risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally.

3.8 Customer Service Committees

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board known as 'Customer Service Committee'. The Committee has the following members as on 31st March, 2016:

- Shri P S Jayakumar - Managing Director & CEO
- Shri B. B. Joshi - Executive Director
- Shri Mayank K Mehta - Executive Director
- Shri Prem Kumar Makkar - Director
- Shri Bharatkumar D. Dangar - Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Review the status of the number of deceased claims remain pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

During the Financial Year 2015-16, the Committee met -4- times on the following dates:



(बी) ग्राहक सेवा सम्बन्धी स्थायी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के सभी कार्यपालक निदेशक, -4- महाप्रबन्धक तथा -3- अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं।

इस समिति का गठन विशेष रूप से जन समान्य को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बैचमार्क (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) क्रमिक आधार पर परिवर्तन को सुचारु बनाने के लिए समुचित सुझाव देने हेतु किया गया है।

3.9 निदेशकों की समिति

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक तथा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति का गठन वरिष्ठ स्तर की पदोन्नति सम्बन्धी कार्यों के उद्देश्य से किया गया है। यह समिति सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य भी करती है।

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री पी एस जयकुमार - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- (ii) श्री मोहम्मद मुस्तफा - सदस्य
- (iii) श्रीमती सुरेखा मरांडी - सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

28.4.2015 & 29.4.2015	21.08.2015	22.12.2015	18.03.2016
-----------------------	------------	------------	------------

3.10 बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2004.15/डीबीएस.एफजीवी(एफ)नं.1004/23.04.01ए/ 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार हमारे बैंक में ₹ 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों की मॉनिटरिंग के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ ₹ 1.00 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामिल है ताकि (क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें (ख) धोखाधड़ी का पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग (ग) सीबीआई / पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति (घ) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, अविलम्ब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के

(b) Standing Committee on Customer Service

Besides, the Sub-Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having three other eminent public personalities as members along with all the Executive Directors and four General Managers of the Bank, as per the guidelines of Reserve Bank of India.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timeliness and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate initiatives to facilitate change on an ongoing basis.

3.9 Committee of Directors

A Committee of Directors consisting of Managing Director & CEO and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance / non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- (i) Shri P S Jayakumar - MD & CEO
- (ii) Shri Mohammad Mustafa - Member
- (iii) Smt. Surekha Marandi - Member

The Committee met -4- times during the Financial Year 2015-16 on the following dates:

3.10 Committee on High Value Frauds

As per RBI circular no. RBI/2004.15/.DBS.FGV(F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14th January, 2004 a Special Committee of the Board for monitoring high value frauds of ₹ 1.00 crore and above has been formed in our Bank.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of ₹ 1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and

निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना।

निदेशक मंडल के -5- सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के नामित के अलावा निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्यों का समावेश है।

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- | | | |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| (i) | श्री रवि वेंकटेशन | - अध्यक्ष |
| (ii) | श्री पी एस जयकुमार | - प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. |
| (iii) | श्री मोहम्मद मुस्तफा | - सदस्य |
| (iv) | डॉ. आर. नारायणस्वामी | - सदस्य |
| (v) | श्री प्रेम कुमार मक्कड़ | - सदस्य |

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:

29.07.2015	05.11.2015	22.12.2015	01.02.2016	18.03.2016
------------	------------	------------	------------	------------

3.11 बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना सुरक्षा / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन तथा साईबर फ्रॉड पर वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न लिखित सदस्य शामिल हैं:

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

Sr. No.	नाम	पदनाम	Name	Designation
1	श्री भरतकुमार डी. डांगर	समिति के अध्यक्ष	Shri Bharatkumar D. Dangar	Chairman of the Committee
2	श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B. B. Joshi	Executive Director
3	श्री मयंक के. मेहता (22.01.2016 से)	कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta (w.e.f. 22.01.16)	Executive Director
4	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	निदेशक (गैर-कार्यपालक)	Shri Prem Kumar Makkar	Director (Non-Executive)
5	डॉ. दीपक बी. फाटक	बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ	Dr. Deepak B. Phatak	External IT Expert
6	श्री एस. एस. घाग	महाप्रबन्धक (सू.प्रौ. एवं डीडब्ल्यूएच) - बैठक के संयोजक	Shri S. S. Ghag	General Manager (IT & DWH) – Convenor of the meeting

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर तीन बैठकें आयोजित की गईं:

10.07.2015	22.01.2016	19.03.2016
------------	------------	------------

इस समिति के संख्यात्मक स्वरूप (कोरम) में -3- सदस्य होंगे, जिनमें समिति अध्यक्ष, एक कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार इन सदस्यों में से एक सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, जोखिम प्रबंधन व सायबर धोखाधड़ी संबंधी व्यापक आईटी विशेषज्ञता वाला होना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति के सदस्य श्री के. वी. रामा मूर्ती का बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया और तदनुसार

(f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee consists of -5- members of the Board of Directors: (a) Managing Director & CEO (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board, excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- | | | |
|-------|------------------------|------------|
| (i) | Shri Ravi Venkatesan | - Chairman |
| (ii) | Shri P S Jaya Kumar | - MD & CEO |
| (iii) | Shri Mohammad Mustafa | - Member |
| (iv) | Dr. R. Narayanaswamy | - Member |
| (v) | Shri Prem Kumar Makkar | - Member |

The Committee met -5 - times during the Financial Year 2015-16 as per the details below:

3.11 IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee.

The composition of the committee as on 31.03.2016 is as under:-

The Committee met three times during the Financial Year 2015-16 as per the details below:

The quorum of the Committee is three members comprising Chairman of the Committee, one Executive Director and General Manager(IT) and out of three members, one member should have substantial IT expertise as per the recommendation of the RBI (Reserve Bank of India) Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds.

Shri K Venkata Rama Moorthy, member of IT Strategy Committee has completed his tenure as Executive Directors



सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का पुनर्गठन किया गया. श्री मयंक के. मेहता को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया.

3.12 वसूली की मॉनीटरिंग के लिए समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.7/2/2015-वसूली दिनांक 1 जनवरी, 2016 के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूली के लिए सुदृढ़ व्यवस्था रखने के उद्देश्य से बोर्ड ने निदेशक मंडल की समिति पुनर्गठित की है जिसमें प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक (लार्ज कार्पोरेट बैंकिंग), महाप्रबंधक (ऋण निगरानी विभाग) तथा महाप्रबंधक (एनपीए वसूली, एस्कॉम एवं विधि) (संयोजक) होंगे जो वसूली की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखेंगे.

तदनुसार 13 फरवरी, 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया.

31.03.2016 को उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री पी. एस. जयकुमार (13.10.2015 से)	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	Shri P. S. Jayakumar (w.e.f. 13.10.2015)	Managing Director & CEO
2. श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B.B.Joshi	Executive Director
3. श्री मयंक के. मेहता (22.01.2016 से)	कार्यपालक निदेशक	Shri Mayank K. Mehta (w.e.f. 22.01.2016)	Executive Director
4. श्री मोहम्मद मुस्तफा	भारत सरकार के नामित निदेशक	Shri Mohammad Mustafa	Nominee Director of Government of India
5. श्री के. एन. मानवी	मुख्य महाप्रबंधक (लार्ज कार्पोरेट बैंकिंग)	Shri. K N Manavi	Chief General Manager (Large Corporate Banking)
6. श्री एम. वी. देशपांडे	महाप्रबंधक (ऋण निगरानी विभाग)	Shri. M V Deshpande	General Manager (Credit Monitoring Department)
7. श्री आर. एल. गुत्तिकर (संयोजक)	महाप्रबंधक (एनपीए वसूली, एस्कॉम एवं विधि)	Shri R L Guttikar (Convener)	General Manager (NPA Recovery, ASCROM & Legal)

समिति की बैठक 21.08.2015 तथा 17.03.2016 को आयोजित की गई.

3.13 शेयर / बांड अंतरण समिति:

हितधारकों की संबंधपरक समिति के अतिरिक्त, बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसार कार्यपालकों की एक शेयर/बांड अंतरण समिति गठित की है. प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, दो महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक (विधि) इसके सदस्य हैं. 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसमें शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण का अनुमोदन तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि को स्वीकृत किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की -53- बैठकें हुईं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

3.14 मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन संबंधी मामलों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप बैंक के बोर्ड ने मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 2012 में 'मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति' का गठन किया था.

on Bank's Board and accordingly IT Strategy Committee was reconstituted. Shri Mayank K. Mehta was appointed as new Executive director and was added as the member of the Committee.

3.12 Committee for Monitoring of Recovery

In terms of the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide its letter no. F.No.7/2/2015-Recovery dated 1st January, 2016 and in order to have a robust monitoring mechanism for recovery, the Board reconstituted a committee of the Board, consisting of the Managing Director & CEO, Executive Directors and Government Nominee Director, Chief General Manager (Large Corporate Banking), General Manager (Credit Monitoring department) and General Manager (NPA Recovery, ASCROM & Legal) (Convener) to monitor the progress in recovery on regular intervals.

Accordingly the Committee was reconstituted at the Board Meeting held on 13th February, 2016

The composition of the committee as on 31st March, 2016 is as under:

This committee met on 21.08.2015 and 17.03.2016.

3.13 Shares/Bonds Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Bank has pursuant to Regulations 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 constituted a Shares/Bonds Transfer Committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, two General Managers and Deputy/ Assistant General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in 15 days to consider and approve transfer / transmission of Shares / Bonds and other issues like issue of duplicate share certificate, deletion of name, change of status, etc. The Committee met fifty three times during the Financial Year 2015-16, on various dates.

3.14 Strategic Advisory Committee of the Board on HR

In terms of recommendations of Khandelwal Committee on HR Issues of PSBs, Bank's Board in the year 2012 approved constitution of a "Steering Committee of the Board on HR" to discuss various matters/issues related to Human Resources.



हाल ही में हुए विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने अपनी 13 फरवरी, 2016 को आयोजित बैठक में संचालन समिति का नाम बदल कर "मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति" किया है तथा उसे निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए पुनर्गठित किया है।

1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक - श्री पी. एस. जयकुमार
अधिकारी
2. कार्यपालक निदेशक प्रभारी मा.सं.प्र - श्री बी. बी. जोशी
3. गैर कार्यपालक निदेशक श्री प्रेम कुमार मक्कड़
4. -2- बाह्य पेशेवर

वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयर धारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन संबंधी समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.16/112/2012-बीओ-आई दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों जिनमें हमारा बैंक समान शेयर धारक है, में शेयर धारकों निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को सहयोग देने के प्रयोजन से निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की समिति का गठन किया गया:

31 मार्च, 2016 को उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- (i) श्री पी. एस. जयकुमार - प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- (ii) श्री बी. बी. जोशी - कार्यपालक निदेशक
- (iii) श्री मयंक के. मेहता - कार्यपालक निदेशक
- (iv) डॉ. आर. नारायणस्वामी - निदेशक
- (v) श्री भरतकुमार डी. डांगर - निदेशक

समिति को वर्ष के दौरान कोई भी मामला नहीं भेजा गया।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है। प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक/कों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

Keeping in view the various changes in recent past, the Board of Directors at its meeting held on 13th February 2016 renamed the Steering Committee as "Strategic Advisory Committee of the Board on HR" and reconstituted the same with following members :

1. Managing Director & CEO - Shri P. S. Jayakumar
2. Executive Director in-charge of HRM - Shri B. B. Joshi
3. Non-Executive Director - Shri Prem Kumar Makkar
4. -2- Outside Professionals

No meeting of the Committee was held during the year 2015-16.

3.15 Committee to support candidates for election of Shareholder Directors for Banks & FIs

In terms of the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, vide letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012, a committee of the Board, for supporting candidates for election of Share Holder Directors in Financial Institutions and Public sector Insurance Companies in which our Bank has equity shareholding was constituted.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- (i) Shri P. S. Jayakumar - Managing Director & CEO
- (ii) Shri B. B. Joshi - Executive Director
- (iii) Shri Mayank K Mehta - Executive Director
- (iv) Dr. R. Narayanaswamy - Director
- (v) Shri Bharatkumar D. Dangar - Director

No case was referred to the Committee during the year.

4 REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s is detailed below:



ए. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन का भुगतान

A. Salary paid during the Financial Year 2015-16:

Sr. No.	नाम	पदनाम	Name	Designation	राशि (₹) Amount (₹)
1	श्री पी. एस. जयकुमार	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (13.10.2015 से)	Shri P.S. Jayakumar	Managing Director & CEO (w.e.f. 13.10.2015)	11,11,975/-
2	श्री बी. बी. जोशी	कार्यपालक निदेशक	Shri B.B. Joshi	Executive Director	20,70,397/-
3	श्री मयंक के. मेहता	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 से)	Shri Mayank K. Mehta	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)	3,35,420/-
4	श्री. के. वी. रामा मूर्ती	निदेशक (28.08.2015 तक)	Shri K V. Rama Moorthy	Executive Director (up to 28.08.2015)	7,68,620/-
5	श्री रंजन धवन	कार्यपालक निदेशक (30.09.2015 तक)	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director (Up to 30.09.2015)	17,41,686/-

बी. वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान: (वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदत्त): शून्य

B. Performance Linked Incentives paid during 2015-16: (for FY 2014-15): Nil

सी. गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क का भुगतान:

C. Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित) के प्रावधानों के अनुसार गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क दिया गया. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिए गए बैठक सहभागिता शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है)

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with government guidelines. Details of sitting fee paid during the Year 2015-16 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

Sr. No.	निदेशक का नाम	Name of the Director	भुगतान की गई राशि (₹) Amount (₹)
1	श्री प्रेम कुमार मक्कड़	Shri Prem Kumar Makkar	4,70,000/-
2	श्री भरतकुमार डी. डांगर	Shri Bharatkumar D. Dangar	6,10,000/-
3	डॉ. आर. नारायणस्वामी	Dr. R. Narayanaswamy	4,30,000/-
4	श्रीमती उषा ए. नारायणन	Smt. Usha A. Narayanan	1,40,000/-

5. सामान्य सभा की बैठकें

5. GENERAL BODY MEETINGS

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्प Special Resolution passed
17 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 17 th Annual General Meeting	26 जून, 2013 प्रातः 10.30 बजे 26 th June, 2013 at 10.30 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020	-
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	15 जनवरी, 2014 प्रातः 10.00 बजे 15 th January, 2014 at 10.00 a.m.	Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020	इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम Preferential issue of equity shares
18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 18 th Annual General Meeting	25 जून, 2014 प्रातः 10.30 बजे 25 th June, 2014 at 10.30 a.m.		-
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	26 मार्च, 2015 प्रातः 10.00 बजे 26 th March, 2015 at 10.00 a.m.		इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम Preferential issue of equity shares
19 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 19 th Annual General Meeting	24 जून, 2015 प्रातः 10.30 बजे 24 th June, 2015 at 10.30 a.m.		-
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	28 सितम्बर, 2015 प्रातः 10.30 बजे 28 th September 2015 at 10.30 a.m.		इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम Preferential issue of equity shares

**6. संप्रेषण के साधन**

बैंक मौजूदा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारीयों के बारे में सूचित करने की आवश्यक समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा में हो, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में) में प्रकाशित करवाए जाते हैं। बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट / वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.co.in> पर उपलब्ध रहते हैं। एनेलिस्ट बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संगृहित वेबसाइट भी 30 दिनों तक उपलब्ध रहती है।

7. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष Financial Year	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 1 st April, 2015 to 31 st March, 2016
खातों (एकल एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	13 मई, 2016 13 th May 2016
20 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान Date, Time & Venue of the 20 th AGM	24 जून, 2016 दोपहर 12.00 बजे 24 th June 2016 At 12.00 Noon. सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1 एफ. पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. - 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020
बहियां बन्द करने की तारीख Book Closure Dates	18 जून, 2016 से 24 जून, 2016 (दोनों दिन शामिल हैं) 18 th June 2016 to 24 th June 2016 (Both days inclusive)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of Proxy Forms	18 जून, 2016 (शाम 5.00 बजे तक) 18 th June 2016 (Till 5.00 p.m.)
लाभांश भुगतान की तारीख Dividend Payment Date	शून्य NIL

6. MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official news are posted on the Bank's Website - <http://www.bankofbaroda.co.in>. The live web cast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also available in the website for 30 days.

7. FINANCIAL CALENDAR



8. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25 वां तल,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001
बीएसई कोड : 532134

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
“एक्सचेंज प्लाजा” बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
एनएसई कोड : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बद्ध में 31.03.2017 तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

9. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य और इंडेक्स डाटा

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2015 से 31.03.2016 तक) (प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

B S E Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor,
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
BSE CODE : 532134

National Stock Exchange of India Ltd.,
“Exchange Plaza”, Bandra Kurla Complex,
Bandra,(East), Mumbai - 400 051
NSE CODE : BANKBARODA

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till 31.03.2017.

9. SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2015 to 31.03.2016) (Equity Share of the Face Value of ₹ 2/- each)

		नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लि. (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
		उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded Traded (Nos.)	उच्चतम (₹) Highest (₹)	न्यूनतम (₹) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume (Nos.)
अप्रैल 2015	Apr 2015	182.90	162.05	7,90,87,771	182.80	162.20	1,18,00,276
मई 2015	May 2015	172.65	142.70	16,58,80,042	172.75	142.80	2,42,60,902
जून 2015	Jun 2015	165.50	137.15	11,51,30,630	165.65	137.50	1,45,73,225
जुलाई 2015	Jul 2015	179.40	144.05	12,44,46,581	179.80	144.20	1,13,61,609
अगस्त 2015	Aug 2015	216.30	172.45	27,70,57,062	216.25	172.50	2,34,58,039
सितंबर 2015	Sep 2015	196.25	164.85	17,08,45,640	196.15	165.00	1,77,47,711
अक्टूबर 2015	Oct 2015	191.00	159.55	12,13,34,266	190.90	159.70	1,37,44,633
नवंबर 2015	Nov 2015	182.50	140.10	12,96,89,928	182.45	143.55	1,39,20,089
दिसंबर 2015	Dec 2015	180.80	150.45	95,71,26,87	180.80	150.80	71,20,362
जनवरी 2016	Jan 2016	159.90	118.05	13,81,24,125	160.00	118.20	1,98,48,469
फरवरी 2016	Feb 2016	146.25	109.35	31,48,94,335	146.10	109.45	4,20,71,357
मार्च 2016	Mar 2016	152.10	133.00	22,05,20,529	152.05	133.00	21,867,165



बी. अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक इंडेक्स डेटा सूची (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2015 to March 2016 (Monthly Closing Values)

दिनांक Date	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S&P CNX NIFTY	बैंक निफ्टी BANK NIFTY	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफबी की इक्विटी शेयर BOB NSE (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)	बीएसई सेन्सेक्स BSE SENSEX	बैंकईएक्स BANKEKX	बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफबी की इक्विटी शेयर BOB BSE (Equity Share of FV of ₹ 2/- each)
30.04.2015	8181.50	18338.10	169.00	27011.31	21030.88	168.95
29.05.2015	8433.65	18721.35	162.60	27828.44	21511.65	162.55
30.06.2015	8368.50	18296.10	144.15	27780.83	20982.18	144.20
31.07.2015	8532.85	18729.85	177.50	28114.56	21499.24	177.40
31.08.2015	7971.30	17146.55	184.75	26283.09	19637.15	184.65
30.09.2015	7948.90	17216.30	183.20	26154.83	19681.55	183.30
30.10.2015	8065.80	17354.50	160.20	26656.83	19773.88	160.30
30.11.2015	7935.25	17430.40	179.90	26145.67	19916.30	179.85
31.12.2015	7946.35	16922.20	156.65	26117.54	19328.74	158.45
29.01.2016	7563.55	15522.40	125.40	24870.69	17603.89	125.80
29.02.2016	6987.05	13946.40	131.90	23002.00	15814.82	132.00
31.03.2016	7738.40	16141.65	147.00	25341.86	18391.96	147.10

10. रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर / बॉण्ड अंतरण, लाभांश / ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर / बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों / कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख / अनुरोध / शिकायतें निम्न पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-

कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि.

(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32

गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,

सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032

फोन:- (040) 6712222

फैक्स :- (040) 23420814

ई मेल :- einward.ris@karvy.com

निजी रूप से रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिसका पता नीचे दिया गया है :-

आईडीबीआई ट्रस्टशीप सर्विसेस लि.

एशियन बिल्डिंग, भू-तल,

17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट

मुंबई - 400 001

टेलीफोन :- (022) 40807000

फैक्स :- (022) 66311776 / 40807080

ई मेल :- itsl@idbitrustee.com

10. REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

Karvy Computershare Private Limited

(Unit: Bank of Baroda)

Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32

Gachibowli, Financial District

Nanakramguda, Serilingampally,

Hyderabad - 500 032

Phone: (040) 67162222; Fax: (040) 23420814

E Mail: einward.ris@karvy.com

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Asian Building, Ground Floor,

17, R Kamani Marg, Ballard Estate

Mumbai - 400 001

Tel: (022) 40807000; Fax: (022) 66311776 / 40807080

Email: itsl@idbitrustee.com



बैंक ने निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में की है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयाधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक सेवा प्रभाग तीसरी मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 2652 6660 ई-मेल : investerservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल विशेष रूप से सेबी सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के नियम 6(2)(डी), विनियम 2015 के आधार पर स्थापित की गई है. जो शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं - shareholderdirectors@bankofbaroda.com	बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक, ग्राहक सेवा आठवीं मंजिल, सूरज प्लाजा - 1, सयाजीगंज वड़ोदरा 390 005 टेलीफोन : (0265) 2361724 फैक्स : (0265) 2361824 ई-मेल : customerservice@bankofbaroda.com
---	---

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों के अंतरण, जारी किये जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी होते हैं. बोर्ड ने साधारण शेयरधारकों एवं निवेशकों की समस्याओं की निगरानी एवं त्वरित समाधान की प्रगति की समीक्षा हेतु हितधारक सम्पर्क समिति का गठन किया है और शेयर / बॉन्ड स्थानांतरण एवं अन्य विषयों के लिए शेयर / बॉन्ड स्थानांतरण समिति का गठन किया गया है. समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और निवेशकों की समस्याओं के समाधान की समीक्षा की जाती है.

11. शेयरधारिता का वितरण

ए) 31 मार्च 2016 के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न :

क्रमांक Sr. No.	विवरण	Description	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयर Shares	इक्विटी का प्रतिशत % to Equity
1	भारत सरकार	Government of India	1	1,36,49,40,578	59.24%
2	बीमा कम्पनियां	Insurance Companies	49	29,03,38,853	12.60%
3	म्यूचुअल फंड / यूटीआई	Mutual Funds & UTI	210	22,24,04,562	9.65%
4	एफ.आई.आई. / एफ.पी.आई.	FIs & FPIs	269	26,37,71,697	11.45%
5	निवासी वैयक्तिक	Resident Individuals	2,87,009	11,06,95,768	4.81%
6	कार्पोरेट निकाय	Bodies Corporates	1,973	2,97,58,118	1.29%
7	अनिवासी भारतीय	Non Resident Indians	4,073	95,62,911	0.42%
8	न्यास	Trusts	39	65,17,450	0.28%
9	बैंक, एन.बी.एफ.सी तथा भारतीय वित्तीय संस्थानें	Banks, NBFC & Indian Financial Insti.	30	21,71,925	0.09%
10	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	410	38,82,736	0.17%
11	विदेशी संस्थागत निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	1,10,000	0.00%
12	विदेशी नागरिक	Foreign Nationals	1	5,000	0.00%
	कुल	Total	2,94,067	2,30,41,59,598	100.00%

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary in the rank of Dy. General Manager at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

Bank of Baroda Investors' Services Department 3 rd Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 6698 5812/5846 Fax : (022) 2652 6660 E – mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at – shareholderdirectors@bankofbaroda.com	Bank of Baroda Chief Manager, Customer Service, 8 th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 Telephone : (0265) 2361724 Fax No. : (0265) 2361824 E-mail: customerservice@bankofbaroda.com
--	--

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of -15- days from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders' Relationship Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares/Bonds Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

11. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2016



बी) शेयरधारकों का वितरण - श्रेणीवार 31 मार्च 2016

b. Distribution Of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2016

क्रम सं. Sr. No.	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	राशि Amount	राशि का प्रतिशत % Amount
1	upto 1 - 5,000	2,89,585	98.48	19,15,64,424	4.16
2	5,001 - 10,000	2,571	0.87	1,98,32,972	0.43
3	10,001 - 20,000	848	0.29	1,28,59,356	0.28
4	20,001 - 30,000	247	0.08	63,19,970	0.14
5	30,001 - 40,000	112	0.04	40,48,196	0.09
6	40,001 - 50,000	81	0.03	37,86,298	0.08
7	50,001 - 1,00,000	152	0.05	1,13,40,846	0.25
8	1,00,001 एवं उससे अधिक/ & ABOVE	471	0.16	4,35,85,67,134	94.57
	कुल / Total:	2,94,067	100	4,60,83,19,196	100.00

सी) प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्यूरिटी लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए समझौता किया है. शेयरधारक अपने अभौतिकीकृत शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. से प्राप्त कर सकते हैं.

31 मार्च 2016 तक बैंक के पास निम्नलिखित संख्या के शेयर भौतिक एवं अभौतिक रूप से हैं -

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2016 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

क्रम सं. Sr. No.	धारिता का प्रकार	Nature of holding	मामलों की संख्या No. of Cases	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत Percentage %
1	भौतिक	Physical	44,920	3,47,12,717	1.51
2	एन.एस.डी.एल.	NSDL	1,64,398	87,27,16,223	37.87
3	सी.डी.एस.एल.	CDSL	84,749	139,67,30,658	60.62
	कुल	Total:	2,94,067	230,41,59,598	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर जब्त किए (27,38,300 शेयर उप-विभाजन से पूर्व) जिनमें से 24000 शेयर (4800 उप-विभाजन से पूर्व) 31 मार्च 2015 तक रद्द कर दिये गए.

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2015.

12. 31 मार्च, 2016 को एस्करो / उचंत खातों में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

12. STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2016

ए) उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

प्रारम्भिक शेष 01.04.2015 को Opening Balance as on 01.04.2015		वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2015-16	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2015-16		31 मार्च 2016 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31 st March 2016	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
73	87,500	3	3	1,500	70	86,000



बी) 31 मार्च 2016 को एस्करो / उचंत खातों में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

दि. 01.04.2015 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2015		वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2015-16	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2015-16			31 मार्च, 2016 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31 st March 2016	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	
162	95,680	3	3	1,580	159	94,100	

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी।

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

13. लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान:

बैंक निवेशकों को, जहाँ निवेशकों द्वारा मंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि सेवाओं का प्रयोग कर रहा है।

13. DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT & Direct Credit etc.

निवेशक अपने मंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd., at the address given in this report.

14. प्रकटीकरण :

ए) यहाँ भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो, इस सम्बंध में पार्टी सम्बंधी सभी संव्यवहारों का खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए खातों के विवरणों में किया गया है।

14. DISCLOSURES

a) There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

बी) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार की कोई भर्त्सना की गई है।

b) There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.

सी) बैंक भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा सम्बंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) की सचेतक नीति का पालन करता है, इस (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) के दिशा निर्देश बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस सम्बंध में किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति से अलग नहीं किया गया है।

c) The Bank follows "Whistle Blower Policy Guidelines" of Govt. of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI). The said Policy Guidelines are available on the Bank's website. No personnel has been denied access to the audit committee.

डी) हम सेबी द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची 5 के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

d) We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.

ई) सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2016 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है।

एफ) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कॉमोडिटी में व्यापार नहीं किया है, अतः कॉमोडिटी कीमत जोखिम एवं कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां शून्य हैं:

जी) निम्नलिखित घोषणाएं सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची अर्थात् सेबी सूचीयन करार के अनुसार है, जिसे शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित लिंक पर देखी / डाऊनलोड की जा सकती हैं - "www.bankofbaroda.com/fin/investor.asp"

- I. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम की घोषणा
- II. सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी)
- III. महत्वपूर्ण अनुषंगियों एवं पार्टी लेनदेन सम्बंधी पॉलिसी

15. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं:

e) All the Directors have disclosed that they have no relationship inter-se as on 31st March 2016.

f) The Bank has not traded in Commodities during the FY 2015-16 and hence the information on, "Commodity Price Risks & Commodities Hedging Activities" is Nil.

g) Following disclosures pursuant to Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 i.e. SEBI Listing Regulations, can be viewed / downloaded by the shareholders at the link: "www.bankofbaroda.com/fin/investor.asp"

i. Disclosures about familiarization programme for the Independent Directors

ii. Whistle Blower Policy.

iii. Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries.

15. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम सं. Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएँ Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	<p>बोर्ड सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनके ड्यूटी सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है।</p> <p>The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.</p>	<p>अनुपालन किया गया. Complied with.</p> <p>बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है जहाँ अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने जाने वाले निदेशकों के अलावा सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किए जाते हैं. भारत सरकार ने (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) श्री रवि वेंकटेशन की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 14.08.2015 से की है.</p> <p>The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3)(i) of the Act. The Government of India has appointed Shri Ravi Venkatesan as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.14.08.2015. (Ref Para 2(a) of the Report)</p>
2	<p>शेयरधारकों के अधिकार गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छःमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए.</p> <p>Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders</p>	<p>अनुपालन किया गया. Complied with.</p> <p>30.09.2015, (वित्तीय वर्ष 2015-16) को समाप्त छःमाही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य निष्पादन के छमाही परिणाम प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र के साथ डाक / ई-मेल से प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिये हैं, इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए गए हैं.</p> <p>The Bank has already sent communication of MD & CEO along with the copy of half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2015 (FY 2015-16) including summary of significant developments during last six months to each shareholder by post / e-mail. The financial results are also posted on Bank's website.</p>



क्रम सं. Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएँ Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
3	लेखा परीक्षा अहर्ता कम्पनी को अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. Audit Qualifications Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक की लेखा रिपोर्ट में इस सम्बंध में कोई अहर्ता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
4	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग अलग पद सूचीबद्ध कम्पनी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है. Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	अनुपालन किया गया. Complied with. बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है. जैसा कि पैरा - 1 में कहा गया है, भारत सरकार द्वारा (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) दिनांक 14.08.2015 से श्री रवि वेंकटेशन, मंडल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष तथा दिनांक 13.10.2015 से श्री पी एस जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है. The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as stated above at Sr.No.-1. The Government of India has appointed Shri Ravi Venkatesan as Non-Executive Chairman of the Board w.e.f.14.08.2015 and Shri P. S. Jayakumar as MD & CEO (Whole-time Director) w.e.f. 13.10.2015. (Ref Para 2(a) of the Report.
5	आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात् रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से नियमित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank comply.

16. कार्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन की घोषणा :

16. DISCLOSURE OF THE COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS

नियम क्र. Regu. No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
17	निदेशक मंडल Board of Directors	अनुपालन किया गया. बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन है. यहां कम्पनी अधिनियम 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है. शेरधारकों द्वारा अधिनियमकी धारा 9(3) (आय) के अनुसरण में निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम में सेक्शन 9(3) में किए गए संशोधन के मुताबिक किया जाता है. बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India.(Ref. para 2(a) of the Report)



नियम क्र. Regu. No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
18	लेखा समिति Audit Committee	बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती हैं। जिनका अनुपालन किया गया है। (रिपोर्ट पैरा 3.1 देखें) The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda is governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with. (Ref. para 3.1 of the Report)
19	नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and remuneration committee	बैंक में दो अलग अलग समितियां नामांकन समिति एवं पारितोषिक समिति है, जिनकी संरचना एवं संदर्भ की शर्तें क्रमशः भारत सरकार के निर्देशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती है। (नामांकन समिति तथा पारितोषिक समिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट का पैरा 3.3 तथा 3.2 देखें) The Bank has 2 separate committees namely Nomination Committee and Remuneration Committee, the composition and terms of reference of which are governed through RBI directives and GOI directives respectively. (Ref. para 3.3 and 3.2 of the Report for Nomination Committee and Remuneration Committee respectively)
20	हितधारक सम्बंध समिति Stakeholders Relationship Committee	अनुपालन किया गया है। Complied with
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	अनुपालन किया गया है। Complied with
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	अनुपालन किया गया है। Complied with
23	सम्बंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है। Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की सब्सिडी के लिए कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है। Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के सम्बंध में कर्तव्य Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार - यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सम्बंध में कर्तव्य Obligations with respect to directors and senior management	अनुपालन किया गया है। Complied with
27	अन्य कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है। Complied with
46 (2) (b) to (i)	वेबसाइट Website	अनुपालन किया गया है। Complied with

17. कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस के तहत पर्यावरण उपाय

(ए) सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार, जिसका पता इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, के पास पंजीकृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, सम्प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें।

(बी) वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी सम्बन्धित डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें।

17. GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

a. The shareholders having shares in physical form are requested to register their e-mail ids with us or our Registrars, at the address given elsewhere in this report, to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail.

b. The shareholders holding shares in Demat form are requested to register their e-mail ID with their respective Depository Participant for the above purpose.



18. कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसे रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है. आईसीआरए द्वारा पहली बार जुलाई 2004 में 'सीजीआर 2' रेटिंग प्रदान की गई. बैंक को यही रेटिंग अर्थात सीजीआर 2 रेटिंग पुनः क्रमशः फरवरी 2006, सितंबर 2007, अप्रैल 2010, मार्च 2011, अप्रैल 2013, मार्च 2014 और जून 2015 में भी प्रदान की गई और अभी लागू हैं. सीजीआर 1 से सीजीआर 6 के उक्त रेटिंग स्केल में सीजीआर 1 सर्वोच्च रेटिंग कहलाती है. सीजीआर 2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है. यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यस्थित कार्यपालक प्रबंधन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि, जो निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को दर्शाती है.

19. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

19.1 श्री रवि वेंकटेशन

नाम	श्री रवि वेंकटेशन	Name	Shri Ravi Venkatesan
पता	362 / ए 6 मेन रोड, पहला ब्लोक, कोरामंगला, विप्रो पार्क के पास, बेंगलोर - 560 034	Address	362/A, 6 th Main Road, 1 st Block, Koramangala, Opp: Wipro Park, Bangalore – 560 034
जन्म तिथि	12 जनवरी, 1963	Date of Birth	12 th January, 1963
आयु	53 वर्ष		53 Years
योग्यता	बीटेक (आईआईटी मुंबई) एमएस (पूर्व विश्वविद्यालय) एमबीए (हार्वर्ड विश्वविद्यालय)	Qualifications	B.Tech (IIT Mumbai) MS (Purdue University) MBA (Harvard University)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9 (3)(एच) के तहत 14.08.2015 से 03 वर्षों या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अंशकालिक गैर - शासकीय निदेशक तथा गैर - कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.	Nature of appointment as Director	Appointed as a Part Time Non-official director as well as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 14.08.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	सोशल परोपकारी कार्यों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु विख्यात राष्ट्र व्यापी जनहितकारी संगठन 'वेंचर पार्टनर्स इंडिया' के श्री रवि वेंकटेशन संस्थापक अध्यक्ष हैं. वे इम्पेक्ट इन्वेंशटर यूनिटूस सीड फंड के वेंचर पार्टनर हैं तथा वे रॉकफेलर फाउंडेशन, इनफोसिस लि. एवं स्ट्रैंड लाइफ सायन्स के लिए भी कार्य कर रहे हैं. वे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा प्रकाशित उल्लेखनीय पुस्तक 'कोन्करिंग द केओस:विन इन इंडिया, विन एवरीव्हेयर' के लेखक भी हैं.	Experience	Mr. Ravi Venkatesan is the founder Chairman of Social Venture Partners India, a national network of philanthropists addressing social problems through venture philanthropy. He is a Venture Partner at impact investor Unitus Seed Fund and serves on the boards of Rockefeller Foundation, Infosys Ltd, and Strand Lifesciences. He is the author of an acclaimed book "Conquering the Chaos: Win in India, Win Everywhere" published by Harvard Business Review.

18. CORPORATE GOVERNANCE RATING

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA had assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) on a rating scale of CGR1 to CGR6 where CGR1 denotes the highest rating, in July 2004, which has been reaffirmed in February 2006, September 2007, April 2010, March 2011, April 2013, March 2014 and June 2015 respectively and presently is in force. The CGR2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

19. PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE FINANCIAL YEAR 2015-16

19.1 Shri Ravi Venkatesan



	इससे पूर्व, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में 2004 से 2011 के दौरान, श्री रवि वेंकटेशन ने पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी सबसे बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई. भारतवर्ष में माइक्रोसॉफ्ट की परियोजना 'शिक्षा', जो कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम है, को तैयार करने में भी इन्होंने सहयोग किया है. उक्त परियोजना ने अभी तक भारतवर्ष में 40 मिलियन स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने से पूर्व श्री वेंकटेशन क्यूमिन्स इंडिया के प्रचार-प्रसार के अध्यक्ष थे तथा उन्होंने इसे भारत के अत्यधिक इंजन एवं विद्युत उत्पादन करनेवाले के रूप में बदला. इन्होंने पुणे में, भारत में महिलाओं के लिए प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, क्यूमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थापित करने में सहायता प्रदान की.		Prior to this, as Chairman of Microsoft India between 2004 and 2011, Mr. Ravi Venkatesan helped build India into Microsoft's second-largest presence in the world. He was instrumental in creating Microsoft India's Project Shiksha, a computer literacy program which has so far trained over 40 million school children in India. Prior to Microsoft, Mr. Ravi Venkatesan was the Chairman of publicly held Cummins India and led its transformation into India's leading provider of engines and power solutions. He helped establish the Cummins College of Engineering, India's first engineering college for women, in Pune.
	ये एक प्रख्यात विद्वान हैं. इन्हें मुंबई के भारतीय तकनीकी संस्थान से प्रख्यात अलमन्स पुरस्कार तथा पुर्दू विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध इंजीनियरिंग अलमन्स पुरस्कार प्राप्त हुआ. इन्हें थिंकर्स50 द्वारा भारत के अच्छे प्रबंधन चिंतकों में से एक माना गया है.		He was a Baker Scholar. He is a recipient of the Indian Institute of Technology Bombay's Distinguished Alumnus Award and Purdue University's Distinguished Engineering Alumnus Award. He was voted as one of India's best management thinkers by Thinkers50.
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को	शून्य	No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016	- Nil

19.2 श्री पी. एस. जयकुमार

19.2 Shri P. S. Jayakumar

नाम	श्री पी.एस.जयकुमार	Name	Shri P. S. Jayakumar
पता	803 - बी, विवेरिया, साने गुरुजी मार्ग, जैकोब सर्किल के पास, भायखला, मुंबई : 400011	Address	803-B, Viveria, Sane Guruji Marg, Off Jacob Circle, Byculla, Mumbai – 400 011
जन्म तिथि	08 अप्रैल 1962	Date of Birth	8 th April, 1962
आयु	54 वर्ष	Age	54 Years
योग्यता	एम. कॉम सीए एमबीए (एक्सएलआरआई)	Qualifications	M.Com CA MBA (XLRI)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ए) के तहत 13.10.2015 से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है.	Nature of appointment as Director	Appointed as Managing Director & CEO by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 13.10.2015 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	श्री पी.एस.जयकुमार की शैक्षणिक योग्यता चार्टर्ड एकाउंटेंट है तथा साथ ही साथ इन्होंने एक्सएलआरआई जमशेदपुर से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है. लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स व पलिटिकल साइंस के माध्यम से इन्हें चेंवेनिंग गुरुकुल विद्वान का विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ है.	Experience	Mr. P. S. Jayakumar, is a Chartered Accountant by qualification and additionally holds a Post Graduate Diploma in Business Management from XLRI Jamshepur. He also has the distinction of being a Chevening Gurukool Scholar through the London School of Economics and Political Science.



	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा में एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति से पूर्व वे, 2009 के बाद निम्न व माध्यम श्रेणी की आय वाले परिवारों के लिए हाऊसिंग के क्षेत्र में अग्रणी, वीबीएचसी वेल्थ होम्स प्रा. लि. सह - संस्थापक व सीईओ थे. वे होम फर्स्ट फाइनांस कंपनी, एनएचबी के द्वारा नियंत्रित हाऊसिंग फाइनांस संस्था, जो ऐसे ग्राहकों को वित्तपोषित करने पर ध्यान देती है जो कि बैंकिंग सेक्टर से मॉर्गेंज ऋण लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, के सह संस्थापक व प्रमोटर निदेशक रह चुके हैं.</p> <p>वे एक पेशेवर बैंकर हैं तथा इन्होंने सन 1986 से शुरुआत करके 23 वर्षों से अधिक का समय सिटी बैंक में भारत में तथा सिंगापुर में कार्य करके बिताया है. इन्होंने भारतवर्ष में रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में कई नवोन्मेषी कार्य किए हैं. इसके साथ ही साथ वे भारत में सन 1991 में हुए प्रथम आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं सन 2006 में वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों हेतु जारी किए गए प्रथम बहु-भाषीय बायोमेट्रिक एटीएम की मुहिम से भी जुड़े रहे.</p> <p>श्री जयकुमार ने सिटी बैंक में कार्य करने के दौरान विभिन्न पदों, जैसे खजांची, उपभोक्ता बैंक, व्यवसाय विकास प्रमुख के रूप में जमा कैनवास करना, व्यवसाय को बढ़ाना, आदि कार्यभार को संभाला. वे सिटी फाइनेंसियल लि. के प्रबंध निदेशक, एशिया मूल के देशों (जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपिंस, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, हॉंग कॉंग और कोरिया शामिल हैं) के प्रबंध निदेशक व सिटी बैंक उपभोक्ता ऋण के प्रमुख, सिटी बैंक उपभोक्ता व्यवसाय के राष्ट्रीय प्रमुख और एशियाई देशों के तुलन - पत्र प्रबंधन के प्रमुख रह चुके हैं. श्री पी.एस.जयकुमार भारतवर्ष में सिटी बैंक की सहायक कंपनियों के बोर्ड सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.</p>		<p>Prior to his appointment as MD & CEO of Bank of Baroda, he was the Co-founder and CEO of VBHC Value Homes Pvt. Ltd., a leader in housing for low and moderate income household from 2009 onwards. He was also the Co-founder and Non-Executive Promoter Director for Home First Finance Company, a housing finance institution regulated by the NHB, focused on financing customers who are not able to access mortgage loans from the banking sector.</p> <p>He is a career banker and has spent over 23 years in Citibank in India and Singapore starting in 1986. He has contributed to several innovations in retail banking in India. In addition, he was associated with the first asset securitisation in India in 1991 and the first multi-lingual biometric ATM for the financially excluded in 2006.</p> <p>Mr. Jayakumar has held diverse assignments while at Citibank such as Treasurer - Consumer Bank, Business Development Head covering deposit and lending business, Managing Director for Citifinancial Ltd, Managing Director and Head of Citi bank Consumer Loan for Asia Pacific Countries (covering Indonesia, Philippines, Australia, Thailand, Hong Kong and Korea), Country Head - Citibank Consumer Business and Head of Balance Sheet Management - Asia Pacific. Mr. P. S. Jayakumar has also served as a Board Member in many of Citibank's subsidiaries in India.</p>
<p>बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को</p>	<p>14500</p>	<p>No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016</p>	<p>14500</p>

19.3 सुश्री ऊषा ए नारायणन

19.3 Smt. Usha A. Narayanan

<p>नाम</p>	<p>सुश्री ऊषा ए नारायणन</p>	<p>Name</p>	<p>Smt. Usha A. Narayanan</p>
<p>पता</p>	<p>“नारायणन” 1006, 17 वां मुख्य, बीटीएम लेआऊट प्रथम स्टेज बैंगलोर - 560 029</p>	<p>Address</p>	<p>“Narayana”1006, 17th Main, BTM Layout, 1st Stage, Bangalore – 560 029</p>
<p>जन्म तिथि</p>	<p>03 जुलाई, 1959</p>	<p>Date of Birth</p>	<p>3rd July, 1959</p>
<p>आयु</p>	<p>57 वर्ष</p>	<p>Age</p>	<p>57 Years</p>



योग्यता	बी. कॉम एफसीए	Qualifications	B.Com FCA
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 12.12.2015 से 11.12.2018 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित घोषित.	Nature of appointment as Director	Declared elected as Shareholder Director under Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 12.12.2015 to 11.12.2018.
अनुभव	<p>सुश्री ऊषा ए नारायणन चाटर्ड एकाउंटेंट हैं, जिनके पास 1992 से 2013 तक प्राइस वाटर हाऊस के लेखा - परीक्षा के पार्टनर के रूप में लेखा - परीक्षा का कार्य करने का 21 वर्षों का अनुभव है. यह पहली महिला हैं, जिन्होंने 1997 में पार्टनरशिप को अपनाया और इन्होंने वृहद भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियों में इन्होंने अग्रणी अनुबंध पार्टनर का कार्य पूरा किया. वे एक योग्य कंपनी सचिव भी हैं.</p> <p>उनके पास व्यवसाय जोखिम एवं नियंत्रणों, कंपनी विधियों, लेख एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा व्यवसाय में उन्हें लागू करने संबंधी गहन ज्ञान एवं समझ हैं.</p> <p>वे वर्ष 2009 से 2013 तक चार वर्षों के लिए पीडब्ल्यू इंडिया एश्योरेंस लीडरशिप टीम की एक सदस्य रहीं और एश्योरेंस प्रैक्टिस हेतु नेशनल ह्यूमन कैपिटल फंक्शन को नेतृत्व प्रदान किया.</p> <p>वे समाज-कार्य में भी सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं.</p>	Experience	<p>Ms. Usha A Narayanan is a Chartered Accountant with over 21 years of Audit experience as Audit Partner with PriceWaterhouse from 1992 to 2013. She was one of the first women to be admitted to Partnership in 1997 and has served as Lead Engagement Partner on large Indian listed companies and Indian subsidiaries of multinationals. She is also a qualified Company Secretary.</p> <p>She has deep knowledge and understanding on assessing business risks and controls, Company Law, Accounting and Auditing standards and their application to business.</p> <p>She was a member of PW India Assurance Leadership Team for four years from 2009 to 2013 and also led the National Human Capital Function for the Assurance practice.</p> <p>She is also actively involved in social service.</p>
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को	500	No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016	500

19.4 श्री मयंक महेता**19.4 Shri Mayank K. Mehta**

नाम	श्री मयंक महेता	Name	Shri Mayank K. Mehta
पता	21, पर्सीपोलिस अपार्टमेन्ट सोमानी मार्ग, कफ परेड मुंबई - 400 005	Address	21, Persipolis Apts., Somani Marg, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005
जन्म तिथि	12.09.1958	Date of Birth	12 th September 1958
आयु	57 वर्ष	Age	57
योग्यता	बी.एस.सी, सीएआईआईबी	Qualifications	BSc., CAIIB
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (ए) के तहत 22.01.2016 से 30.09.2018 तक जो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक या अगले आदेशों तक केंद्र सरकार के द्वारा कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.	Nature of appointment as Director	Appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 22.01.2016 for a period upto 30.09.2018 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.



<p>अनुभव</p>	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व श्री मयंक के मेहता युनियन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्यरत थे.</p> <p>श्री मेहता का जन्म 12 सितंबर, 1958 को हुआ था. श्री मेहता ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से प्रमाण-पत्र (सीएआईआईबी) प्राप्त किया.</p> <p>श्री मयंक के मेहता ने अपने कैरियर की शुरुआत सन 1977 में युनियन बैंक ऑफ इंडिया से की तथा अक्टूबर 2012 में महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए. युनियन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक बनने से पूर्व विभिन्न स्तरों पर कई जिम्मेदारियां निभाईं. श्री मयंक के मेहता, जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के विशेषज्ञ माने जाते हैं, बैंक के तकनीकी विकास और बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी भूमिका रही.</p> <p>श्री मयंक के मेहता केबीसी आरिस्त प्रबंधन कंपनी प्रा.लि.संघ, जो कि बैंक की ही सहायक कंपनी है, के बोर्ड के निदेशक भी रह चुके हैं. वे वर्ष 2010-12 के बीच केआईटीसीओ लि. (पूर्व में केरला औद्योगिक सलाहकार संस्थान लि.) के बोर्ड के भी निदेशक रह चुके हैं.</p>	<p>Experience</p>	<p>Shri Mayank K. Mehta was General Manager and Chief Financial Officer (CFO) at Union Bank of India prior to his elevation as Executive Director of Bank of Baroda.</p> <p>Born on 12th September, 1958, Shri Mayank K. Mehta holds a Bachelors degree in Science and is also a Certificated Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).</p> <p>Shri Mayank K. Mehta started his career in Union Bank of India in 1977 and rose to the position of General Manager in October 2012. He has held wide range of responsibilities in various capacities before his elevation as General Manager of Union Bank of India. Mr. Mayank K. Mehta, an expert in International Banking, has also been instrumental in technological development of the Bank and successful implementation of Core Banking Solution of the Bank.</p> <p>Mr. Mayank K. Mehta was a Director on the Board of Union KBC Asset Management Company Private Limited, the Bank's subsidiary. He was also a Director on the Board of KITCO Limited (formerly Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.) between years 2010-12.</p>
<p>बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या 31.03.2016 को</p>	<p>शून्य</p>	<p>No. of shares of Bank of Baroda held as on 31.03.2016</p>	<p>Nil</p>



घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र.

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी के (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 26 (3) के अनुसार "बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता" के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी.एस. जयकुमार

पी.एस. जयकुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दि. : 13 मई 2016

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V - Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year Ended on 31st March, 2016 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

P. S. Jayakumar

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 13th May 2016

31 मार्च, 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का संक्षिप्त तुलन पत्र

Abridged Balance Sheet of Bank of Baroda as on March 31, 2016

₹ in '000

		स्टैंडअलोन Standalone		समेकित Consolidated	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES				
पूंजी	Capital				
इक्विटी	Equity	462,09,31	443,56,04	462,09,31	443,56,04
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserve & Surplus				
सांविधिक प्रारक्षित निधियां	Statutory Reserves	8968,97,29	8968,97,29	9228,13,30	9187,62,87
पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	Capital Reserves	5125,77,32	1986,86,27	5185,43,81	1994,79,36
शेयर प्रीमियम	Share Premium	10729,00,93	8961,54,21	10786,20,93	9018,74,21
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	Revenue & Other reserves	14913,13,68	19474,40,95	16841,28,90	21372,92,76
माइनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	-	-	193,69,07	186,71,56
जमाराशियां	Deposits				
मांग-जमाराशियां	Demand Deposits	34629,06,17	52796,65,00	35544,13,46	53709,47,61
बचत बैंक जमाराशियां	Saving Bank Deposits	116705,40,95	110172,20,36	119459,30,04	112805,52,55
मीयादी जमाराशियां	Term Deposits	422703,40,10	454590,66,97	431687,03,33	463466,24,89
उधार ली गयी राशियां	Borrowings				
भारत में उधार ली गयी राशियां	Borrowings in India				
क) भारतीय रिजर्व बैंक से	a) from Reserve Bank of India	-	-	-	-
ख) अन्य बैंकों से	b) from other Banks	387,98,49	2426,44,20	395,91,13	2432,85,33
ग) अन्य संस्थान एवं एजेंसियों से	c) from other institutions and agencies	193,22,47	1,12,75	844,34,01	214,27,53
घ) ऋण लिखत	d) Debt Instruments	11331,70,00	12101,70,00	11331,70,00	12101,70,00
भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	Borrowings outside India	21558,79,06	20735,01,09	21273,27,43	20752,68,88
अन्य देयताएं और प्रावधान	Other Liabilities & Provisions				
देय बिल	Bills Payable	1675,58,78	2133,88,12	1741,92,90	2190,88,05
अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	Inter-office Adjustments (net)	393,84,59	755,40,70	391,93,64	752,71,17
उपचित ब्याज	Interest Accrued	3927,99,71	4644,52,46	3992,72,15	4781,06,40
मानक अग्रिम आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provisions towards Standard Assets	2751,23,49	2963,73,86	2772,97,76	2981,80,35
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	Deferred Tax Liability (net)	-	672,40,74	6,09,85	675,85,37
अन्य	Others	14919,25,35	11159,43,79	19040,86,48	14907,92,71
कुल पूंजी और देयताएं	TOTAL CAPITAL & LIABILITIES	671376,47,69	714988,54,80	691179,07,51	733977,37,64



₹ in '000

		स्टैंडअलोन Standalone		समेकित Consolidated	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
आस्तियां	ASSETS				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash & Balance with Reserve Bank of India	21672,41,54	22488,59,70	22810,75,34	23556,94,33
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks & money at call & short notice				
बैंकों के पास शेष रकम	Balance with banks in india	4060,20,20	4067,62,58	5482,83,30	5545,95,62
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Money at call & short notice in India	600,00,00	-	645,00,00	155,00,00
भारत से बाहर शेष रकम	Balances outside india	107567,73,25	121796,92,79	108060,46,75	122373,29,03
निवेश	Investments				
भारत में	In India				
क) सरकारी प्रतिभूतियां	a) Government Securities	100428,36,43	96897,64,08	103090,09,11	99139,02,19
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	b) Other approved securities	1,28,00	1,28,00	1607,52,80	1387,37,47
ग) शेयर	c) Shares	1259,89,15	1286,36,09	1882,80,33	2033,06,08
घ) डिबेंचर एवं बॉण्ड	d) Debentures & Bonds	2558,59,53	3312,41,82	3668,89,34	3947,50,12
ङ) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम	e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	901,11,37	839,76,75	736,49,59	681,32,28
च) अन्य	f) Others	5735,92,56	7282,18,16	5796,04,21	7462,64,42
भारत से बाहर	Outside India	9565,35,06	7192,58,64	12112,20,32	10088,03,88
अग्रिम	Advances				
भारत में	In India				
क) खरीदे गये एवं बट्टाकृत बिल	a) Bills purchased & discounted	2963,37,66	5171,00,05	2967,17,42	5177,23,41
ख) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	b) Cash Credit, overdraft & loans repayable on demand	127046,27,51	144487,91,00	128767,21,66	146130,25,63
ग) मीयादी ऋण	c) Term Loans	133258,73,15	142211,30,95	134323,49,57	143200,87,71
भारत से बाहर	Outside India	120501,79,71	136194,91,89	125428,09,88	140907,12,17
अचल आस्तियां	Fixed Assets	6253,77,56	2874,84,80	6359,17,15	2978,40,99
अन्य आस्तियां	Other Assets				
इंटर ऑफिस समायोजन (निवल)	Inter Office Adjustments(net)	-	-	-	-
उपचित ब्याज	Interest Accrued	5346,70,34	4282,79,68	5492,65,60	4409,84,79

₹ in '000

		स्टैंडअलोन Standalone		समेकित Consolidated	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर	Tax paid in advance / at source	5360,76,75	5555,52,60	5393,42,84	5584,58,01
आस्थगित कर देयता (निवल)	Deferred Tax Assets (net)	3248,71,57	-	3262,98,51	11,82,50
दावों के समाधान पर अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-	-	-
अन्य	Others	13045,46,35	9044,85,22	13291,73,79	9207,07,01
कुल आस्तियां	TOTAL ASSETS	671376,47,69	714988,54,80	691179,07,51	733977,37,64
आकस्मिक देयताएं	Contingent liabilities				
बैंक से किए गए दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	Claims against the bank not acknowledged as debts	371,95,10	83,96,41	389,31,10	100,32,70
बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	142320,13,27	150655,98,80	142340,20,48	150684,45,91
ग्राहकों के लिए दी गई गारंटियां	Guarantees given on account of constituents	32537,47,72	30846,29,75	33083,55,99	31390,74,02
स्वीकृतियां, परांकन और अन्य बाध्यता	Acceptances, endorsements & other obligations	16679,37,90	20007,54,52	16896,56,73	20337,88,56
आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें जिनके लिए बैंक उत्तरदायी है	Other items for which the bank is contingently liable	37068,22,34	44790,92,33	37097,31,31	44818,95,90
संग्रहण हेतु बिल	Bills for collection	32343,74,34	37608,06,25	32442,12,00	37721,09,65



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ़ बड़ौदा का संक्षिप्त लाभ हानि खाता

Abridged Profit & Loss Account of Bank of Baroda for the year ended March 31, 2016

₹ in '000

		स्टैंडअलोन Standalone		समेकित Consolidated	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
अन्य	INCOME				
अर्जित ब्याज	Interest Earned				
अग्रिमों / बिलों पर	On advances/bills	29796,23,23	30802,68,00	30700,06,64	31669,35,61
निवेशों पर	On investments	10673,22,27	9701,07,35	11333,92,88	10603,54,51
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष तथा अतः बैंक निधियां	On balances with RBI and inter bank funds	1305,92,32	1549,79,45	1469,87,76	1717,62,95
अन्य	Others	2285,89,92	910,00,90	2295,11,74	924,43,59
अन्य आय	Other Income				
कमीशन, विनियम और दलाली	Commission, exchange & Brokerage	1501,48,55	1482,04,36	1591,84,76	1564,80,48
निवेशों के पुर्नमूल्यांकन पर शुद्ध लाभ	Net profit on sale of investments	1178,85,95	1007,01,97	1189,56,54	1036,29,86
भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	Net profit on sale of land building & other assets	2,15,91	(4,06)	2,21,08	(3,50)
विनियम लेन-देन पर शुद्ध लाभ	Net profit on Exchange transactions	1252,31,17	1005,93,48	1277,35,53	1030,78,94
विदेशों में / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और या विदेशी / भारतीय संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में प्राप्त आय	Income by way of dividends etc. from subsidiaries/companies and/or JVs abroad/in India	45,56,38	36,97,70	7,92,98	36,97,70
विविध आय	Miscellaneous Income	1018,48,20	870,06,05	1923,26,63	1780,43,50
कुल आय	TOTAL INCOME	49060,13,90	47365,55,20	51791,16,54	50364,23,64
व्यय	EXPENDITURE				
ब्याज व्यय	Interest Expended				
जमा राशियों पर	On Deposits	29200,11,00	27605,55,82	29982,12,20	28384,42,94
भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर	On RBI/Inter bank borrowings	345,02,56	394,13,16	340,34,18	397,36,06
अन्य	Others	1776,29,01	1776,63,43	1784,97,65	1764,81,83
परिचालन व्यय	Operating expenses				
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	Payment & provision for employees	4978,02,55	4261,34,65	5201,04,64	4476,97,43
किराया कर एवं विद्युत	Rent taxes & lighting	862,02,31	695,74,24	903,91,31	737,74,02
मुद्रण एवं सामग्री	Printing & stationery	81,91,65	78,82,28	86,27,68	83,19,55
विज्ञापन एवं प्रचार	Advertisement & publicity	75,94,90	71,81,61	83,49,88	84,51,80
बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Bank's property	501,32,72	340,39,49	525,10,86	368,25,53

₹ in '000

		स्टैंडअलोन Standalone		समेकित Consolidated	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
निदेशों की फीस, भत्ते एवं व्यय	Director's fees, allowances & expenses	69,18	85,88	2,64,64	2,58,69
लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस व व्यय सहित)	Auditors fees, expenses incl. branch auditors	57,69,92	51,84,39	60,70,05	54,43,54
विधि प्रभार	Law charges	54,61,24	45,65,48	58,29,71	50,05,86
डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	154,32,23	148,79,13	163,46,50	156,60,96
मरम्मत एवं रख-रखाव	Repairs & Maintenance	539,77,94	471,30,70	550,74,24	481,40,75
बीमा	Insurance	490,08,58	451,04,44	503,16,51	462,73,27
अन्य	Others	1126,70,49	1056,50,44	1823,55,85	1645,90,01
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies				
निवेशों के मूल्यहास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on investments	341,46,54	(149,35,85)	340,38,27	(151,99,95)
अनार्जक आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provision towards non performing assets	13765,89,25	3997,08,22	13847,55,42	4055,04,18
मानक आस्तियों के पेटे प्रावधान	Provision towards standard assets	(258,10,53)	548,12,48	(255,03,67)	549,42,06
अन्य (आयकर को छोड़कर)	Others (excluding income taxes)	1664,39,46	98,64,19	2021,07,77	777,51,48
कुल व्यय और प्रावधान	TOTAL EXPENSES AND PROVISIONS	<u>55758,21,00</u>	<u>41944,94,18</u>	<u>58023,83,69</u>	<u>44381,00,01</u>
कर से पहले लाभ / हानि	Profit/Loss before Tax				
वर्तमान कर	Current Tax	1769,84,27	2136,67,93	1892,58,65	2265,83,32
आस्थगित कर	Deferred Tax	(3072,37,64)	(114,50,44)	(3072,17,05)	(115,28,83)
कर के पश्चात लाभ / हानि	Profit / Loss after Tax	(5395,53,73)	3398,43,53	(5053,08,75)	3832,69,14
सहयोगी इकाइयों में अर्जत / हानि का अंश	Share of Earning/(Loss) in associates	-	-	20,09,30	117,73,23
माइनोरिटी इंटररेस्ट डेबिट करने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित लाभ / हानि	Consolidated Net Profit/loss for the year before deducting minority Interest	(5395,53,73)	3398,43,53	(5032,99,45)	3950,42,37
घटाएं - माइनोरिटी इंटररेस्ट	Less - Minority Interest	-	-	34,68,77	38,69,63
वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ / हानि	Consolidated Net Profit/Loss for the year attributable to Group	(5395,53,73)	3398,43,53	(5067,68,22)	3911,72,74
आगे लाया गया लाभ / हानि	Profit / Loss brought forward	-	-	553,39,97	415,85,41
कुल	Total	<u>(5395,53,73)</u>	<u>3398,43,53</u>	<u>(4514,28,25)</u>	<u>4327,58,15</u>
विनियोजन	Appropriations				
सांविधिक प्रारक्षित निधियों को अंतरण	Transfer to statutory reserves	-	849,60,88	43,08,32	897,62,50
अन्य प्रारक्षितों में अंतरण	Transfer to other reserves	-	1697,13,94	219,12,24	2024,86,97
सरकारी / प्रस्तावित लाभांश में अंतरण	Transfer to Government/ proposed dividends	-	851,68,71	-	851,68,71



		स्टैंडअलोन		समेकित	
		Standalone		Consolidated	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	Balance carried forward to Balance Sheet	(5395,53,73)	-	(4776,48,81)	553,39,97
विगत वर्ष के अतिरिक्त विनियोजन से अंतरण	Transfer from Excess Appropriation of previous year	7,78,84	-	-	-

निदेशक
DIRECTORS

रवि वेंकटेशन अध्यक्ष Ravi Venkatesan Chairman	पी एस जयकुमार प्रबंधक निदेशक एवं मु.का.अ. P S Jayakumar Managing Director & CEO	बी बी जोशी कार्यपालक निदेशक B B Joshi Executive Director	मयंक के मेहता कार्यपालक निदेशक Mayank K Mehta Executive Director
मो. मुस्तफा निदेशक Mohd. Mustafa Director	सुरेखा मरांडी निदेशक Surekha Marandi Director	प्रेम कुमार मक्कड़ निदेशक Prem Kumar Makkar Director	प्रो. बिजू वकर्की निदेशक Prof. Biju Varkkey Director
डॉ. आर नारायणस्वामी निदेशक Dr. R Narayanaswamy Director	भरत कुमार डंगर निदेशक Bharat Kumar Dangar Director	उषा ए नारायणन निदेशक Usha A Narayanan Director	
वी एस नारंग महाप्रबंधक कार्पो. लेखा व कराधान एवं सीएफओ V S Narang General Manager Corp. A/Cs & Taxation and CFO	अशोक डंगायच उप महाप्रबंधक कार्पो. लेखा एवं कराधान Ashok Dangaich Dy General Manager Corp. A/Cs & Taxation		

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2016
Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

लेखा परीक्षक
AUDITORS

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन: 105049W For Khandelwal Jain & Co Chartered Accountants FRN : 105049W	कृते एस आर गोयल एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन: 001537C For S R Goyal & Co Chartered Accountants FRN : 001537C	कृते वाही एण्ड गुप्ता सनदी लेखाकार एफआरएन: 002263N For Wahii & Gupta Chartered Accountants FRN : 002263N	कृते रोडी दबीर एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन: 108846W For Rodi Dabir & Co. Chartered Accountants FRN : 108846W
(शैलेश एस शाह) भागीदार एम नं. 033632 (Shailesh S Shah) Partner M No.: 033632	(अजय कुमार अटोलिया) भागीदार एम नं. 077201 (Ajay Kumar Atolia) Partner M No.: 077201	(अनुज गुप्ता) भागीदार एम नं. 076560 (Anuj Gupta) Partner M No. : 076560	(सुधीर दबीर) भागीदार एम नं. 039984 (Sudhir Dabir) Partner M No.: 039984

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2016
Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

बैंक ऑफ़ बड़ौदा का संक्षिप्त नकदी प्रवाह विवरण पत्र
Abridged Cash Flow Statement of Bank of Baroda

₹ in '000

विवरण Particulars	स्टैंडअलोन Standalone		समेकित Consolidated	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
क. परिचालन की गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash Flow from operating Activities	(9841,65,62)	18021,05,00	(10011,31,00)	17838,30,93
ख. निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. Cash Flow from Investing Activities	(3995,41,47)	(539,36,68)	(4005,09,60)	(556,34,27)
ग. वित्तपोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash Flow from Financing Activities	(615,72,99)	(6,44,48)	(615,72,99)	(6,44,48)
नकदी / समतुल्य नकदी में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग) Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	(14452,80,08)	17475,23,84	(14632,13,59)	17275,52,18
01 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash & Cash equivalents as at April 01	148353,15,07	130877,91,23	151631,18,98	134355,66,80
31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash & Cash equivalents as at March 31	133900,34,99	148353,15,07	136999,05,39	151631,18,98



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

Significant Accounting Policies for the year ended March 31, 2016

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण-पत्र, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें

(क) “परिपक्वता तक धारित” में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

(ख) “व्यापार हेतु धारित” में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

(ग) “बिक्री हेतु उपलब्ध” में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेशों की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहनों, प्रारंभिक शुल्क एवं कमीशन राशि घटाकर है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a. “Held to Maturity” (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

b. “Held for Trading” (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade.

c. “Available for Sale” (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.



“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बांड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाण-पत्रों पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, ह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वीसीएफ इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए ‘परिपक्वता तक धारित’ संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ और मार्केट-टू-मार्केट में अंतरित किया जाएगा।

“व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिपवार बाजार के रूप में चिन्हित किये जाते हैं और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई हो, को “लाभ हानि खाते” के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। तथापि लिखतों पर रुपांतरण रूप में अधिग्रहित मुल्यहास चाहे वह मानक के रूप में या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस एएफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित किसी अन्य प्रतिभूति में मूल्यहास के पेटे ऑफसेट नहीं किया जाता है।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन मूल्यों के अनुसार रखाव लागत पर किया जाता है।

“व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)/फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

- क) सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां - “परिपक्वता प्रतिफल” के आधार पर
- ख) इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर - अद्यतन तुलन-पत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी.
- ग) अधिमानी शेयर - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर

Investments classified as HTM includes debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit, have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank’s investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet, is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, Depreciation on the Instruments acquired by way of conversion, whether classified as Standard or NPA, is not offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

- a Government/ Approved securities - on Yield to Maturity basis.
- b Equity Shares, PSU and Trustee shares - at break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re. 1 per company.
- c Preference Shares - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.



घ) पीएसयू बांड	- समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.	d PSU Bonds	- on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
ड.) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/एन.ए.वी. पर	e Units of Mutual Funds	- at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
च) उद्यम पूंजी	लेखापरीक्षित तुलनपत्र, जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी. यदि, लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/-.	f Venture Capital	- Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF
छ) प्रतिभूति प्राप्तियां	भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप आरिस्ट पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा घोषित शुद्ध आरिस्ट मूल्य	g. Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines

3.4 निवेशों का निस्तारण

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है. तथा “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है.

‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ और व्यापार के लिए धारित निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

3.5 निपटान तारीख आधार पर किए गए निवेशों के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है.

3.6 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है. विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है.

3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप कोई मूल्यहास, यदि होता है, के लिए प्रावधान किया जाता है.

3.8 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है.

3.9 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर). पुनः खरीद एवं प्रत्यावर्तित पुनः खरीद संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/उधार कार्य के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर पुनःखरीद का करार किया जाता है. पुनः खरीद के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और प्रत्यावर्तित

3.4 Disposal of Investments

Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of investments at overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the RBI are followed.

3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.8 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs



पुनः खरीद प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता. लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखाकृत किया जाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां, निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं. उस पर खर्च किये ब्याज / अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

3.10 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप्स हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मैकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं. व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर लेखांकित किये जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्केट-टू-मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है. लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता. ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है. ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है, जबकि लाभों को छोड़ दिया जाता है.

तुलन पत्र की तिथि को 'फेडार्ड' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अर्न्तगत वर्गीकृत किया जाता है.

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है. विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है.

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उच्यंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि के बाद का निवल है.

4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है.

and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge(market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.



4.4 आरिस्ट पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किये जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिव्यवधान राशि लाभ हानि खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है।

5. अचल आस्तियां

5.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर दर्शाई गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है तथा इस पर मूल्यहास को इसमें से घटाया जाता है।

5.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

7.1 आय (पैराग्राफ 7.2 में दर्शाई गई मदों को छोड़कर) दर्शाई गई मदों को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गई है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।

7.2 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

7.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।

7.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

8. कर्मचारियों को लाभ

8.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान

4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account spread over a period of two years. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

5 FIXED ASSETS

5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.

5.2 Premises include land and building under construction.

6 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7 REVENUE RECOGNITION

7.1 Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

7.2 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

7.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

7.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 EMPLOYEE BENEFITS

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit



को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है.

8.2 उपदान

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है.

8.3 पेंशन

8.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है. यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है.

8.3.2 जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 1.4.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना पारिभाषित अंशदान योजना पर लागू है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदान को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

8.4 प्रतिपूरक अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थिति यथा उपाजित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश का संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

8.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है.

9. मूल्यहास

9.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुच्छेद 9.3 व 9.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित मूल्यहासित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है. इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है.

9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 9.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

8.3 PENSION

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

9 DEPRECIATION

9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 9.3 and 9.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.



9.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन अंग हैं पर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, के पूर्ण मूल्यहास को सीधे ही लाभ एवं हानि खातों में प्रभारित किया जाता है.

9.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है.

9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास खरीद / उपयोग की तारीख से आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है.

9.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है.

10. आस्तियों का ह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के ह्रास के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का ह्रास") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है.

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

11.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक एएस 11 के अनुरूप किया जाता है.

11.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को क) एकीकृत परिचालनों एवं ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है.

11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडआई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है.

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है.

(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है. विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया जाता है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है.

(घ) तुलन पत्र की तिथि पर बकाया और व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के द्वारा अधिसूचित क्रमशः बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त की गई एमएटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है. इस

9.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an intergral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

9.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

9.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.

11.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

11.3 Translation in respect of Integral Operations

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets and liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of



एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

11.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) आस्तियों एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।

(ख) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर व वायदा दरों एवं अंतरित परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटड' दरों पर अंतरित किया जाता है।

(ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया जाता है।

(घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

11.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एएस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि पर बकाया एवं व्यापार हेतु धारित विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक (एलएस) 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी

MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

11.4 Translation in respect of Non Integral Operations

a) Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

c) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

12 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

13 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of



शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटेड सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों की लेखांकन नीतियां

1. समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने का आधार

1.1 तैयार करने का आधार

बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाए गए हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/ कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप हैं, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने में वित्तीय विवरण-पत्र की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह के समेकित वित्तीय विवरण-पत्र (12 अनुषंगियां, 6 सहयोगी इकाइयों तथा 3 संयुक्त उद्यमों) का समावेश है, निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

क) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते

ख) अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ शब्दशः एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार

equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

ACCOUNTING POLICIES OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1.1 BASIS OF PREPARATION:

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

2.1 CFS of the group (comprising of -12- Subsidiaries, -6- Associates and -3- Joint Ventures) have been prepared on the basis of :

a. Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/ income/expense of the subsidiaries with the respective item



संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-21) समेकित वित्तीय विवरण पत्रक के अनुसार सभी इन्द्रा गुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए.

ग) सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्रों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी ए एस 23 "अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है.

घ) संयुक्त उद्यमों में ब्याज को, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-27 (फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्टरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर) में निर्धारित "समानुपातिक समेकन आधार" पर समेकित किया गया है.

2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी इकाइयों के वित्तीय विवरण-पत्रों को, जहां कहीं आवश्यक तथा व्यावहारिक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है.

2.3 समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित हैं.

2.4 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को साख / प्रारक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है.

of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

c. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.

d. Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.3 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.4 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.



लेखों पर टिप्पणियां Notes on Accounts

क. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

A. Disclosure in terms of RBI requirements

क-1. पूंजी

A-1 Capital

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		Current Year		Previous Year	
		बासल II BASEL II	बासल III BASEL III	बासल II BASEL II	बासल III BASEL III
i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	10.66%	10.29%	9.59%	9.35%
ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	Tier 1 Capital Ratio (%)	11.21%	10.79%	10.14%	9.87%
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.00%	2.39%	3.20%	2.74%
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	14.20%	13.17%	13.33%	12.60%
v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India		59.24%		57.53%
vi) अर्जित इक्विटी पूंजी की राशि	Amount of Equity Capital Raised		1786.00		1260.00
vii) अर्जित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 1 capital raised, of which				
पीएनसीपीएस	PNCPS		-		-
पीडीआई	PDI		-		1000.00
viii) अर्जित अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से	Amount of Additional Tier 2 capital raised, of which				
ऋण पूंजी लिखत	Debt Capital Instrument		-		-
अधिमान्य शेयर पूंजी लिखत	Preference Share Capital Instruments		-		-

क-2. निवेश

A-2 Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		Current Year		Previous Year	
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments				
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments				
(क) भारत में	(a) In India		111693.36		115646.36
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India		9892.23		7500.72
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation				
(क) भारत में	(a) In India		808.19		519.23
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India		326.87		308.13
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments				
(क) भारत में	(a) In India		110885.17		115127.13
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India		9565.36		7192.59
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments				
(i) प्रारंभिक शेष	(i) Opening balance		824.23		1019.58
(ii) जोड़ें : प्रारंभिक शेष में समायोजन	(ii) Add: Adjustment in Opening Balance		3.13		
सुधारी गए प्रारंभिक शेष	Corrected Opening Balance		827.36		
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provision made during the year		347.85		120.02
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टाकरण/पुनरांकन	(iii) Less: Write-back of excess provisions		40.15		315.37
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance		1135.06		824.23

A-2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

A-2.1 Repo Transactions: (in face value terms)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2016 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2016
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	213	22823.04	3098.30	16924.96
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	1594.59	1626.83	1608.45	1594.59
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	109	17554.95	2022.42	1248
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

क-2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक

ii) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. नं. S. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' securities	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू PSUs	2159.01	1353.35	702.04	121.13	616.31
(ii)	एफआई Fls	982.43	509.24	245.69	0	166.64
(iii)	बैंक Banks	6770.73	566.18	207.11	116.77	114.38
(iv)	निजी कॉर्पोरेट Private Corporate	1968.23	901.77	617.28	206.40	14.85
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	1720.65	1720.65	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य Others	7554.91	4124.76	0.00	176.44	294.12
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	-1135.06	0.00	-33.12	-89.54	0.00
	कुल Total	20020.90	9175.95	1739.00	531.20	1206.30

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष	Opening balance	577.65	462.71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	184.77	132.37
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	27.07	17.43
अंतिम शेष	Closing balance	735.35	577.65
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	550.07	472.34



क-2.3 एसएलआर निवेश

A-2.3 SLR Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बही मूल्य Book value	मार्केट मूल्य Market value	बही मूल्य Book value	मार्केट मूल्य Market value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)*	Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	100428.36	100428.36**	96897.64	96897.64**
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved sec-SLR	1.28	1.28	1.28	1.28

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं.

** एसएलआर की गणना के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है.

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

** Appreciation in market value is ignored for SLR calculation

क-2.4 डेरीवेटिव्स

A-2.4 Derivatives

क-2.4.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

A-2.4.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	33201.14	38101.20
ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	513.09	753.48
iii) स्वैप में आने पर बैंक के लिए आवश्यक कोलैटरल	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	862.20	1130.41
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	350.49	576.29

क-2.4.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

A-2.4.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. S. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	
	क. ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	30343.76
	ख. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	136721.41
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की 31 मार्च, 2016 के अनुसार (लिखतवार) बकाया कल्पित मूल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2016 (instrument-wise)	
	क. ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ)	A. Interest Rate Future (IRF)	25.00
	ख. करेंसी फ्यूचर्स	B. Currency Futures	0.00
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" न हो (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

क-2.4.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

A-2.4.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(i) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. S. No.	विवरण	Particular	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)	2096.94	32517.19
	क) हैजिंग के लिए	a) For hedging	708.95	22447.07
	ख) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	1387.99	10070.12
(ii)	मार्केड टू मार्केट पोजिशन	Marked to Market Positions	35.84	314.59
	क) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	59.63	461.82
	ख) देयताएं (-)	b) Liability (-)	(23.79)	(147.23)
(iii)	ऋण जोखिम	Credit Exposure	162.98	725.96
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) on hedging derivatives	23.21	314.89
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) on trading derivatives	62.79	1.88
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		253 & 0
	क) हैजिंग पर	a) on hedging	0.00	102.56 & -6.16
	ख) ट्रेडिंग पर	b) on trading	76.42 & 36.81	19.90 & 1.66

क-2.5 आस्ति गुणवत्ता

A-2.5 Asset Quality

क-2.5.1 गैर निष्पादक आस्तियां

A-2.5.1 Non Performing Assets

क. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

A. Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs (Opening Balance)	16261.44	11875.90
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	27828.38	8515.34
उप जोड़ (क)	Sub-total (A)	44089.82	20391.24
घटाएं :	Less:-		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	533.91	1058.43
(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1480.72	1492.81
(iii) बट्टे खाते डाली गई राशि	(iii) Write-offs	1554.15	1578.56
उप जोड़ (ख)	Sub-total (B)	3568.78	4129.80
सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)	Gross NPAs (Closing Balance) (A-B)	40521.04	16261.44

ख. गैर निष्पादक आस्तियां

B. Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	Net NPAs to Net Advances (%)	5.06	1.89
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	Movement of NPAs (Gross)		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	16261.44	11875.90
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	27828.38	8515.34
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	3568.78	4129.80
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	40521.04	16261.44
(iii) शुद्ध एनपीए का संचलन	Movement of Net NPAs		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	8069.49	6034.76



विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	16372.75	4256.34
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	5035.78	2221.61
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	19406.46	8069.49
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	8191.95	5841.14
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(b) Provisions made during the year	14483.15	4259.00
(ग) तकनीकी/विवेक सम्मत अपलिखित	(c) Technical / Prudential write offs	1560.52	1456.22
(घ) अपलिखित राशि (उपरोक्त के अलावा)	(d) Write off (Other than above)	0.00	451.97
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	21114.58	8191.95
(v) तकनीकी अपलिखितों का संचलन	Movement of Technical Write offs		
तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित की गई राशियों का प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical / Prudential written-off account	6790.81	5598.58
जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशि	Add : Technical / Prudential write-off during the year	1560.52	1402.48
उप योग (ए)	Sub Total (A)	8351.33	7001.06
घटाएं : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत अपलिखित राशियों की वसूली (बी)	Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	219.18	210.25
अन्तिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	8132.15	6790.81

ग) क्षेत्रवार एनपीए

C. Sector-wise NPAs

क्रमांक S. No.	क्षेत्र	Sector	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	10.74	5.30
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	19.10	7.17
3	सेवाएं	Services	8.06	5.61
4	वैयक्तिक ऋण	Personal Loans	5.01	4.38

घ) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	227495.36	250117.16
कुल एन पी ए	Total NPAs	8376.72	3567.17
कुल राजस्व	Total Revenue	5085.60	5511.51

ए-2.5.2. प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन का बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.5.2. Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	-	1
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	160.23
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	-	201.60
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	0.00
(v) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ / हानि	Aggregate gain/(loss) over net book value	-	41.37

ए-2.5.3. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

A-2.5.3. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. अंतर्निहित बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	i. Backed by NPAs sold by the bank as underlying	709.53	709.77
2. अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा समर्थित	ii. Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
कुल	Total	709.53	709.77

ए-2.5.4. खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

A-2.5.4. Details of non-performing financial assets purchased/ sold during the current year and previous year

चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
Nil	Nil

ए-2.5.5. मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.5.5. Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	2751.24	2963.74

ए-2.5.6. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेन्द्रण

A-2.5.6. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) जमाओं का संकेन्द्रण	(a) Concentration of Deposits		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	Total Deposits of twenty largest depositors	33815.47	49006.75
बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	5.89	7.94
(ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण	(b) Concentration of Advances		



विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण	Total Advances to twenty largest borrowers	38038.19	39461.16
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	9.33%	9.00%
(ग) एक्सपोजर का संकेन्द्रण	(c) Concentration of Exposures		
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	52293.22	52961.39
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	8.56%	7.55%
(घ) एनपीए का संकेन्द्रण	(d) Concentration of NPAs		
चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to top four NPA accounts	5642.70	1359.42
(ङ) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	(e) Provision Coverage Ratio (PCR)	60.09%	64.99%

ए-2.5.7. इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर

A-2.5.7. Intra Group Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	Total Amount of Intra Group Exposures	483.66	1129.69	1613.35
20 सर्वाधिक इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर वाले खाते	Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	483.66	1129.69	1613.35
ऋण कर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये बैंक के कुल एक्सपोजर में इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers			
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण तथा उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil	Nil

ए-2.6 व्यवसायिक अनुपात

A-2.6 Business Ratios

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	6.31	6.62
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.72	0.68
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.26	1.53
आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	-0.78	0.49
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा जोड़ अग्रिम) (' करोड़ में)	Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores)	16.80	18.89
प्रति कर्मचारी लाभ (' करोड़ में)	Profit per employee (₹ in Crores)	-0.10	0.07

ए-2.7 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

A-2.7 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		1 दिन Day 1	2 से 7 दिनों 2 to 7 Days	8 से 14 दिनों 8 to 14 Days	15 से 30 दिनों 15-30 Days	31 दिनों-2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक - 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह Over 3 M - up to 6M	6 माह से अधिक - 12 माह Over 6 M - up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष Over 1 Yr - up to 3 years	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष Over 3 years - Upto 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	12411.44 (11750.79)	33924.15 (37370.27)	13281.78 (25651.23)	22275.39 (27665.94)	32673.17 (*)	29118.12 (72362.08)	72080.36 (58695.10)	123394.96 (119383.22)	117271.3 (145775.36)	17545.6 (28991.04)	100061.62 (89914.50)	574037.87 (617559.52)
अग्रिम	Advances	4822.64 (5226.85)	6283.94 (12343.90)	8605.81 (15037.74)	19864.15 (14764.58)	24496.75 (*)	37345.5 (72806.89)	36737.28 (41653.89)	28793.82 (30818.57)	143351.73 (163231.50)	36151.89 (36131.59)	37316.66 (36049.62)	383770.18 (428065.14)
निवेश	Investments	108.98 (503.21)	1806.91 (542.40)	701.4 (1245.71)	612.22 (1635.56)	1544.17 (*)	2890.78 (7232.47)	1505.3 (3194.28)	3206.12 (1003.28)	14899.71 (15115.89)	18147.32 (23339.48)	75027.6 (68507.45)	120450.52 (122319.72)
उधार	Borrowings	714.2 (1769.58)	891.71 (2451.11)	0.01 (218.75)	662.72 (1957.55)	1668.49 (*)	1431.08 (1639.78)	4961.68 (457.2)	1691.39 (3403.49)	4619.24 (4733.01)	14224.76 (10450.27)	2606.41 (8183.53)	33471.69 (35264.28)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	25788.64 (40195.99)	11412.59 (9194.45)	9015.65 (12511.31)	16551.34 (16269.98)	29477.51 (*)	23579.28 (55009.91)	38240.34 (31957.89)	32268.26 (34145.73)	26883.24 (37544.77)	11429.67 (11081.96)	8047.17 (8201.71)	232693.69 (256113.71)
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	10871.29 (10903.34)	29278.73 (25648.69)	7978.17 (15306.22)	16747.62 (20925.16)	19421.05 (*)	12998.72 (46824.65)	32861.74 (27190.54)	50660.59 (38904.63)	34643.28 (51825.81)	10877.73 (11345.75)	7448 (5730.47)	233786.92 (254605.27)

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं।
Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन "समूह आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम नीति 2015" के अनुसार किया गया है।
The Distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2015" of the Bank
- शुद्ध अग्रिमों की गणना करते समय प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है।
The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.
- 31 दिनों से 2 माह के बकेट में गत वर्ष का आंकड़ा नहीं दर्शाए गया है। क्योंकि यह बकेटिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 23 मार्च, 2016 के परिपत्र के अनुसार परिवर्तित किया गया है।
Previous year's figures are not shown in 31 days to 2 months bucket as bucketing is changed as per RBI circular dated 23rd March 2016.

ए-2.8 एक्सपोजर

A-2.8 Exposure

ए-2.8.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

A-2.8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages -		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज,	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	29698.11	25,789.62
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण	Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	(13878.16)	(13,147.04)



(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट -	(ii) Commercial Real Estate -	13414.86	13120.22
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि). एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एम बी एस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
क. आवासीय	a. Residential	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
ख. अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b. Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures		
(i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	(i) National Housing Bank (NHB)	0.00	16.37
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	8836.16	9742.03
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to Real Estate Sector	51949.13	48668.24

ए-2.8.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

A-2.8.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	Current Year	Previous Year
(i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉरपस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश.	(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1078.19	1061.62
(ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम.	(ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	7.38	7.41
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	4.53	0.00
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जोकि शेयरों, परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds Rsdoes not fully cover the advances;	130.68	142.15



विवरण	Particulars	Current Year	Previous Year
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां.	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	50.62	2.58
(vi) कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रोमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम.	(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण.	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	12.97	0.29
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हमीदारी प्रतिबद्धताएं.	(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना.	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.25	2.92
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) (दोनों) समग्र का जोखिम.	(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	797.38	823.77
पूंजी बाजार में कुल जोखिम	Total Exposure to Capital Market	2082.00	2040.74

पूंजी बाजार में ₹ 2082.00 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 14758.10 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31.3.2015 को बैंक का ₹ 36895.25 करोड़ की शुद्ध मालियत का 40%) है. पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹ 1883.20 करोड़ है और यह ₹ 7379.05 करोड़ की सीमा के अंतर्गत अर्थात् दि. 31.3.2015 को बैंक की ₹ 36895.25 करोड़ की शुद्ध मालियत का 20% हैं.

The exposure to Capital Market of ₹ 2082.00 Crores is within the limit of ₹ 14758.10 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 36895.25 Crores as on 31.03.2015). The direct exposure to Capital Market is ₹ 1883.20 Crores and is within the limit of ₹ 7379.05 crores i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 36895.25 crores as on 31.03.2015.

ए-2.8.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

A-2.8.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2016 को एक्सपोजर (शुद्ध) Exposure (net) as on 31 st March 2016	31 मार्च 2016 को प्रावधान Provision held as on 31 st March 2016	31 मार्च 2015 को एक्सपोजर (शुद्ध) Exposure (net) as on 31 st March 2015	31 मार्च 2015 को प्रावधान Provision held as on 31 st March 2015
महत्वहीन	Insignificant	82776.42	68.24	113135.92	88.41
न्यून	Low	48874.14	37.06	52456.53	29.70
मध्य	Moderate	3292.46		2295.10	--
उच्च	High	1872.43		1512.14	--
अधिक उच्च	Very High	7.80		15.38	--
सीमित	Restricted	0.63		0.10	--
ऋण से इतर	Off-credit	0.16		0.26	--
अ-मूल्यांकित	Not Rated	347.65		313.92	--
कुल	Total	137171.69	105.30	169729.35	118.11



ए-2.8.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

A-2.8.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वर्ष Year	31 मार्च को शेष Balance as on 31 st March
2015-16	Nil
2014-15	Nil

ए-2.8.5 गैरजमानती अग्रिम राशि

A-2.8.5 Amount of Unsecured advances

ऐसे अग्रिमों की राशि जिनके लिए अधिकारों, लायसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 1 जुलाई 2015, के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 23/21.04.018/2015-16 के अनुसार ली गई मूर्त प्रतिभूतियां शून्य हैं.

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as tangible security is Nil as per RBI Circular No. DBR.BPBC No.23/21.04.018/2015-16 dated 01st July 2015.

ए-2.9 विविध

A-2.9 Miscellaneous

ए-2.9.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि

A-2.9.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित करों हेतु प्रावधान	Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax	-1146.18	2089.96
घटाएं - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less : reversal of Tax Provisions relating to previous years	156.35	67.79
कर के लिए शुद्ध प्रावधान	Net provision for Tax	-1302.53	2022.17

ए-2.9.2 भारतीय रिजर्व बैंक / विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.9.2 Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेकेट में गंदे / जाली नोटों के लिए करंसी चेस्ट पर ₹ 8,38,337/- की पेनल्टी लगाई गई, बैंकिंग लोकपाल द्वारा ₹ 2,89,350/- की पेनल्टी लगाई गई. इसके अतिरिक्त 'वित्तीय आसूचना इकाई-भारत' द्वारा संदिग्ध संव्यवहारों के प्रयास की रिपोर्टिंग में विफलता के लिए ₹ 3,00,000/- की पेनल्टी लगाई गई. विदेशी परिचालनों में, विभिन्न पेनल्टियां मिलाकर कुल ₹ 34.17 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान को युरो में बिल हेतु भुगतान किए गए. मास्टर विजा उन्नयन प्रोजेक्ट तथा जमा देने की शर्तों का उल्लंघन के लिए ₹ 0.17 लाख सरकारी विभाग यूएई का प्रस्तुत आवेदन का संबन्धित सरकारी विभाग को प्रत्युत्तर न देने के लिए, ₹ 0.10 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई का आईसीसीएस/डीडीएस/एफटीएस के लिए कट-ऑफ समय के बाद उत्तर देने हेतु तथा ₹ 0.72 लाख श्रम मंत्रालय, आरएके का एक कर्मचारी के श्रम-अनुबंध के निस्तारण में विलंब हेतु भुगतान किए गए.

During the year penalty of Rs 8,38,337/- was levied by Reserve Bank of India on Currency Chests for soiled/forged notes in the packets, penalty of ₹ 2,89,350/- was levied by Banking Ombudsman. In addition to above, a penalty of ₹ 3,00,000/- was imposed by "Financial Intelligence Unit – India" for failure in reporting attempted suspicious transactions. In overseas Operations, various penalties aggregating to ₹ 34.17 lacs were paid to Central Bank of Oman for delay in Euro, Master Visa up-gradation project and for violating terms of giving credit, ₹ 0.17 lac to Govt. dept UAE for not responding to Govt. dept in respect of application submitted, ₹ 0.10 lacs to Central Bank of UAE for delay in response beyond cut off time for ICCS/DDS/FTS and Rs 0.72 lacs to Ministry of Labour, RAK for delayed cancellation of Labour contract of an employee.

ए-2.9.3 प्रायोजित तुलनपत्रोत्तर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है.)

A-2.9.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-2.9.4 प्रतिभूतीकरण

A-2.9.4 Securitization

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
घरेलू / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-3. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण

A-3 Break up of Provisions and Contingencies

ए-3.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:

A-3.1 Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित तथा बट्टे खाते डाले गए सहित)	Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	341.46	(149.35)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	14007.73	3785.91
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	-258.11	548.12
कर हेतु प्रावधान-आस्थगित करों, और संपदा कर सहित (प्रावधानों के प्रत्यावर्तन का शुद्ध)	Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	-1302.53	2022.17
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	-241.82	211.16
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-12.81	73.39
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य (इसमें धोखधडियों, बैंक के विरुद्ध दावों, उचन्त खातों एवं प्रावधान शामिल हैं).	Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	1652.20	0.26
कुल	Total	14211.12	6516.66

ए-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

A-3.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	425.35	850.35
ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	-
ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	0.00	425.00
घ. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	425.35	425.35

ए-3.3 अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम पर प्रावधान

A-3.3. Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure-

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. प्रारंभिक शेष प्रावधान खाता	a. Opening balance provisions account	69.09	--
ख. लेखा वर्ष में किये गये प्रावधानों की राशि	b. The quantum of provisions made in the accounting year	9.93	69.09
ग. लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	c. Amount Reverse during the accounting year	--	--
घ. प्रावधान खाते का अंतिम शेष	d. Closing balance in the provisions account	79.02	69.09

बैंक ने करेन्सी इंडयूस्ड क्रेडिट रिस्क की कोई नीति तैयार नहीं की है तथापि, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है.

The Bank has not prepared any policy with regard to Currency induced Credit Risk. However, the Bank is following regulatory guideline issued by the Reserve Bank of India.

31.3.2016 के अरक्षित विदेशी मुद्रा उधारियों के एवज में बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की राशि 80बीपीएस पर प्रावधान राशि पर ₹ 8191.31 करोड़ थी. अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता राशि ₹ 165.77 करोड़ के एवज में अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 1722.24 करोड़ है.

As on 31.03.2016, the amount of bank's credit exposure against Unhedged Foreign Currency exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹ 8191.31 crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 1722.24 crores against this additional minimum capital requirement is ₹ 165.77 crores.

ए-3.4 प्रारक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

A-3.4 Draw Down from Reserves

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रारक्षित निधियों में कोई गिरावट (ड्रा डाउन) नहीं हुई है.

During the Financial Year 2015-16, there has been no draw down from the reserves.

ए-4. शिकायतों का प्रकटीकरण

A-4 Disclosure of complaints

I. ग्राहक शिकायत (एटीएम की शिकायतें छोड़कर)

I. Customer Complaints (Other than ATM)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	a. No. of complaints pending at the beginning of the year	94	132
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	b. No. of complaints received during the year	25236	19254
(ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	c. No. of complaints redressed during the year	25209	19292
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	d. No. of complaints pending at the end of the year	121	94

* इनमें से 121 शिकायतें (गत वर्ष 94 शिकायतें) 30 दिनों से कम पुरानी हैं.

* Out of these, all 121 nos. of complaints (Previous year 94 nos.) are pending for less than 30 days.

II. एटीएम संबंधी शिकायतें

II. ATM Complaints

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) वर्ष के शुरू में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	a. No. of ATMs complaints pending at the beginning of the year	5215	4830
(ख) वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	b. No. of ATMS complaints received during the year	280627	252939
(ग) वर्ष के दौरान एटीएम से संबंधी निपटाई गई शिकायतों की संख्या	c. No. of ATMs complaints redressed during the year	283504	252554
(घ) वर्ष के अंत में एटीएम से संबंधी लंबित शिकायतों की संख्या	d. No. of ATMs complaints pending at the end of the year	2338	5215

III. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

III. Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) वर्ष के शुरुमें कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	a. No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	1
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	b. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	6	11
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	c. No. of Awards implemented during the year	6	12
(घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	d. No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

ए-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

A-5. Status of Letters of Comfort

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया।

During the current financial year, the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

ए-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Nature of Income	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	18.75	19.18
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	13.29	12.55
म्यूच्युअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund products	3.36	3.65
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	Equity broking product	0.30	0.42

ए-7 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	Opening balance of amount transferred to DEAF	268.10	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	Add: Amount transferred to DEAF during the year	48.50	268.26
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गई राशि	Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.16
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing Balance of amounts transferred to DEAF	316.60	268.10



ए-8. चलनिधि कवरेज अनुपात

गुणात्मक प्रकटीकरण

01 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि उसे अत्यधिक तरलता संबंधी तनाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकदी परिवर्तित किया जा सके. एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय भारतीय बैंकों के लिए समग्रतः बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर एलसीआर के दो घटक हैं

i तनावग्रस्त स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य - द न्युमरेटर

ii कुल शुद्ध नकदी बाह्य-प्रवाह : “शुद्ध नकदी बाह्य-प्रवाह को कुल अनुमानित नकदी बाह्य-प्रवाह” में से “कुल अनुमानित नकदी अंतर-प्रवाह” घटाने के बाद प्राप्त राशि के रूप में परिभाषित किया गया है. इसका उपयोग (तनावग्रस्त अवधि के बाद) अगले 30 दिनों के लिए किया जाता है. दि डिनोमिनेटर

एलसीआर = उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक/अगले 30 दिनों में कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रभाव >= 100%

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एलसीआर चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा जो 01 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60% से आरंभ होकर 01 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% तक होगा.

	जनवरी 01, 2015 January 1 2015	जनवरी 01, 2016 January 1 2016	जनवरी 01, 2017 January 1 2017	जनवरी 01, 2018 January 1 2018	जनवरी 01, 2019 January 1 2019
न्यूनतम एलसीआर Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार हमने दिनांक 31 मार्च, 2016 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल आधार पर एलसीआर प्रकटीकरण किया है. मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 2016 से भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण लागू है. अतः हमने मार्च, 2016 का समाप्त चतुर्थ तिमाही के लिए समेकित प्रकटीकरण तैयार किया है.

एचक्यूएलए की संरचना

एसएलआर (सीमांत स्थायी सुविधा तथा एलसीआर के अंतर्गत तरलता का लाभ उठाने की सुविधा) की बाध्यकारी स्थिति के तहत ऋण सुविधा, एचक्यूएलए का सबसे बड़ा धारक है जो लगभग 43.63% है, जिसके बाद अतिरिक्त एसएलआर 30.59% पर है. स्तर-1 की आस्तियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य की गई न्यूनतम 60% की एचक्यूएलए के समान 98.40% है. स्तर-2 की आस्तियां जोकि स्तर-1 की आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में निम्न है, वह 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के सामने कुल एचक्यूएलए का 1.60% है.

A-8 Liquidity Coverage Ratio

Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR and monitoring tools are applicable for Indian banks at whole bank level only i.e. on a stand-alone basis including overseas operations through branches.

The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions –the numerator.

(ii) Total net cash outflows : The term “Total net cash outflows” is defined as “Total expected cash outflows” minus “Total expected cash inflows” in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).-the denominator.

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

According to RBI, the LCR will be introduced in a phased manner starting with a minimum requirement of 60% from January 1, 2015 and reaching minimum 100% on January 1, 2019.

As per the RBI guidelines dated 31st March 2015, we have made LCR disclosure on solo basis for the financial year ending March 2016. In terms of extant guideline disclosure on consolidated basis is applicable to Indian banking system from 1st January 2016 and onwards. We have therefore prepared consolidated disclosure for the fourth quarter ending March 2016.

Composition of HQLA

Borrowing facility within the mandatory portion of SLR (Marginal Standing facility and Facility to avail liquidity under LCR) is the largest component of HQLA constituting nearly 43.63% followed by excess SLR at 30.59%. Level 1 Assets constitute 98.40% of HQLA against minimum 60% mandated by the Reserve Bank Of India. Level 2 assets which are lower in quality as compared to level 1 asset as HQLA constitute 1.60% of total HQLA, against the maximum mandated level of 40%.



उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	High Quality Liquid Assets (₹HQLAs)	एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA
लेवल 1 आस्तियां	Level 1 Assets	
हाथ में नकदी	Cash in hand	7.23%
आधिक्य सीआरआर शेष	Excess CRR balance	13.85%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियां	Government Securities in excess of minimum SLR requirement	30.59%
एमएसएफ के द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	11.61%
बासेल II मानकीकृत एप्रोच के अंतर्गत 0% रिस्क रेटेड वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गई अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क्र.सं. के अंतर्गत देशवार विवरण)	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	3.10%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता हेतु सुविधा (वर्तमान में एमएसएफ के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 8 प्रतिशत सीमा तक)	Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (presently to the extent of 8 per cent of NDTL as allowed for MSF)	32.02%
कुल समायोजित लेवल, आस्तियां	Total Adjusted Level 1 Assets	98.40%
कुल लेवल 2ए आस्तियां	Total Level 2A Assets	1.49%
कुल लेवल 2बी आस्तियां	Total Level 2B Assets	0.11%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% सीमा के समायोजन - 40% सीमा के समायोजन.	Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment for 15% cap – Adjustment for 40% cap	100.00%

अंतः अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन

मार्च, 2016 माह में अतिरिक्त एसएलआर पूर्व के महीनों की तुलना में कम था. अतिरिक्त सीआरआर जनवरी, 2016 माह में पूर्व के महीनों की तुलना में अधिकतम रहा. एलसीआर अगस्त, 2015 में 145.36% के स्तर पर अधिकतम रहा और 30 सितंबर, 2015 को 83.27% के न्यूनतम स्तर पर रहा.

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

निधियों के स्रोतों का कोई अनुचित संकेन्द्रण नहीं पाया गया और न ही निधियों के स्रोतों में जोखिम के संकेन्द्रण के परिप्रेक्ष्य में कोई काउंटर-पार्टियां महत्वपूर्ण रहीं. किसी भी काउंटर पार्टी का हिस्सा बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक न था.

उसी प्रकार कोई भी लिखत/उत्पाद बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक का नहीं है. एक 'महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद' को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि - एक सिंगल लिखत/उत्पाद या वैसे ही लिखतों/उत्पादों का समूह, जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है. निधिगत लिखत/उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि के आवधिक बाँड इत्यादि. बैंक के एकल आधारित सर्वोच्च 10 जमाकर्ता का हमारी कुल जमाराशियों का 4.19% हैं.

Intra-period changes as well as changes over time:

The composition of excess SLR was less as on March 16 as compared to previous months. Excess CRR was higher in the month of January 2016 as compared to other months. The LCR was maximum at 145.36% as on August 2015 and minimum at 83.27% as on 30th September 2015.

Concentration of funding sources

There has been no undue concentration of funding sources and no counterparty is significant in terms of concentration risk in sources of funds. No counterparty contributes more than 1% of the bank's total liabilities. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Similarly no instrument/product constitutes more than 1% of the bank's total liabilities. A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Top 10 depositors of the bank on solo basis constitute 4.19 % of our total deposits.



डेरीवेटीव एक्सपोजर एवं संभाव्य संपार्श्विक कॉलस:
बैंक का डेरीवेटीव एक्सपोजर निम्नानुसार है:

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure is as under:

क्रम सं / S.No.	विवरण	Description	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)
1	डेरीवेटीव एक्सपोजर की काल्पनिक राशि	Notional amount of Derivative exposure	142410.98
2	चालू एक्सपोजर पद्धति के अनुसार एक्सपोजर	Exposure as per Current Exposure method	4993.78
3	अगले 30 दिनों के लिए डेरीवेटीव एक्सपोजर	Expected outflow for Derivative exposure for next 30 days	117.36

एलसीआर में मुद्रा-मिसमैच:

सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के लिए हम मुद्रा वार एलसीआर की गणना करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जहां उस मुद्रा में सकल देयताओं की मूल्य-राशि बैंक की कुल देयताओं का 5% या अधिक हो, जैसे कि यूएस डोलर, यूरो, जीबीपी एवं अन्य.

इस विदेशी मुद्राओं के लिए एलसीआर निम्नानुसार है

Currency mismatch in the LCR:

We calculate currency wise LCR for all significant currencies. A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities viz USD, EURO, GBP and others.

The LCR for the significant foreign currencies is as under:

क्रम सं / S.No.	मुद्रा / Currency	एलसीआर का स्तर / LCR level
1	यूएसडी / USD	34.68%
2	जीबीपी / GBP	63.23%
3.	ईयूआर / EUR	9.96%

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी-1 लेखामानक -5 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि मदों के पूर्व तथा लेखा पॉलिसियों में परिवर्तन.

बी-1.1 वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी रूपान्तरण के तरीके से अधिग्रहित लिखतों पर शुद्ध मूल्यहास प्रभारित करने की नीति की समीक्षा की है, चाहे वे लाभ हानि खाते में एफएस श्रेणी में मानक के रूप में वर्गीकृत हो या एनपीए के रूप में. बाद में अब ऐसी प्रतिभूतियों पर मूल्यहास अब एफएस श्रेणी के अंतर्गत धारित अन्य किसी प्रतिभूति के विनियोजन के सामने सेट ऑफ नहीं की जाती है. इसका प्रभाव गैर-उल्लेखनीय है.

बी-1.2 बैंक कर्मचारियों के लाभों के लिए आईसीआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) -15 के अनुसार प्रावधान करता है. इसकी गणना बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है. बैंक ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से बीमांकण गणना के लिए अनुमानों में से एक, मृत्यु दर टेबल को एलआईसीआई 1994-96 से आईएएलएम 2006-08 को अपनाने का निर्णय किया. इस परिवर्तन के कारण, मार्च 2016 समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 1563.70 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया.

बी-2. एएस-15 कर्मचारी लाभ

बी-2.1 बैंक ने 07.12.2006 से प्रभावी आईसीआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है. यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया.

बी-2.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

B-1.1 During the year, bank has reviewed its policy of charging the net depreciation on instruments acquired by way of conversion, whether classifies as Standard or NPA, in AFS category to Profit & Loss Account. Consequently, now the depreciation on such securities is not set off against the appreciation in any other securities held under the AFS category. Impact of same, is insignificant.

B-1.2 Bank is providing for employee benefits in accordance with the accounting standard (AS) -15 issued by ICAI. The same is calculated by actuarial valuation. The bank has during the year as a matter of prudence, decided to change one of the assumptions for actuarial calculation by shifting mortality rate table from LIC 1994-96 to IALM 2006-08. Due to this change, an additional provision of ₹ 1563.70 crore is provided during the quarter ended March 2016.

B-2 AS-15 Employee Benefits

B-2.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI, effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007.

B-2.2 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years.



की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है .

निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

बी-2.3 पेंशन

बी-2.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

बी-2.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं. जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है. यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलक्षियों से मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है.

बी-2.3.3 विवेकपूर्ण विनियामक पद्धति (पेंशन का पुनः विकल्प)

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अपने ऐसे कुछ कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः दिया था, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प न लिया हो. परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया के माध्यम से 18,989 कर्मचारियों ने यह विकल्प चुना, जिससे बैंक के लिए ₹ 1829.90 करोड़ की देयताएं उत्पन्न हुईं.

एस-15 कर्मचारी लाभ संबंधी मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹ 1829.90 करोड़ की पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते को प्रभारित की जाती है. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने दि. 9 फरवरी, 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः प्रदान करने तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण नियामक पद्धति के संबंध में परिपत्र

Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-2.3 Pension

B-2.3.1 Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund.

B-2.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made.

B-2.3.3 Prudential Regulatory treatment (reopening of Pension)

During the financial year 2010-11, the Bank had reopened the Pension Option for such of its employees who had not opted for the Pension Scheme earlier. As a result of exercise of such option by 18989 numbers of employee, the Bank had incurred a liability of ₹ 1829.90 Crores.

In terms of the requirements of AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹ 1829.90 Crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the RBI had issued a circular no. DBOD.BPBC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential



सं.डीबीओडी.बीपीबीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया था. जिसके द्वारा ऐसे पेंशन की राशि को पांच वर्षों से अधिक की अवधि 2010-11 से 2014-15 तक परिशोधित किया जा सकता है. बैंक ने पेंशन विकल्प के पेटे कुल राशि ₹ 1829.90 करोड़ की पूरी देयताओं का लाभ-हानि खाते में प्रभारित की जा चुकी है. इस राशि में विमुक्त / सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की राशि शामिल नहीं है.

बी-2.4 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

बी-2.5 छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश का अधिकतम 240 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है.

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टियों के 50% तक का अधिकतम 120 दिनों के अधीन नकदीकरण के पात्र है.

बी-2.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि एक अधिकारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते अधिकारी बॉब अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गई शर्तों को पूरा करता ही.

उसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने का पात्र होगा, बशर्ते उसने बैंक में 30 वर्षों की सेवाएँ पूरी की हों.

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे किए हों।

बी-2.7 प्रकटीकरण

मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

Regulatory Treatment, dated February 9, 2011, by which such pension amount can be amortized over a period of five year from FY 2010-11 to FY 2014-15. Bank has already charged the full liability of ₹ 1829.90 crores on account of Pension option to profit and loss account. This amount does not include any employee relating to separated/ retired employees.

B-2.4 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-2.5 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-2.6 Additional Retirement Benefit

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the officers satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

B-2.7 Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	N.A.	8.00%	N.A.

मृत्युदर : आईएएलएम (2006-2008)

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दि. 24 मार्च 2014 के अनुसार बैंक में अधिवर्षिता योजनाओं के लिये प्रावधान किया है. प्रबंधन का विचार है की उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है.

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान

Mortality Rate : IALM (2006-2008)

Note: The bank has provided for superannuation schemes as per the RBI letter dated March 24, 2014. The management is of the view that they have made adequate provision as per the RBI letter based on the actuarial valuation.

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
1/4/2015 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2015	8949.66	781.97	1491.36	369.87
जोड़ें: ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	678.81	56.15	108.63	26.34
जोड़ें: चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1261.12	171.95	100.95	10.54
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	928.96	160.13	266.90	81.14
जोड़ें: दायित्वों पर बीमांकिक हानि/लाभ (-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	1986.54	31.29	-87.49	50.35
31.03.2016 को पीवीओ	PVO as at 31.03.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96

नियोजित आस्तियों के समूचित मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
01.04.2015 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01-04-2015	8707.91	1450.60
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	696.63	116.05
जोड़ें: अंशदान	Add- Contributions	350.76	40.75
घटायें: प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	928.96	266.90
जोड़ें: बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	204.76	-14.51
31.03.2016 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2016	9031.10	1325.99

तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप /TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाभ ARB
31.03.2016 को दायित्व का पीवी	PV of obligation as on 31.03.2016	11947.17	881.23	1346.55	375.96
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair value of plan assets	9031.10	--	1325.99	-
अन्तर	Difference	-2916.07	881.23	-20.56	375.96
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	Unrecognised transitional liability	0.00	--	0.00	-
तुलनपत्र में मान्य देयता	Liability Recognised in the BS	-2916.07	881.23*	-20.56	375.96*

(*पूर्ण राशि हेतु बही में प्रावधान)

(* Provision made in books for full amount)



लाम-हानि खाते में हिसाब में ली गई राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
			पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	ग्रेच्युटी Gratuity	अति.सेवा लाम ARB
चालू सेवा लागत	a)	Current Service Cost	1261.12	171.94	100.95	10.54
ब्याज लागत	b)	Interest Cost	678.81	56.15	108.63	26.34
योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c)	Expected Return on Plan Assets	696.63	0.00	116.05	0.00
शुद्ध बीमांकिक हानि/लाम	d)	Net Actuarial Loss/gain(-)	1781.78	31.28	-72.98	50.35
वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता	e)	Transitional liability recognized in the year	0.00	0.00	0.00	0.00
लाम हानि खाते में निर्धारित खर्च		Expenses Recognized in P&L	3025.08	259.37	20.56	87.23

अगली अवधि (2016-17) के लिए संभावित अंशदान

Expected contribution for next period (2016-17)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	700	150

निवेश पैटर्न

Investment Pattern

(in %)

विवरण		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	16.28	22.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	State Government Securities	24.52	24.39
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	13.91	18.61
कार्पोरेट (निजी)	Corporate (Private)	1.91	0.81
अन्य	Others	43.38	34.19
कुल	Total	100.00	100.00



बी-3. (एएस-17) सेगमेंट रिपोर्टिंग :
भाग - क : व्यवसाय खंड

B-3 AS-17 Segment Reporting
Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

कारोबार खंड	Business segment	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	15534.36	13905.38	21867.42	21465.60	10918.08	11932.16	740.26	62.41	49060.13	47365.55
परिणाम	Result	2553.75	3332.69	-5943.86	936.42	-1479.54	3005.45	569.38	49.54	-4300.28	7324.10
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									2397.78	1903.49
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									-6698.07	5420.61
आयकर	Income taxes									-1302.53	2022.18
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-Ordinary Profit/ Loss									--	--
शुद्ध लाभ	Net Profit									-5395.53	3398.44
अन्य सूचना	Other Information									--	--
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	264123.07	271523.93	293537.37	336363.41	100901.13	99581.41	0.00	0.00	658561.57	707468.75
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									12814.90	7519.80
कुल आस्तियां	Total Assets									671376.47	714988.55
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	248308.57	256396.06	275961.67	317623.03	94859.63	94033.27	0.00	0.00	619129.88	668052.37
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									12047.60	7100.84
कुल देयताएं	Total Liabilities									631177.49	675153.20
नियोजित पूंजी	Capital employed	15814.49	15127.87	17575.69	18740.38	6041.50	5548.15	0.00	0.00	39431.68	39416.39
अनाबंटित	Unallocated									767.30	418.96
कुल पूंजी	Total Capital									40198.99	39835.35

भाग - बी : भौगोलिक खंड

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सेगमेंट	Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व	Revenue	43974.54	41854.04	5085.60	5511.51	49060.14	47365.55
आस्तियां	Assets	443881.12	464871.39	227495.36	250117.16	671376.48	714988.55

बी-4. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

(क) अनुषंगियां

- बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- बॉब कार्ड्स लिमिटेड

B-4 Related Party Disclosures (AS-18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries

- BOB Capital Markets Limited
- BOB Cards Limited



- | | |
|---|---|
| iii) नैनीताल बैंक लिमिटेड | (iii) The Nainital Bank Limited |
| iv) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड | (iv) Bank of Baroda (Botswana) Limited |
| v) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड | (v) Bank of Baroda (Kenya) Limited |
| vi) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड | (vi) Bank of Baroda (Uganda) Limited |
| vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी. | (vii) Bank of Baroda (Guyana) Inc. |
| viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड | (viii) Bank of Baroda (UK) Limited |
| ix) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड | (ix) Bank of Baroda (Tanzania) Limited |
| x) बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी) | (x) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.) |
| xi) बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि. | (xi) BOB Trinidad & Tobago Ltd. |
| xii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. | (xii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. |
| xiii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. | (xiii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. |
| (ख) सहयोगी इकाइयां | (b) Associates |
| i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक | (i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank |
| ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | (ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank |
| iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक | (iii) Baroda Gujarat Gramin Bank |
| iv) बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि. | (iv) Baroda Pioneer Asset Management Company Limited |
| v) इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड | (v) Indo Zambia Bank Limited |
| vi) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कं. प्रा. लि. | (vi) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited |
| (ग) संयुक्त उद्यम | (c) Joint Ventures |
| i) इंडिया फर्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कं. लि. | (i) India First Life Insurance Company Limited |
| ii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. | (i) India International Bank (Malaysia) Bhd. |
| iii) इंडिया इफ्राडेब्ट लि. | (ii) India Infradebt Limited |
| (घ) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक | (d) Key Management Personnel |

क्र. सं. S. No.	नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	पारिश्रमिक REMUNERATION	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री पी एस जयकुमार Shri P S Jayakumar	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (13-10-2015 से) MD & CEO (w.e.f 13-10-2015)	11,11,975/-	-
2.	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक (30-09-2015 तक) Executive Director (up to 30-09-2015)	17,41,686/-	25,51,719/-
3.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी Shri Bhuvanchandra B. Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	20,70,397/-	22,62,427/-
4.	श्री के वेंकट राम मूर्ति Shri K Venkata Rama Moorthy	कार्यपालक निदेशक(28-08-2015 तक) Executive Director (up to 28-08-2015)	7,68,620/-	95,487/-
5.	श्री मयंक के मेहता Shri Mayank K Mehta	कार्यपालक निदेशक (22-01-2016 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 22-01-2016)	3,35,420/-	-
6	श्री एस. एस. मूंदडा Shri S.S. Mundra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30-07-2014 तक) Chairman and Managing Director (up to 30-07-2014)	-	19,08,979/-
7	श्री पी श्रीनिवास Shri P Srinivas	कार्यपालक निदेशक Executive Director	-	19,61,198/-



आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण 18 के पैरा 9 के मद्देनजर अनुषंगियों एवं सहायक (एएस) बैंकों से संबंधित लेन-देनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिसमें अन्य सरकार नियंत्रित उद्यमों से संबंधित लेन-देनों से संबंधित प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गयी है. अन्य उद्यमों हेतु, सभी संव्यवहार यथा मियादी जमा, उसपर ब्याज आदि सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए हैं, अतः प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

Keeping in line with para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI of The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises. For other enterprises, no disclosure has been made as all the transactions are done in the ordinary course of business such as Fixed Deposits, interest thereon etc.

ख-5. एएस-20 प्रति शेयर आय

B-5 AS-20 Earning per Share

विवरण	Particulars	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		Current Year	Previous Year
कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	Net profit after tax (₹ in Crores)	-5395.55	3398.43
शेयरों की संख्या (वेटेड)	Number of Shares (weighted)	2258462435	2147251929
प्रति शेयर मूल व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & diluted earnings per share	-23.89	15.83
प्रति शेयर अंकित कीमत	Nominal value per share	Rs 2.00	Rs 2.00

9,26,63,692 अतिरिक्त शेयरों का निर्गमन दिनांक 29 सितंबर, 2015 को भारत सरकार को किया गया.

Additional 9,26,63,692 shares have been issued to Government of India on 29th September, 2015

ख-6. (एएस-22) आय पर करों का लेखांकन

B-6 AS-22 Accounting for Taxes on Income

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी आय पर करों का लेखांकन पर एएस 22 की आवश्यकताओं को पूरा किया है तथा तदनुसार आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन @ 34.608% अर्थात् वित्त बिल 2015 में किए गए प्रावधानों के अनुरूप किया है. 31 मार्च 2016 को आस्थगित कर देयता ₹ 3248.71 करोड़ है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and has accordingly revalued assets and liabilities @ 34.608% i.e. the rate as per enacted Finance Bill 2015. The net balance of deferred tax Asset as on 31st March 2016 amounting to ₹ 3248.71 Crores consists of the following:

विवरण	Particulars	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)			
		31.03.2016		31.03.2015	
क. देशीय	A. DOMESTIC	आस्ति Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	75.90	--	74.52
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	--	1528.01	--	1528.01*
परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	--	96.14	--	96.14
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	1.93	--	3.11	--
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	270.63	--	254.61	--
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	3583.61	--	763.60	--
निवेश की खरीद पर परिशोधन बढ़ा	Unamortized Discount on Purchase of Investment	39.49	--	--	--
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	194.80	--	--	--
कुल	Total:	4090.46	1700.05	1021.32	1698.67
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं)	Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)		2390.41		(677.35)
ख. वैश्विक	B. GLOBAL				
स्थायी आस्तियों पर बही मूल्य हास एवं आयकर अधिनियम के तहत मूल्य हास के बीच का अंतर.	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	--	75.90	3.80	74.52



विवरण	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		आस्ति Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
क. देशीय	A. DOMESTIC				
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती.	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	--	1528.01	--	1528.01*
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	--	96.14	--	96.14
आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (i) के तहत अस्वीकृत राशि.	Amount disallowed U/S 40 (a) (i) of the IT Act	1.93	--	3.11	--
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान.	Provision for leave encashment	270.63	--	254.61	--
संदिग्ध ऋणों एवं आग्रियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	4477.91**	--	764.73	--
निवेश की खरीद पर परिशोधन बट्टा	Unamortized Discount on Purchase of Investment	39.49	--	--	--
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित	Foreign Currency Translation Reserve	194.80	--	--	--
कुल:	Total:	4948.76	1700.05	1026.25	1698.67
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां/ देयताएं.	Net Deferred Tax Assets /(Liability) (A)		3248.71		(672.42)

* पूर्व प्रारक्षित निधियों में से ₹ 818.90 करोड़ तथा शेष राशि लाभ में से.

** पूर्व प्रारक्षित निधियों में से ₹ 540.73 करोड़ तथा शेष राशि लाभ में से.

बी-7. एएस-24 परिचालन बंद करना

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सके और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है.

बी-8. एएस-28 आस्तियों का अनर्जक बनना

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है.

बी-9. एएस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

ख-9.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

* ₹ 818.90 crores out of past reserves and balance out of profit.

** ₹ 540.73 crores out of past reserves and balance out of profit.

B-7 AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2015-16 the Bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

B-8 AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

B-9 AS-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

B-9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
विधिक मामले/आकस्मिकताएं	Legal Cases/Contingencies		
1 अप्रैल 2015 को शेष	Balance as on 1 st April 2015	30.41	47.82
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided during the year	3.24	-17.41
31 मार्च 2016 को शेष	Balance as on 31 st March 2016	33.65	30.41
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow/ uncertainties		
		निवारण/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement crystallization	

बैंक की पॉलिसी के अनुसार ऐसे ऋणों हेतु जिन्हें दावों के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए प्रावधान किया गया है.

As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

बी-9.2 आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 की क्र.सं.(I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं क्रमशः मांगी गई राशि, संविदा देयता शर्तें सम्बद्ध पार्टियों की मांग अदालत के निर्णय,

B-9.2 Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement/ disposal of appeals, the amount being called up, terms of



पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

सी. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

सी-1. बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2016 तक कर लिया गया है। इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है।

सी-2. पूंजी

वर्ष के दौरान बैंक ने 9,26,63,692 इक्विटी शेयर अंकित मूल्य ₹ 2/- प्रत्येक को ₹ 190.74/- प्रति शेयर कैश प्रीमियम पर भारत सरकार को (कुल निर्गम मूल्य रु 192.74/-) सेबी विनियम 76(1) के अधिमान आधार पर पूंजी निर्गम और घोषणा आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किए गए। इस खाते में बैंक द्वारा कुल राशि ₹ 1786.00/- करोड़ प्राप्त हुई। इस आशय का प्रस्ताव दिनांक 28 सितंबर, 2015 को असाधारण सामान्य बैठक में विधिवत पारित किया गया।

ग-3. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।

सी-4. निवेश

सी-4.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी में अंतरित कर दिया है। ₹ 11.05 करोड़ (गत वर्ष ₹ 10.79 करोड़) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया है।

सी-4.2 “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के तहत रखे गये निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ राशि ₹ 296.25 करोड़ को आरंभ में लाभ हानि खाते में जमा किया गया और उसके बाद कर का ₹ 193.72 करोड़ को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में समायोजित किया गया।

सी-4.3 एफसीएनआर (बी) आरबीआई के साथ स्वैप

भारतीय रिजर्व बैंक ने नयी एफसीएन (बी) जमाराशियां जो किसी भी अनुमत मुद्रा में संग्रहित की गयी हो उन्हें तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए यूएस डॉलर-रुपए में रियायती दरों पर बदलने की शुरुआत की है।

बैंक ने संग्रहीत यूएस डॉलर 1710 मिलियन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सगामी अवधि के लिए स्वैप किया। चूंकि आरबीआई के साथ स्वैप वर्तमान 3.5% प्रतिशत तत्समय प्रवर्तमान दर 8% पर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रथम वर्ष और परिपक्वता तारीख पर लाभ प्रतिकूल हो सकता है। इस

contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

C. Other Notes to Accounts

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2016, the reconciliation of which is in progress.

C-2 Capital

During the year, the Bank has allotted 9,26,63,692 equity shares of ₹ 2/- each at a cash premium of ₹ 190.74 per share (total issue price of ₹ 192.74 per share) to Government of India as determined by the Board in accordance with regulation 76 (1) of SEBI Issue of Capital and Disclosures Requirements Regulation on preferential basis. The total amount of capital received by the Bank on this account is Rs 1786.00 Crores. The resolution in this regard was duly passed in Extra Ordinary General Meeting held on 28th September 2015.

C-3 Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

C-4 Investments

C-4.1 In terms of RBI Guidelines, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in “Available for Sale” category to “Held to Maturity” category during the year. The resultant depreciation of Rs 11.05 Crores (previous year ₹ 10.79 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C-4.2 Profit on sale of investment held under “Held to Maturity” category amounting to ₹ 296.25 Crores, which has been transferred to Profit and Loss account initially and thereafter an amount of ₹ 193.72 Crores net of tax & transfer to statutory reserve has been appropriated to the Capital Reserve.

C-4.3 FCNR (B) Swap with RBI

RBI introduced a US Dollar-Rupee concessional swap window for fresh FCNR(B) funds mobilized in any permitted currency for a minimum tenor of three years and above.

Bank has swapped USD 1710 Million mobilized with RBI for the corresponding tenor. As the Swaps done with RBI were at 3.5 % against the then prevailing interest rate of 8 %, there would have been a distortion in profits on the first year as well as on maturity date. To avoid this inherent distortion,



निहित प्रतिकूलता से बचाव एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार हमने स्वैप प्वाइंट्स के अमोर्टाइजेशन की पद्धति को स्वैप की पूरी अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया है।

and as prescribed by RBI, we have adopted the method of amortization of swap points to even out expenses throughout the tenor of swaps

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	538.11	148.35
जोड़ें- अवधि के दौरान अमोर्टाइज्ड	Add: Amortized during the period	390.82	389.76
कुल	Total	928.93	538.11

सी-5. करों के लिए प्रावधान

सी-5.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है।

सी-5.2. "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि ₹ 5360.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5555.52 करोड़) है, जिसमें विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹ 3616.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4687.25 करोड़) शामिल है। आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है।

सी-5.3 वर्ष के दौरान आईसीडीएस के अनुपालन में, बैंक के परिचालन विषयक अभिन्न मदों के रूप में इस वर्ष हेतु विदेशी मुद्रा विनिमय से अप्रामाण्य लाभ की राशि ₹ 562.89 करोड़, जिसे एफसीटीआर खाते में क्रेडिट किया गया, कर के लिए प्रस्तुत हुआ। जैसा की उचित समयान्तर के रूप में निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा फंड की स्वदेश वापसी / विदेशी मुद्रा संचालन तथा भविष्य में पूर्ण रूप से वापसी संभव है, बैंक ने इस पर ₹ 194.80 करोड़ का आस्थगित कर आस्तियों का सृजन किया तथा इसे लेखा मानक-22 के अनुरूप लाभ व हानि खाते में क्रेडिट किया है।

सी-5.4 वर्ष के दौरान बैंक ने यूएई में प्रावधानों की आवश्यकता में विभिन्नता के कारण ₹ 848 करोड़ के डीटीए का सृजन किया, जो कि बैंक की राय में पूर्ण रूप से वापसी योग्य है। इसमें से ₹ 540.73 करोड़ विगत वर्ष से संबंधित है, जिसे पूर्व प्रारक्षितों में क्रेडिट किया गया था।

सी-6. परिसर

सी-6.1 बैंक की कुल ₹ 64.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 43.54 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

सी-6.2 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन / कब्जे में ली जानेवाली ₹ 336.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 98.73 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं।

C-5 Provision for Taxes

C-5.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

C-5.2 Tax paid in advance /tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to ₹ 5360.77 Crores (previous year ₹ 5555.52 Crores) is inclusive of ₹ 3616.78 (previous year ₹ 4687.25 Crores) crores which represents amount adjusted by the Department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

C-5.3 During the year in compliance of ICDS, the unrealized gain for the year on translation of foreign currency items of non integral operations of bank amounting to ₹ 562.89 Crores, credited to FCTR account, has been offered for tax. As this being a timing difference with reasonable certainty being repatriation of foreign currency funds / foreign currency movement and is capable of full reversal in future, the bank has created the Deferred tax Assets amounting to ₹ 194.80 Crores on the same and the same has been credited to profit and loss account as per Accounting Standard-22.

C-5.4 During the year the Bank has created DTA of Rs 848 crores on account of difference in provision requirement at UAE which in the opinion of the Bank is fully reversible. Out of this ₹ 540.73 crores pertains to earlier years, which was credited to past reserves.

C-6 Premises

C-6.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 64.97 Crores (Previous Year ₹ 43.54 Crores).

C-6.2 Premises include assets under construction/acquisition amounting to ₹ 336.09 Crores (Previous Year ₹ 98.73 Crores).



सी-6.3 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल ₹ 5015.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,773.77 करोड़), विदेशी कार्यालयों को ₹ 27.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 32.85 करोड़) की राशि सहित पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है। शुद्ध मूल्यहास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि को ₹ 4098.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 987.30 करोड़) हैं।

बैंक अनुमोदित मूल्यनिर्धारकों के रिपोर्टों के आधार पर इन परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अतिरिक्त राशि ₹ 3241.31 करोड़ को वर्तमान वर्ष के दौरान के "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितों" के साथ जोड़ दिया गया है।

ग-7 वर्तमान वर्ष हेतु अन्य आय के रूप में ₹ 302.97 करोड़ विदेशी कार्यालयों से मुद्रा विनिमय लाभ के कारण फंड की वापसी के रूप में शामिल है।

ग-8 विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएमएस) का परिचालन एवं विद्युत पर वित्तीय व्यय हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजना "उदय" (यूडीएवाय) (उज्ज्वल डिसकॉम एश्युरेंस योजना) के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की क्रमशः ₹ 1976.66 करोड़ एवं ₹ 297.16 करोड़ की गैर एसएलआर बॉण्ड खरीदी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.बीपीक्र.11657/21.04:132/2015-16 दिनांक 17 मार्च 2016 के अनुपालनार्थ बैंक ने निम्नानुसार प्रावधान किये हैं :

- ₹ 810 करोड़ पर 15% की दर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्गीकरण के संबंध में ₹ 121.63 करोड़ की एस.डी.एल. में परिवर्तित होने की कल्पना नहीं की गई और इन्हें मानक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया।
- डिस्कॉम बॉण्ड / ऋण के वास्तविक मूल्य में कमी के लिए ₹ 25.31 करोड़ दिए गए।

सी-9. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर.बीपी क्र.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल 2016 के अनुपालनार्थ राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए गए फूड क्रेडिट के तहत दिनांक 31.03.2016 तक बकाया 1962.02 करोड़ के 15% राशि 289.45 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, उपरोक्त प्रावधान दो तिमाहियों क्रमशः 7.5% मार्च 2016 एवं 7.5 % जून 2016 में किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, बैंक ने मार्च 2016 तिमाही में आवश्यक प्रावधान एक साथ करने का निर्णय लिया।

सी-10. बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वेच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी।

बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए। चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा

C-6.3 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation included in cost of premises as at end of the year is ₹ 5015.08 Crores (previous year ₹ 1773.77 crores) including ₹ 27.34 Crores at overseas offices (previous year Rs 32.85 crores). The revalued amount net of depreciation is ₹ 4098.87 crores (Previous Year ₹ 987.30 Crores).

These premises are revalued based on the reports of bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amount to ₹ 3241.31 crore has been added to "Revaluation Reserve" during current year.

C-7 Other income for the current year includes ₹ 302.97 crores on account of exchange gain on repatriation of funds from foreign offices.

C-8 In accordance with UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojna) Scheme of GOI, Ministry of Power for operational and financial turnaround of Power Distribution Companies (DISCOMs) during the FY 2015-16, the bank has subscribed to Non SLR SDL Bond of Government of Rajasthan (GoR) and Government of UP (GoUP) amounting to ₹ 1976.66 crores & ₹ 297.16 crores respectively.

In compliance to the RBI letter No. DBR. BP.NO.11657/21.04:132/2015-16 dated 17th March 2016 bank has made the provision as under:

- ₹ 121.63 crores in respect of segment not envisaged to be converted into SDL in FY 2016-17 @15% on Rs 810.86 crores and classified as standard assets.
- ₹ 25.31 crores for diminution in the fair value of loan / DISCOM bonds.

C-9 In compliance to the RBI letter no. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12.04.2016, Bank has provided a sum of Rs 289.45 crore being 15% of the existing outstanding of Rs 1962.02 Crore as on 31.03.2016 under food credit availed by a State Government. As per RBI's directives, said provision was required to be made in two quarters i.e 7.5% in March, 2016 and 7.5% in June, 2016. However bank has decided to make the full required provision in March 2016 quarter.

C-10 BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge



सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के सम्मेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल सम्मेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया।

सी-11 वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के एक भाग के रूप में बैंक को यह परामर्श दिया गया है कि वह दिसंबर 2015 एवं मार्च 2016 को समाप्त होने वाली दो तिमाहियों में कुछ अग्रिम खातोंको पुनःवर्गीकृत करे / अतिरिक्त प्रावधान करे. तदनुसार, बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया।

सी-12 बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों के लिए 15% की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में @20% की दर से प्रावधान किया है. तथापि गैर जमानती अवमानक (सब स्टैंडर्ड) अग्रिमों के लिए बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप @25% की दर से प्रावधान किया है.

सी-13 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है.

BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court.

C-11 During the year, as a part of Asset Quality Review (AQR) conducted by RBI, the bank has been advised to reclassify / make additional provisions in respect of certain advance accounts over two quarters ending December 2015 and March 2016. The Bank has accordingly implemented the RBI direction.

C-12 The Bank has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%. However on unsecured sub standard advances, the bank has made provision @25% as per regulatory requirement.

C-13 Figures of previous year have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

समेकित वित्तीय विवरण पत्रों पर टिप्पणियां

Notes on Consolidated Financial Statement

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं.

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/Joint Ventures:

1.1 अनुषंगियां	Subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31.03.16	31.03.15
1.1.1	देशीय अनुषंगियां	Domestic Subsidiaries		
क)	बैंकिंग	a) Banking:		
i)	द नैनीताल बैंक लि.	i) The Nainital Bank Ltd.	भारत / India	98.57 98.57
ख)	गैर बैंकिंग	b) Non Banking:		
i)	बॉब कैपिटल मार्केट लि.	i) BOB Capital Markets Ltd.	भारत / India	100.00 100.00
ii)	बॉब कार्ड्स लि.	ii) BOB Cards Ltd.	भारत / India	100.00 100.00
1.1.2	विदेशी अनुषंगियां	Overseas Subsidiaries:		
क)	बैंकिंग	a) Banking:		
i)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	बोत्सवाना / Botswana	100.00 100.00
ii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	केन्या / Kenya	86.70 86.70
iii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.	iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	यूगांडा / Uganda	80.00 80.00
iv)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आइएनसी	iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गुयाना / Guyana	100.00 100.00
v)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	तंजानिया / Tanzania	100.00 100.00
vi)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एवं टोबेगो लिमिटेड	vi) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd.	त्रिनिदाद एवं टोबेगो Trinidad & Tobago	100.00 100.00
vii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.	vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.	घाना / Ghana	100.00 100.00
viii)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैन्ड) लि.	viii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	न्यूजीलैन्ड / New Zealand	100.00 100.00
ख)	गैर बैंकिंग	b) Non Banking:		
i)	बॉब (यू के) लि.	i) BOB (UK) Ltd.	यूनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00 100.00



1.2 सहयोगी इकाइयां

समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Associates:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

नाम	Name	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	
			31.03.16	31.03.15
(क) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20	20
(ख) बड़ौदा पायोनियर असेट मेनेजमेन्ट कंपनी लि.	b) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.	भारत / India	49	49
(ग) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	c) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited	भारत / India	49	49
(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-	d) Regional Rural Banks			
i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत / India	35	35
ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले का बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक)	ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35	35
iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	iii) Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35	35

1.3 संयुक्त उद्यम

1.3 Joint Ventures:

नाम / Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा Percentage of Ownership as on	
		31.03.16	31.03.15
a) इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. India First Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	44	44
b) इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40	40
c) इण्डिया इंफ्राडेब्ट लि. India Infradebt Ltd.	भारत / India	30	30

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण

2. Particulars of the Investment in Associates:

सं. नं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)	
				31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
(क)	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	257.49	259.86
(ख)	उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	-	-
(ग)	उपरोक्त (क) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	25.27	25.27
(घ)	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के कारण परिवर्धन	d.	Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	2.46	3.43
(ङ)	अधिग्रहण उपरान्त साख / आरक्षित पूंजी के लाभ (शुद्ध) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	579.98	557.51



(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. नं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
(च)	31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ङ)	f.	Investment as at 31 st March (a -b-c+d+e)	814.66	795.53
(छ)	भारत में निवेश	g.	Investment in India	736.50	681.32
(ज)	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	78.16	114.21
(झ)	कुल (छ + ज)	i.	Total (g + h)	814.66	795.53

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों के वित्तीय विवरण-पत्र

3.1. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी इकाइयों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्र उसी रिपोर्टिंग तारीख के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2016 के लिए तैयार किए गए हैं, जिस तारीख के मूल संस्था के लिए तैयार किए गए हैं, सिवाय इनके बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.(इसकी संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ़ बड़ौदा कैपिटल मार्केट (यूगांडा) लि. को शामिल करते हुए), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि., बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि., इंडिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, (आईआईबीएमबी) तथा इंडो जंबिया बैंक लि. को छोड़कर, जिनके विवरण पत्र 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुरूप तैयार किए गए हैं. प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 के बीच समायोजन योग्य ऐसे कोई उल्लेखनीय संव्यवहार अथवा अन्य कार्य नहीं हुए हैं.

3.2 बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, के अलेखापरीक्षित वित्तीय परीणामों पर समेकन के उद्देश्य से विचार किया गया.

3.3 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं :

- 1) बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.
- 2) बॉब कार्ड्स लि.

4. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17)

लेखा मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण -

भाग क: व्यवसाय सेगमेंट

भाग-ख : भौगोलिक सेगमेंट

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture's and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2016 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2015. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2016 to 31st March, 2016 requiring adjustment therein.

3.2 The Unaudited Financial Results of Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Baroda Gujarat Gramin Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank are considered for Consolidation purpose.

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2016 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

- 1) BOB Capital Markets Ltd.
- 2) BOB Cards Ltd.

4. Segment Reporting (AS – 17)

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting

Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

व्यवसाय सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		बैंकिंग एवं अन्य परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	16175.99	14562.86	22377.82	22025.24	11546.18	12488.89	1691.18	1287.25	51791.17	50364.24
परिणाम	Result	2706.92	3563.83	-5748.45	1120.41	-1331.31	3144.22	562.36	173.26	-3810.49	8001.72
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									2436.78	1939.45
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									-6247.27	6062.27
आयकर	Income taxes									-1179.58	2150.54
विशिष्ट लाभ / हानि	Extra-ordinary Profit/loss									--	--



व्यवसाय सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		बैंकिंग एवं अन्य परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
शुद्ध लाभ	Net Profit									-5067.68	3911.73
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	272218.52	280105.27	297735.00	340384.69	105505.11	103714.76	2887.60	2223.91	678346.23	726428.63
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									12832.85	7548.75
कुल आस्तियां	Total Assets									691179.08	733977.38
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	255478.79	264070.21	279426.17	320898.85	99017.21	97777.45	2710.03	2096.60	636632.20	684843.12
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									12043.71	7116.61
कुल देयताएं	Total Liabilities									648675.92	691959.73
नियोजित पूंजी	Capital Employed	16739.73	16035.05	18308.83	19485.84	6487.90	5937.31	177.57	127.31	41714.02	41585.51
अनाबंटित	Unallocated									789.14	432.14
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed									42503.16	42017.65

टिप्पणी :

Part B: Geographical Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	45643.85	43794.36	6147.32	6569.87	51791.17	50364.24
आस्तियां	Assets	453678.00	473707.41	237501.08	260269.97	691179.08	733977.38

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
2. बैंकिंग एवं अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल हैं।
3. सेगमेंट राजस्व, बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।
4. प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों के आनुपातिक तौर पर आबंटित किया गया है।

Notes :

1. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent bank has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.
2. Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations
3. Segment revenue represents revenue from external customers.
4. Capital Employed for each Segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.



संक्षिप्त वित्तीय विवरण-पत्रों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors' Report on abridged Financial Statements

सेवा में, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक

संक्षिप्त वित्तीय विवरण-पत्रों पर रिपोर्ट

संलग्न संक्षिप्त विवरण-पत्र, जिसमें एकल तथा समेकित (क) 31 मार्च, 2016 के संक्षिप्त तुलन-पत्र (ख) संक्षिप्त लाभ हानि लेखे तथा (ग) उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण तथा संबंधित टिपणियों का सारांश शामिल है, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बैंक) के लेखा परीक्षित एकल तथा समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों से लिए गए हैं। हमने अपनी दिनांक 13.05.2016 की रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरण-पत्रों पर अपरिवर्तित लेखा परीक्षा राय दी है। बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण-पत्र तैयार करने के लिए लागू लेखांकन मानकों के आवश्यक सभी प्रकटीकरण संक्षिप्त वित्तीय विवरण-पत्रों में शामिल नहीं हैं। अतः संक्षिप्त वित्तीय विवरण-पत्रों के पढ़ लेने मात्र से बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्रों को पढ़ने की आवश्यकता पूरी नहीं होती।

वित्तीय विवरण-पत्रों के लिए प्रबंधन का दायित्व

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसके पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय विवरण-पत्रों के सारांश तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जो विनियामक दिशानिर्देशों, भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन मानकों तथा लेखांकन नीतियों के अनुरूप तैयार किए गए 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्रों पर आधारित हैं।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी प्रक्रिया पर आधारित संक्षिप्त विवरण-पत्रों पर अपनी राय व्यक्त करना है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक (एसए) 810 "सारांश वित्तीय विवरण-पत्रों पर रिपोर्ट संबंधी सह बद्धता" के अनुरूप की गई है।

राय

हमारी राय में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसके पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए संक्षिप्त वित्तीय विवरण-पत्र 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण-पत्रों से लिए गए हैं तथा उन विवरण-पत्रों का सही सारांश है।

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN : 105049W
Shailesh S Shah
Partner
M.No: 033632

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन
अनुज गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 076560

For Wahi & Gupta
Chartered Accountants
FRN: 002263N
Anuj Gupta
Partner
M.No: 076560

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

Date: 13.05.2016
Place: Mumbai

To the Shareholders of Bank of Baroda

Report on the abridged Financial Statements

The accompanying abridged Financial Statements, which comprise the Standalone and consolidated (a) abridged Balance Sheet as at 31st March, 2016 (b) the abridged Profit and Loss Account and (c) abridged Cash Flow Statement for the year then ended, and related notes are derived from the audited standalone and consolidated Financial Statements of Bank of Baroda ('the Bank') for the year ended 31st March 2016. We expressed an unmodified opinion audit opinion on those Financial Statements in our report dated 13.05.2016. The abridged financial statements do not contain all the disclosures required by the Accounting Standards applied in the preparation of the audited financial statements of the Bank. Reading the abridged Financial Statements, therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements of the Bank.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of summary of financial statements in accordance with guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated 1st August, 2012, which are based on the audited financial statements for the year ended 31st March, 2016 prepared in accordance with regulatory guidelines, accounting standards and accounting policies generally accepted in India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statements based on our procedures which are conducted in accordance with Standard of Auditing (SA) 810, "Engagements to report on summary financial statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Opinion

In our opinion, the abridged financial statements prepared in accordance with guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated 1st August, 2012, are derived from the audited financial statements of the bank for the year ended 31st March, 2016 and are a fair summary of those financial statements.

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी
अजय कुमार अटोलिया
भागीदार
एम. नं.: 077201

For S R Goyal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001537C
Ajay Kumar Atolia
Partner
M.No: 077201

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू
सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For Rodi Dabir & Co
Chartered Accountants
FRN: 108846W
Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditors Report

सेवा में,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक

वित्तीय विवरण-पत्रों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च 2016 के वित्तीय विवरण-पत्रों जिनमें 31 मार्च 2016 का तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, तथा एक विशिष्ट एकीकृत ट्रेजरी शाखा, लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2566 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 49 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं. हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 2743 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं. ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 4.63 प्रतिशत अग्रिम, 11.82 प्रतिशत जमा राशियां, 5.63 प्रतिशत ब्याज-आय और 10.58 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं.

वित्तीय विवरण-पत्रों के लिए प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप इन वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है. इस दायित्व में वित्तीय विवरण-पत्रों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव सम्मिलित है और इनमें, जालसाजी या भूल की वजह से कोई उल्लेखनीय गलती नहीं है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरण-पत्रों पर अपनी राय व्यक्त करना है. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है. इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण-पत्र किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय / प्रमुख गलतियों से मुक्त है.

4. लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु वित्तीय विवरण-पत्रों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही शामिल है. चयनित प्रक्रिया (विधि) लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है, इसमें वित्तीय विवरण-पत्रों में उल्लेखनीय गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल की वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है. इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त प्रस्तुति हेतु इकाई के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का अवलोकन करता है

To

The Shareholders of Bank of Baroda

Report on the Financial Statements.

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of Baroda as on 31st March, 2016, which comprise the Balance Sheet as on 31st March, 2016, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and one Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 2566 branches audited by Statutory Branch Auditors and 49 foreign branches audited by local auditors in respective countries. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2743 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.63 per cent of advances, 11.82 per cent of deposits, 5.63 per cent of interest income and 10.58 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements



लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की सार्थकता पर राय देने के लिए नहीं, ताकि परिस्थिति अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है।

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है।

6. राय

हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2016 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके।

ii लाभ-हानि लेखा, उनपर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप तथा खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही हानि शेष को दर्शाता है; तथा

iii नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फॉर्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं।

8. उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 में वर्णित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी (कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970/1980 और इनके अन्तर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि :

क. हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख. बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं।

9. इसी क्रम में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र, लाभ / हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी मान्य लेखा मानकों के अनुरूप है।

in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. Opinion

In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:-

i. The Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on 31st March, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that;

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

9. We further report that:

a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;



ख. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा उचित रूप से देखी गई हैं;

ग. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण मान्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते **खंडेलवाल जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W
Shailesh S Shah
Partner
M.No: 033632

कृते **वाही एण्ड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन
अनुज गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 076560

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N
Anuj Gupta
Partner
M.No: 076560

कृते **एस आर गोयल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी
अजय कुमार अटोलिया
भागीदार
एम. नं.: 077201

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C
Ajay Kumar Atolia
Partner
M.No: 077201

कृते **रोडी दबीर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू
सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W
Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai

फॉर्म ए FORM A

स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पत्र (स्टैंडअलोन)
LETTER OF ANNUAL AUDIT REPORT TO BE FILED WITH STOCK EXCHANGES (STANDALONE)

<ul style="list-style-type: none"> कंपनी का नाम Name of the Company 	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
<ul style="list-style-type: none"> समाप्त वर्ष को वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र Annual Financial Statements for the year ended 	31 मार्च 2016 31 st March 2016
<ul style="list-style-type: none"> लेखा परीक्षा अवलोकन का प्रकार Type of Audit Observation 	असंशोधित Un-modified
<ul style="list-style-type: none"> अवलोकन की आवृत्ति Frequency of observation 	- -
<ul style="list-style-type: none"> महत्वपूर्ण विषय पर प्रबंधन की टिप्पणी Comments of the Management on the matter of emphasis 	शून्य Nil

वी. एस. नारंग

महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)
एवं सीएफओ

V. S. Narang

General Manager
(Corporate Accounts &
Taxation) and CFO

डॉ. आर. नारायणस्वामी

अध्यक्ष
निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति

Dr. R. Narayanaswamy

Chairman
Audit Committee of Board

पी. एस. जयकुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P. S. Jayakumar

Managing Director & CEO

कृते **खंडेलवाल जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू

शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W

Shailesh S. Shah
Partner
M.No: 033632

कृते **वाही एण्ड गुप्ता**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन

वाय. के. गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 016020

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N

Y. K. Gupta
Partner
M.No: 016020

कृते **एस आर गोयल एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी

अजय कुमार अटोलिया
भागीदार
एम. नं.: 077201

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C

Ajay Kumar Atolia
Partner
M.No: 077201

कृते **रोडी दबीर एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू

सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W

Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai



बैंक ऑफ़ बड़ौदा के समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,
निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('द ग्रुप') के 31 मार्च, 2016 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि विवरण और उक्त तारीख को समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है. इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल किए गये हैं:

- हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 मई 2016 के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ़ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,
- अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 12 अनुषंगियों तथा 3 सहयोगी इकाइयों, 3 संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित खाते,
- 3 सहयोगी इकाइयों के अलेखापरीक्षित खाते.

वित्तीय विवरण-पत्रों हेतु प्रबंधन का दायित्व

समेकित वित्तीय विवरण-पत्र बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों एवं सहयोगी इकाइयों तथा संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरण-पत्रों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी राय व्यक्त करना है.

2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों को लेखा मानक एएस-21 (समेकित वित्तीय विवरण-पत्र) और लेखा मानक एएस-23 (समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन) तथा लेखा मानक एएस-27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमने समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों की लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण-पत्र निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किए गए हैं, तथा सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं. लेखा परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों और वित्तीय विवरण-पत्रों के प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य शामिल हैं. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन भी शामिल हैं. इसमें समग्र वित्तीय विवरण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार उपलब्ध कराती है.

4. समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में निम्नलिखित शामिल है.

To
The Board of Directors,
Bank of Baroda

1 We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Bank of Baroda (the "Group") as at March 31, 2016, the Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated:

- Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 13, 2016;
- Audited Accounts of 12 Subsidiaries, 3 Associates and 3 Joint Ventures, audited by other Auditors;
- Unaudited accounts of 3 associates.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries, associates & joint ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.

2 These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements), AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) and AS 27 (Financial Reporting of Interest in Joint Ventures) issued by the ICAI and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

3 We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4 Incorporated in the Consolidated Financial Statements are:



क) 9 विदेशी अनुषंगियों एवं 1 विदेशी संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण-पत्र, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है. इनके वित्तीय विवरण-पत्रों में 31 मार्च 2016 को कुल आस्तियां ₹ 10566.88 करोड़ का उल्लेख है और वर्ष के अन्त में ₹ 1066.01 करोड़ का कुल राजस्व तथा ₹ 259.54 करोड़ का नकदी प्रवाह है. इनमें से 4 विदेशी अनुषंगियां एवं 1 संयुक्त उद्यम जिनके लेखे 31 दिसंबर 2015 तक के तैयार किए गए हैं और जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में शामिल किया गया है, प्रबंधन ने यह प्रमाणित किया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2016 की अवधि के दौरान कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुए हैं. उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण-पत्रों तथा वित्तीय सूचना की स्थानीय रूप से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गयी है. प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएएपी की अपेक्षाओं के अनुसार इन वित्तीय विवरण-पत्रों को रूपांतरित किया गया है और इनकी स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और हमारे विचार से उक्त अनुषंगियों के बारे में जहां तक समाविष्ट राशियों का संबंध है, ये मूलतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर तथा भारतीय जीएएपी में रूपांतरण के आधार पर है जैसा कि ऊपर बताया गया है.

ख) 3 घरेलू अनुषंगियों तथा 2 घरेलू संयुक्त उद्यमों के आंकड़ें, जिनकी दूसरे लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा की है. इनके वित्तीय विवरण-पत्रों में 31 मार्च 2016 को कुल आस्तियां 11361.02 करोड़ रुपये तथा वर्ष के अन्त में ₹ 1836.23 करोड़ का राजस्व तथा कुल आय एवं नकदी प्रवाह के रूप में ₹ (242.59) करोड़ का उल्लेख है. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय परिणामों में समूह के शेयरों का ₹ (37.49) करोड़ का शुद्ध लाभ भी शामिल है और यह समेकित वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है. सहयोगी संस्थाओं के संबंध में जिनके वित्तीय विवरण-पत्र अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए हैं व जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं उनके समेकित वित्तीय परिणामों के बारे में हमारी अब तक की राय के अनुसार इन घरेलू अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों से संबंधित राशियां और प्रकटीकरण केवल दूसरे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

ग) समेकित वित्तीय विवरण-पत्रों में उन 3 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं उनके समेकित वित्तीय परिणामों में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शेयरों का ₹ 57.59 करोड़ का शुद्ध लाभ भी शामिल है और इसे समेकित वित्तीय परिणाम में दर्शाया गया है. यह वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और विवरण हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उनके समेकित वित्तीय परिणामों के बारे में हमारी अब तक की राय के अनुसार इन सहयोगियों से संबंधित राशियां और प्रकटीकरण केवल ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है. हमारी राय और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार यह वित्तीय परिणाम समूह से संबंधित नहीं हैं.

5 राय

हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा परीक्षकों के अलग वित्तीय विवरण-पत्रों, लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरण-पत्रों और घटकों की अन्य वित्तीय

a) Financial statements of 9 overseas subsidiaries and 1 overseas Joint Venture which have not been audited by us, whose financial statements reflect total assets of ₹ 10566.88 crores as at 31st March, 2016 and total revenue of ₹ 1066.01 crores and cash flows amounting to ₹ 259.54 crores for the year then ended. Out of which, 4(four) overseas subsidiaries and 1(one) joint venture whose accounts has been drawn up to 31st Dec., 2015 and included in the consolidated financial statements, the management has certified that no significant changes have taken place during the period from 1st January, 2016 to 31st March, 2016. The financial statements and other financial information of said subsidiaries have been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management and audited by local auditors and our opinion, in so far it relates to the amounts included in respect of those subsidiaries is based solely on the reports of those auditors and its conversion into Indian GAAP as stated above.

b) Figures of 3 domestic subsidiaries and 2 domestic joint ventures which have been audited by other auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹ 11361.02 crores as at March 31, 2016 and total revenue of ₹ 1836.23 crores and cash flows amounting to ₹ (242.59) crores for the year then ended. The consolidated financial statements also include the group's share of net profit of ₹ (37.49) crores for the year ended 31st March 2016 as considered in the consolidated financial statements in respect of 3 associates, whose financial statement have been audited by other auditors whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these domestic subsidiaries, joint ventures and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

c) The consolidated financial statements also include the group's share of net profit of ₹ 57.59 crores for the year ended 31st March 2016 as considered in the consolidated financial statements in respect of 3 associates, whose financial statement have not been audited by us. These financial statement are unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanation given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

5 Opinion

Based on our audit, consideration of reports of other auditors on separate financial statements, consideration of unaudited financial statements and on the other financial information



सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और उपर्युक्त पैराग्राफ 3 तथा 4 के साथ पठित हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण-पत्र भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:

- (i) 31 मार्च 2016 को बैंक, बैंक की अनुषंगियों के कार्य व्यवहारों तथा बैंक की सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों (समूह) में हित से संबंधित समेकित तुलन पत्र के संबंध में;
- (ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के समेकित लाभ संबंधी समेकित लाभ हानि खाते के संबंध में, और
- (iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'ग्रुप' के नकदी प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में.

of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us read with paragraphs 3 and 4 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates/ Joint ventures (Group) as on 31st March 2016;
- (ii) In the case of the Consolidated Statement of Profit & Loss, of the consolidated Loss of the "Group" for the year ended on that date, and
- (iii) In the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the "Group" for the year ended on that date.

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू
शैलेश एस. शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

For **Khandelwal Jain & Co**
Chartered Accountants
FRN : 105049W
Shailesh S Shah
Partner
M.No: 033632

कृते वही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन
अनुज गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 076560

For **Wahi & Gupta**
Chartered Accountants
FRN: 002263N
Anuj Gupta
Partner
M.No: 076560

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी
अनुराग गोयल
भागीदार
एम. नं.: 412538

For **S R Goyal & Co**
Chartered Accountants
FRN: 001537C
Anurag Goyal
Partner
M.No: 412538

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू
सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For **Rodi Dabir & Co**
Chartered Accountants
FRN: 108846W
Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

दिनांक / Date: 13th May 2016
स्थान / Place: मुंबई / Mumbai



फॉर्म ए FORM A

स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पत्र (समेकित)
LETTER OF ANNUAL AUDIT REPORT TO BE FILED WITH STOCK EXCHANGES (CONSOLIDATED)

<ul style="list-style-type: none"> कंपनी का नाम Name of the Company 	बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
<ul style="list-style-type: none"> समाप्त वर्ष को वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र Annual Financial Statements for the year ended 	31 मार्च 2016 31 st March 2016
<ul style="list-style-type: none"> लेखा परीक्षा अवलोकन का प्रकार Type of Audit Observation 	असंशोधित Un-modified
<ul style="list-style-type: none"> अवलोकन की आवृत्ति Frequency of observation 	- -
<ul style="list-style-type: none"> महत्वपूर्ण विषय पर प्रबंधन की टिप्पणी Comments of the Management on the matter of emphasis 	शून्य Nil

वी. एस. नारंग

महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)
एवं सीएफओ

V. S. Narang

General Manager
(Corporate Accounts &
Taxation) and CFO

डॉ. आर. नारायणस्वामी

अध्यक्ष
निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति

Dr. R. Narayanaswamy

Chairman
Audit Committee of Board

पी. एस. जयकुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

P. S. Jayakumar

Managing Director & CEO

कृते खंडेलवाल जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105049 डब्ल्यू

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN : 105049W

शैलेश एस शाह
भागीदार
एम. नं.: 033632

Shailesh S. Shah
Partner
M.No: 033632

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002263 एन

वाय. के. गुप्ता
भागीदार
एम. नं.: 016020

For Wahi & Gupta
Chartered Accountants
FRN: 002263N

Y. K. Gupta
Partner
M.No: 016020

कृते एस आर गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001537 सी

For S R Goyal & Co
Chartered Accountants
FRN: 001537C

अजय कुमार अटोलिया
भागीदार
एम. नं.: 077201

Ajay Kumar Atolia
Partner
M.No: 077201

कृते रोडी दबीर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846 डब्ल्यू

सुधीर दबीर
भागीदार
एम. नं.: 039984

For Rodi Dabir & Co
Chartered Accountants
FRN: 108846W

Sudhir Dabir
Partner
M.No: 039984

दिनांक : 13 मई, 2016
स्थान: मुंबई

Date: 13th May 2016
Place: Mumbai



सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मण्डल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 की धारा 17(8) के साथ पठित धारा 33 की अनुपालना स्वरूप हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि क. हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त पूरे वर्ष के वित्तीय विवरण-पत्रों की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरण-पत्रों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है;

ii. ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, की जानकारी दे दी है.

घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरण-पत्रों के नोट्स में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.

वी. एस. नारंग
महाप्रबंधक
कार्पोरेट खाते एवं कराधान तथा सीएफओ

दिनांक : 13.05.2016

स्थान : मुंबई

पी. एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO / CFO Certification for the quarter / full year ended 31st March 2016

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, We hereby certify that:

a. We have reviewed financial statements for the quarter / full year ended 31st March 2016 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;

ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V S NARANG
General Manager
(Corp. A/Cs & Taxation) and CFO

Date : 13.05.2016

Place : Mumbai

P S JAYAKUMAR
Managing Director & CEO

नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA

(प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा)

(H.O.: Mandvi, Baroda)

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400051

वेबसाइट - www.bankofbaroda.co.in

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051
(website: www.bankofbaroda.co.in)

एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक **शुक्रवार, 24 जून, 2016 को दोपहर 12.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवासदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईवी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390 020 में सम्पन्न होगी:**

1. बैंक के 31 मार्च, 2016 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार करना.

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

जी.एस. जयकुमार

स्थान: मुंबई (पी.एस. जयकुमार)
दिनांक : 13 मई, 2016 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नोट : कृपया नोट करें कि अनुदेशों सहित संपूर्ण नोटिस तथा प्रोक्सी फार्म सभी शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें अलगसे पंजीकृत डाक से भेजा गया है.

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Friday, 24th June 2016 at 12.00 Noon at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

FOR, BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar

Place: Mumbai
Date: 13th May 2016

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

NOTE: Please note that full Notice with instructions and Proxy form has been separately dispatched by Registered Post to all the shareholders, who have not registered their email id.

प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिये शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें
2. कृपया लाभांश इलेक्ट्रॉनिक / सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लिये अपना मैन्डेट रजिस्टर करें
3. कृपया ई-मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लिये अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करें

अभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइजेशन) के लाभ

शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टैम्प शुल्क खर्च नहीं. सरल / परेशानी रहित स्थानांतरण/ संचरण. नामांकन सम्भव. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा. अस्बा (एसबीए) / आईपीओ आवेदन सम्भव

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए मैन्डेट पंजीकृत कराने के लाभ

लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा होना. लाभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लाभ

भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें. कारपोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares
2. Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail

Benefits of Dematerialization

No threat of loss of Share Certificate. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses. Easy / hassle free Transfer / Transmission. Nomination possible. Dividend directly credited to your Bank A/c. ASBA/IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

Direct credit of dividend on Dividend payment date itself. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI). Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Half Yearly communication, etc



हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टें तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेत खाते में शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेत खाते में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट क्र. 31 व 32,

गोचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,

सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

फोन नं. 040-6716 2222

फैक्स नं. 040 - 2342 0814

ई मेल : einward.ris@karvy.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are
requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are
requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated
portion of this communication to our Registrars at their
address given hereunder :

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,

(Unit: Bank of Baroda),

Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli,

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,

Hyderabad - 500 032,

Phone No. 040 – 6716 2222

Fax No. 040 – 2342 0814

E-mail : einward.ris@karvy.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.

(यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट क्र. 31 व 32,

गोचीबॉवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा,

सैरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032.

प्रिय महोदय,

मैं / हम _____ बैंक ऑफ़
बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित पहल) उपायों के एक
प्रयास के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल
आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के
_____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर : _____

ई मेल आईडी : _____

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से
प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों
की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते
हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें सही रूप
में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं
ठहरायेंगे.

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,

(Unit: Bank of Baroda),

Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32,

Gochibowli, Financial District, Nanakramguda,

Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Dear Sir,

I/ We _____ holding _____
shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive
all communication from Bank of Baroda through our email ID
given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate
Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: _____

Email ID: _____

I/ We also undertake that the communication received through
my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient
delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We
further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any
of its employees, Registrars or its employees, responsible in
case the communication is not properly received at my/ our
email ID due to any technical/ other failures.

Signature of First Holder

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश
(इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए) :
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारकों के लिए)
4. बैंक खाते का विवरण :
 - क. बैंक का नाम :
 - ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :
 - ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :
 - घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद उधार
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)
 - ड. आईएफएससी कोड :
 - च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें.

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गोची बाँवली, फाइनान्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, सेरीलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500 032 अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, तीसरा तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares (Through Electronic Mode)

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form) :
D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) :
4. Particulars of Bank Account :
 - A. Bank Name :
 - B. Branch Name & City Pin Code :
 - C. Account No. (as appearing on the cheque book) :
 - D. Account Type (please Tick) : SB Current Cash Credit
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c)
 - E. IFSC Code :
 - F. 9 Digit Code No. of the Bank :
Branch appearing on the MICR
Cheque issued by the Bank
5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Signature of the First Holder

Date:

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Karvy Selenium Tower B, Plot No.-31&32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.




बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने अधिकृत यू-ट्यूब चैनल की शुरुआत की. इसका शुभारंभ श्री पी. एस. जयकुमार (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी), श्री बी.बी. जोशी और श्री मयंक मेहता (कार्यपालक निदेशक-द्वय) द्वारा किया गया.

Bank of Baroda launched its official YouTube channel. It was inaugurated by Mr. P. S. Jayakumar - MD & CEO, Mr. B. B. Joshi and Mr. Mayank Mehta, Executive Directors.



बैंक ऑफ बड़ौदा ने महाराजा सयाजी राव गायकवाड-III की 154वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बड़ौदा में संगीत समारोह का आयोजन किया. पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

Bank of Baroda celebrated 154th Birth Anniversary of Maharaja Sayajirao Gaekwad-III, by organising a musical concert at Baroda. Padma Vibhushan Pandit Hariprasad Chaurisiya graced the occasion.



Call toll free no. | 1800 22 33 44
6 am - 10 pm | 1800 102 44 55
Web Chat-24X7
www.bankofbaroda.co.in

Follow us on   



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank